

💓 🚆 सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में खाता खोलने का एक समान फार्म (गैर-व्यक्तिगत ग्राहक)



खाता खोलने का फार्म (गैर-व्यक्तिगत ग्राहक)
आवेदन का प्रकार नया अद्यंतन करना है तिथि कार्यालयीन उपयोग हेतु का तारांकित (*) को घरना अनिवार्य है ख) जहां लागू हो ☑ लगाएं ग) तिथि को दिदि - मामा-चववव फार्मेट में भरें घ) पठनीय मोटे अक्षरों में में । घ) पठनीय मोटे अक्षरों में में अक्षरों का आइएस ओ 3166 देश कोड़ भा मोटर बाहन अधिनियम 1988 के अनुसार राज्य/बूटी कोड़ में उपलब्ध के विद्यों में में से अक्षरों का आइएस ओ 3166 देश कोड़ भा मोटर बाहन अधिनियम 1988 के अनुसार राज्य/बूटी कोड़ में उपलब्ध एं किसी बिशेष खंड को अखतन करने के लिए उसने के लिए उसने के लिए उस खंड के सामने दिए गए वांबस (*) लगाएं और जो लगाए न हों जई काट दें. ज) अखतन करने के लिए क्याईसी नेवर अनिवार्य है काट दें. ज) अखतन करने के लिए क्याईसी नेवर अनिवार्य है काट दें.
मेरा/ हमारा बीओआई में कोई खाता नहीं है या
मेरा/हमारा बीओआई में खाता है जिसकी खाता संख्या है ।
1. इकाई विवरण (कृपया सामान्य दिशानिर्देश की मद 'ग' देखें)
1. इकाई का नाम (मोटे अक्षरों में)
कारोबार शुरू करने की तिथि *: (पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए लागू) पैन या फर्म 60 (कंपनियों तथा भागीदारियों को छोड़र केवल भारत में कर भरनेवाली इकाइयों के लिए पैन ही टीआईएन है) निगमन गठन का देश (कोड - आईएसओ 3166) (सामान्य अनुदेश देखें)
जीएसटीएन : पहचान का प्रकार (कृपया सामान्य अनुदेश का मद ग'2 देखें) यदि अन्य अ है तो उल्लेख क <u>रें</u>
इकाई की संरचना *: कृपया सामान्य अनुदेशों का अनुदेश 'ख' देखें) विधिक संस्था संः
क्षेत्रद्वंपः (केवल कंपनी के मामले में लागू) ईआईसी सः
2. पहचान का प्रमाण (कृपया सामान्य अनुदेशों का अनुदेश 'घ' देखें)
निगमन / गठन का प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र अन्य
3. संबंधित व्यक्ति/ लाभार्थी मालिक का विवरण (हर संबंधित व्यक्ति के लिए अलग-अलग 'अनुलग्रक 2' भरना है, सामान्य अनुवेशों की मद 'छ' देखें)
संबंधित व्यक्तियों की संख्या*: (सबंधित व्यक्ति से आशय है निदेशक, प्रमोटर, कर्ता, ट्रस्टी, भागीदार, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, लाभार्थी मालिक, न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी (यद्यपि लाभार्थी मालिकों की संख्या *: (यद्यपि लाभार्थी मालिक संबंधित व्यक्ति है, संबंधित व्यक्तियों में से लाभार्थी मालिकों की संख्या संबंधित व्यक्तियों में से अलग रूप से तय की जाएगी लाभार्थी के मालिक संबंधित व्यक्ति का अंश/उपअंश है) (परिभाषा के लिए पृष्ठ 18 देखें)
4. पते का प्रमाण (आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज की प्रति, जहां भी लागू है, प्रस्तुत करें) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश ङ देखें)
4.1 वर्तमान ⁄स्थायी ⁄विदेश पता विवरण* भारत में पंजीकृत कार्यालय (यदि लागू है)/ कारोबार स्थान का पता
पता का प्रकार*ः आवासीय/ कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित
पतों का प्रमाण *: ि निगमन / गठन का प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रमाणपत्र
लाइन*1:
लाइन*2:
लाइन*3:
जिला*: पिन / पोस्ट कोड*:
राज्य/यूटी का नाम कोड*ः देश कोड*ः (आईएसओ 3166)
4.2 पत्र व्यवहार/स्थानीय पता का विवरण वर्तमान/स्थायी पते के अनुसार (एक से अधिक संपर्क/स्थानीय पते होने के मामले में, कृपया 'अनुलग्रक 3' भरें)
पते का प्रकार* आवासीय/कारोबार आवासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय गैर -सूचित
पते का प्रमाण *: निगमन/गठन प्रमाणपत्र पंजीकरण का प्रमाणपत्र
लाइन*1:
लाइन*2:
लाइन*3: शहर / नगर / गांव
जिला पिन/पोस्ट कोड
राज्य/यूटी का नाम कोड वेश कोड (आईएसओ 3166)

4.3 याद इंकाइ भारत के बाहर की निवासी है और वहां पर ही कर देता है तो उस कानूनी अधिकार क्षेत्र में उसका पता"	
वर्तमान / स्थायी / विदेश पते के विवरण के अनुसार पत्र व्यवहार / स्थानीय पते के अनुसार	
पते का प्रकार * आवासीय / कारोबार जावासीय कारोबार पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित	
पते का प्रमाण (भारत के बाहर पंजीकृत इकाइओं के लिए *: पंजीकरण प्रमाणपत्र या ऐसा ही अन्य प्रमाणपत्र िनगमन / गठन का प्रमाणपत्र	
लाइन [*] 1:	
लाइन [*] 2:	
लाइन*3: शहर /नगर / गांव	==
राज्य*: जिप/पोस्ट कोड विश कोड *:	
आईएसओ 3166) आईएसओ 3166) 5. संपर्क विवरण (समी सूचनाएं मोबाइल नंबर/ई-मेल आईडी पर भेजी जाएँगी) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' देखें)	
टेलीफोब (क्वांस) :	
फैवस :	
मोबाइल 1:	
ई-मेल आई डी 1:	
ई-मेल आई डी 2:	
ि 6. कारोबार का प्रकार	
विनिर्माता व्यापारी खुदरा विक्रेता सेवा प्रदाता निर्यात / आयात रियल एस्टेट	
रत्न एवं आभूषण 📗 शैक्षणिक संस्थाएं 📗 होटल व्यवसाय 📗 शराब डीलर 📗 अन्य	
उद्योग कोड*: (कृपया उद्योग कोड के लिए पृष्ठ ७ देखें)	
वार्षिक कुल बिक्री (टर्नओवर)	1 0
0-5 लाख 5-10 लाख 10-25 लाख 25 लाख-1करोड़ 1-5 करोड़ 5-50 करोड़ 50-100 करोड़ 100 करो	
बीओआई के साथ लेनदेन (वर्ष) <u>स्थान</u>	शाखा
7. खाते का प्रकार	
चालू खाता बचत बैंक खाता आवर्ती जमा खाता सावधि जमा विशेष सावधि	जमा
अन्य कृपया उल्लेख करें	
8. परिचालन विधि	
अकेले संयुक्त रूप से अलग-अलग बोर्ड के संकल्प के अनुसार अन्य (कृपया उल्लेख करें)	
9. अपेक्षित सेवाएं (अपेक्षित सेवा पर (🗸) लगाएं (सेवा प्रभार लागू)	
कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग : देखने के अधिकार 📗 लेन-देन करने करने के अधिकार 📗 चेक बुक 📄 डेबिट कार्ड	
पीओएस की सुविधा (कार्ड स्वाइप करने की मशीन) एसएमएस अलर्ट एस एमएस अलर्ट अन्य	
स्टेटमेंट की अवधि मासिक तिमाही तिमाही अर्ध-वार्षिक	
ई-स्टेटमेंट भेजने के लिए ई-मेल आईडी	
एसएमएस भेजने के लिए मोबाइल 1 या मोबाइल 2 (कृपया खाता आवेदन पत्र में भाग 1 में दिए गए मोबाइल नंबर देखें)	
10. खाता प्रकार :	
II (Male 1878) Art V	
खाता प्रकार नाम :	
11. वचन पत्रः अन्य बैंक / वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा	
मैंने/ हमने निम्नानुसार अन्य बेंक (बैकों) वित्तीय संस्था (संस्थाओं से ऋण सुविधा नहीं ली है) या दिनांक िनांक	$\overline{}$
मैंने/ हमने निम्नानुसार अन्य बैंक (बैंको)/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) से ऋण सुविधा ली है ।	
	ग हेत ''
प्रत. स. अहण प्रदारत बच्चा का नाम शाखा (ई-मेल व पिन नंबर सहित) खाता संख्या एनओसी प्राप्त	
et	
हाँ नहीं	

अन्य संस्या का विवरण :
मुनिश्चित करें कि वह संस्था वित्तीय संस्था है या गैर वित्तीय संस्था है (कोई भी संस्था या तो वित्तीय संस्था हो सकती है या गैर -वित्तीय संस्था, दोनों नहीं) [वित्तीय संस्था (एफआई) : (वित्तीय संस्था के सामने (√) लगाने पर कृपया सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए अनुलग्नक1 और अनुलग्नक 2 भरें) [वैंकों, श्रीना एजेंसियां, एनबीएफसी आदि) या [गैर वित्तीय संस्था (एनएफई) : वित संस्था एनएफई है तो क्या कह सिक्रय एनएफई वा निक्रिय एनएफई है [कोई संस्था या तो सिक्रय एनएफई या निक्रिय एनएफई हो सकती है, दोनों नहीं, कृपया सिक्रय या निक्रिय एनएफई के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश 'ज' देखें) नियंत्रक व्यक्तियों की संख्या (केवल निक्रिय एनएफई के मामले में लागू, प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के लिए कृपया अनुलग्नक 2 भरें) प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करनेवाली गैर-वितीय विदेशी संस्था : हाँ नहीं वित्तीय प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करनेवाली एनएफएफई का विज्ञास रिपोर्टिंग करनेवाली एनएफएफई का विज्ञास रिपोर्टिंग करनेवाली एनएफएफई का विज्ञास रिपोर्टिंग करनेवाली रिपोर्टिंग करनेवाली रिपोर्टिंग करवें का विज्ञास रिपोर्टिंग करवें
विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई कोड क.) (जहां पर लागू है)
कर के नियमों के अनुसार आवास का देश
कावल भारत भ कर भरन वाला इकाई ने कि भारत के बाहर किसी अन्य देश की निवासी हाँ नहीं फर्र भी कि एवं साम को न भारत के बाहर किसी अन्य देश की निवासी हाँ नहीं फर्र भी कि एवं साम को न भारत के बाहर किसी अन्य देश की निवासी हाँ नहीं फर्र भारत वाल के कि एवं सी.आर.एस. बॉक्स
यू एस का टैक्स रेसीडेंट हैं नहीं (यदि हाँ है तो टीआईएन भरें) यूएस टिन : यदि यूएस का टैक्स रेसीडेंट है तो, क्या वह व्यक्ति यूएस व्यक्ति है नहीं (यू एस के टैक्स व्यक्ति के लिए अनुदेश ज देखें)
विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति (अनुदेश 'त' देख हाँ नहीं (यदि निविर्दिष्ट यूएस व्यक्ति का उत्तर हाँ है तो संस्था की यूएस रिपोर्ट योग्य होगी)
यूपस के अलावा भारत के बाहर का कर निवास हाँ नहीं
थदि हों तो देश का कोड भरें और टीआईएन / वैसी ही सिक्रय संख्या / समतुल्य पहचान नंबर भरें
यदि कर निवासी भारत से नाहर, यु एस. से भिन्न, हाँ है तो क्या वह संस्था किसी निम्नलिखित श्रेणी के अंत्रंगत आती है
(निम्नलिखित श्रेणी में से चुने-यदि इनमें से कोई भी हाँ नहीं है तो खाता अन्य रिपोर्टेबल खाता है) 1. कोई निगम बिसके स्टॉक की खरीब फरोस्त व्यापार एक या अधिक सुस्थापित सिक्यूरिटीज बाजार में होती है हाँ नहीं
2. कोई संस्था जो उपर्युक्त (1) में व्याख्यायित निगम से संबंधित संस्था है।
3. सरकारी संस्था हाँ नहीं
4. कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन हाँ नहीं मद (1) से (6) तक के संबंध में किसी हाँ पर (✔) निशान लगाने पर
5. केंद्रीय बैंक हाँ नहीं पर किसी खाते को अन्य रिपोर्टेंबल खाता नहीं माना जाएगा
6. वित्तीय संस्था हाँ नहीं यदि संस्था न गो भारत की कर निवासी है, या यूएस की या यूएस के अलावा भारत के बाहर की
कर निवासी है, तो कर भरने के प्रयोजन हेतु कोई आवास नहीं श्रेणी में हाँ भरा जाएगा
यदि हाँ हो तो कृपया उस देश का कोड भरें जहां पर संस्था का प्रधान कार्यालय स्थित है देश कोड :
बहुदेशीय कर आवास हाँ नहीं (यदि हाँ तो नीचे का टेबल भरें)
1. यदि संस्था विनिर्विष्ट व्यक्ति है तथा युएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी भी है, तो उसे यहुँदेशीय कर निवासी संस्था माना जाएगा ।
2.यदि संस्था विनिर्दिष्ट <mark>यूएस व्यक्ति नहीं है पर भारत से बाहर एक से अधिक देशों की कर निवासी है, तो उसे बहुदेशीय कर निवासी संस्था माना जाएगा ।</mark>
यूएस के अलावा भारत के बाहर की कर निवासी टीआईएन या वैसी कोई संख्या पहचान का प्रकार (टीआईएन, कंपनी पहचान नंबर (प्राधिकारी द्वारा जारी) पत्रियान से अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें)
uni*
लाइन*1:
लाइन*2:
लाइन*3:
यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी टी आई एन या वैसी कोई संख्या (प्राधिकारी द्वारा जारी) पहचान का प्रकार (टीआईएन या वैसी कोई संख्या (सीआईएन),
ईआईएन या अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें)
чп*
लाइन*1:
लाइन*2:
ए।इन उ:

फार्म 60 केवल उन इकाइयों के लिए लागू है, जो कंपनियों तथा भागीदारी से भिन्न है (जिनके पास पैन उपलब्ध नहीं)								
नाम (पहचान प्रमाण के अनुसार)								
यदि पैन के लिए आवेदन किया हुआ है और जारी नहीं किया गया है तो आवेदन की तिथि तथा पावती नंबर वित्त वर्ष जिसमें उपर्युक्त लेन-देन किया गया है, की अनुमानित कुल आय भरें (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) आयकर उ 1961 की धारा 64 के अनुसार)								
सत्यापन								
म विश्वास के अनुसार सही है । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जिस वितीय वर्ष में यह लेन-देन किया गया है, उसमें मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (पित/पत्ली, अवयस्र अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार परिकलित कर योग्य अधिकतम राशि से कम ही होगी ।	ी लिखा गया है, वह मेरी जानकारी और क बच्चे आदि को शामिल करके) आयकर							
सत्यापित : आज दिनमाह वर्ष								
स्थान :	घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर							
नामांकन : केवल एकल स्वामित्व खाता हेतु								
में अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ या								
में अपने / हमारे खाते में नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती हूँ								
नामांकन फार्म (डीए।)								
मैं/हम व्यक्ति को नामित करता/करती हूँ / करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके प्रस्तुत किए गए है, बैंक ऑफ इंडिया (उस शाखा/कार्यालय का नाम व पता जहां जमाराशि रखी गई है) द्वारा वापस कर दी जाए । जमाराशि का विवरण : जमाराशि का प्रकार खाता नंबर :	त्र विवरण नीचे नामांकन क्रम संख्या							
नॉमिनी का नाम								
जमाकर्ता के साथ रिश्ता								
and a sound								
ча								
शहरः पिन राज्य								
नॉमिनी का सीआईएफ नंबर (एलसीपीसी द्वारा भरा जाए) चूंकि इस तिथि को नॉमिनी अवयस्क, है इसलिए मैं/हम श्री/श्रीमती/सुश्री								
पूर्वा	वर्ष							
को नाँमिनी की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर नाँमिनी की ओर से जमा की राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती/करते हैं	* 1							
	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान							
साक्षी का निजी विवरण (यदि आवेदक निरक्षर है और अंगूठे का निशान लगा रहा है, तो साक्षी की आवश्यकता है) साक्षी 1 नाम :								
पताः पताः								
*								
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान								
स्थानः दिनांकः दिनांकः दिनांकः दिनांकः दिनांकः दिनांकः दिनांकः	गंक :							

आवेदक की घोषणा :

- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं इसमें परिवर्तन रोने पर में आपको तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। यदि कोई जानकारी गलत या झूटी या प्रामक या मलत प्रस्तुत की जाती है तो मैं/हम उसके लिए जिप्मेदार रहूँगा / रहेंगे।
- कंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक के बिशानिर्देशों के अनुसार मैं/हम प्रमाणित करता हूँ /करते हैं कि
 मैं/हम इकाई की ओर से करताक्षर करने की क्षणा स्थान है रखते हैं।
- 3. ै/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं िक कंपनी नियम 2017 (श्रेणियों की संख्या पर प्रतिबंध) के उप-नियम (2) में उत्तरकायत कंपनियों की क्षेणी में यह शामिल है और इसकी दो श्रेणियों से अधिक अनुषंगियों नहीं है । (कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 21 सितंबर 2017 के राजपत्र की अधिसूचना क्र. 793 में दिए गए विवरणों के अनुसार) ।
- 4. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/ करते हैं कि मैंने/हमने भारतीय स्टेट बेंक के नियमों तथा बेंक द्वारा दी जानेवाली सेवाओं, जिसमें डेविट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग / टेली बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग / वर्नुअल बैंकिंग तमा अन्य सुविधाएँ शामिल हैं, को पढ़ लिया है । मैं/हम उनका अनुपालन करने के लिए सहमित चेता हुँ/पेते हैं, जो बैंक/विनियामक/सरकार द्वारा परिपद, अधिसूचनाओं, सूचना फलक/वेबसाइट/समाजार-पत्र फलाशन के जिएए समय-समय पर संशोधित जी जाएगी । ऐसे संशोधगों के संबंध में अधिकात सूचना देने के अधिकार को मैं/हम परित्याग करता हूं / करते हैं । मेरे/हमारे खाते में मेरे/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इंटरनेट, मोबाइल, टेली बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के माज्यन से मेरे/हमारे खुलर आइडी तथा पासलाई/एमि/ओटीपी द्वारा किए गए लोन-देन या अनुरोध मुत्रे / हम पर विधिक्त रूप से बाल्य होंगे और ऐसे मामलों में प्राधिकृत करने के विवरण मथा किसी अन्य जानकारी/विवरण/ओटीपी/पिन आदि की गोपनीवता तथा विश्वसनीयता बनाए एकोने किए एमें/हम विवरण मथा किसी अन्य जानकारी/विवरण/ओटीपी/पिन आदि की गोपनीवता तथा विश्वसनीयता बनाए एकोने किए। एमें/हम खाते को हम के लिए मेरे/हमारे खाते को नामें करने का अधिकार बैंक को हम है/खा विसरण या खाता के परिवरण मामला करने पर मेरिहम बैंक को अधिकृत करता है/कारों के विवरलन/पालन न करने पर किता बेंक को है । किसी नियम/विनियम या खाता के परिवरण संशीय शर्तों के विवरलन/पालन वतरने पर की बुक्त को उसली हम के मेरे खाते को समापत करने उसे बारी न स्थते के लिए मेरिहम बैंक को असली सूचना देने के लिए बंचन देता है/करते हैं और एक शाखा से चुसरी शाखा में खाते का जेतरण करने पर मेरिहम वेंक को उसली सूचना देने के लिए बंचन देता है/देते हैं और एक शाखा से चुसरी शाखा में खाते का जेतरण करने पर मेरिहम वेंक को उसली सूचना देने के लिए बंचन देता है/देते हैं और एक शाखा से सुसरी शाखा में खाते का जेतरण करने पर मेरिहम वेंक को उसली सूचना देने के लिए बंचन देता है/देते हैं और एक शाखा से चुसरी शाखा में खाते का जेतरण करने पर मेरिहम पता है/का/देते ।
- 5. आधार विवरण के अनुसार खोले गए आतों के संबंध में, मैं एतव द्वारा घोषणा करता / करती दूँ कि मेंले पीएमएलए 2002 के तहत केवाईसी मालदंडों के अलुपालन में पहचान तथा/या पते के प्रमाण के तौर पर यूआईडीएआई हारा जारी आसार कार्ड प्रस्तुत किया है। बैंक हारा यूआईडीएआई से उसका सत्यापन करते तथा वायोमेट्रिक अधिप्रमाणन हारा मेरी पत्चान तथा/या एता कर प्रमाण के तौर पर यूआईडीएआई हारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। बैंक हारा यूआईडीएआई से उसका सत्यापन करने तथा वायोमेट्रिक अधिप्रमाणन हारा मेरी पहचान और पते की सुचना बैंक भी देने के लिए मैं यूआईडीएआई को प्राथिवत करता/करती हैं।
- 6. मैं/हम पृष्टि करता/करती हूँ / करते हैं कि किसी भी प्रचलित विधि का/वित्यामक/संविदात्मक या अन्य प्रावधानों से खाता खोलने तथा/या उसके परिचालन बैंक के साथ लेन-देन करने के लिए मुझे/हमें रोका/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- 7. मेरें,हमारे व्यक्तिगत केवाईसी विवरण को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा करने हेतु मैं/हम सहगति बेता/बेती हैं/बेते हैं । मेरे/हमारे पंजीकृत मौबाइल नंबर-ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-गेल से बैंक/केंद्रीय केवाइसी गंजिस्ट्री/भारत सरकार/भारतीय दिक्क वैंक या किसी अन्य प्राधिकारी से युवना प्राप्त करने के लिए मैं/हम सहगति देता हूँ/देते हैं । मैं/हम इसके लिए भी सहगत हूँ/हें कि किसी ऐसे एसएमएस/ई-मेल के न मिलने के कारण बैंक किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए जिम्मेवार नहीं होगा ।
- 8. मैं/हम प्रमाणित करता/करती है/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना का एसओ.2155(इ) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के अंतर्गत लागू नियमों तथा इस मामले में भारतीय दिवर्ष कैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपय क्रमांक डी.बीआर एएएएएस.भीसी. का. 36/14.01.001/2015-16 के अनुसार मैंने/हमने परवर्ती संशोधन सहित अपनी स्थिति की घोषणा कर दी है।
- 9. मैं/हम समझता/समझती हं/समझते हैं, स्वीकार करता / करती हूं/ करते हैं तथा प्राधिकृत करता/करती हूं/करते हैं कि आवास की हीसयत/स्थित तथा/या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर आकरत अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और इस मामले पर भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक को मेरे/हमारे खाते (खातों) से संबंधित विवरण निर्धारित

- प्रारूप पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), या अन्य सरकारी एजेंसी को अंतर-सरकारी करार (आईजीए) की बाम्मता के अनुपालन के तहत विवेधी खाता कर अनुपालन अधिनयम (फटका) तथा कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्डस (सीआरएस) तथा/या किसी समान व्यवस्था रिपोर्ट किए जा सबते हैं।
- 10. मैं/इम प्रमाणित तथा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि खाता खोलने तथा अन्य घेवाएं प्राप्त करने के लिए अचन चेबराइट/इलेक्ट्रानिक रूप से मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत हरताव्यसित/प्रमाण तथा खाता खोलने के लिए एवं अन्य सेचा प्राप्त करने के लिए एवं अन्य सेचा प्राप्त करने के लिए एवं अन्य सेचा प्राप्त करने के लिए पेरे/हमारे हाए निजा एख उरतावेबी खुता होती खालकारों के जालकार के जाते खाते जो यू एस रिपोर्टेंबल खाता या अन्य रिपोर्टेंबल खाता या अन्य के रूप में निर्धारित करने/वर्गीकरण करने में बाघा यन संकेशादि मेरे/हमारे हाए वी गई जानकारी/निवारण गत्तत या झुठा या प्राप्तक या गत्तत प्रस्तुत किए जाने पर, मैं/हम उराके लिए जिम्मेदार रहूँगा/होंगे।
- 11. मैं/हम वचन देता हुं/देती हूं/देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ/अववा अन्य स्थान पर दी गई जानकारी, प्रस्तुत दसावेजी प्रमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने अववा कोई प्रमाणीकरण गलत होने अववा बदले जाने पर, ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसकी घोषणा एवं सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। जब कभी अपेंडित होने पर दस्तावेजी समूत के साथ गया एवं चीच स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने का भी मैं यचन देता/देती हूं। जब तक उपर्युक्तानुसार बैंक को संशोधित स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया नहीं जाता, तब तक मेरे इत्तर विष्, गए ऐसे सभी संशोधित दस्तावेज/जानकारी के मामले में भी यहां दिया गया वचन लागू होगा।
- 12. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं िक अब या भांबाय में मुझे/हमें ज्ञात कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य/मूजना फ़कट करने या निर्धारित समय के भीतर किसी वस्तानेज/सूचना को किसी विसंगति का समाभान नहीं करने पर में/हम खाते से लेनचेन कर नहीं पाऊँगा/पाऊँगी/पाएँगे। अन्य विवरण तथा मेरे खाते में परिचालन पर रोक लगाने या उसे बंद करने या किसी भी विनियामक या भारत सरकार (पीओआई)/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए तैनात किसी प्राधिकरण या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिवेंशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बैंक को होगा।
- 13. भारत या विदेश में खाता के परिचालन या रख-रखाव से संबंधित किसी भी नियम के बदलने के कारण मुझसे/हमसे मांगी जानेवाली किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने सूचित करने के लिए मैं/हम सहमत हैं/हैं।
- 14. मेरे/हमारे द्वारा विए गए विवरण में चूक/गलती या गलत या अधूरी जानकारी देने के कारण बैंक को यदि कोई हानि/नुकसान होने पर, मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी/करेंगे।
- 15. बैंक की अपेक्षानुसार आवधिक अंतरालों पर केवाइसी अधतन करने के लिए नए केवाइसी दस्तावेज सहित डाटा/जानकारी देने के लिए पैं/हम वचन देता /वेती हैं/देते हैं।
- मैं/हम समझता / समझती हुँ/है कि वैक हाम केवाईसी संबंधी ग्राहक की समुचित जांच किए जाने पर ही खाता सिक्रय किया जाएगा और नागे अनुगत किए जा सकेंगे ।
- 17. खाता खोलने के लिए अपेक्षित मासिक औसत न्यूनतम शेष के बारे में मुझे/हमें सूचित किया गया है तथा यह संशोधन/परिवर्तन के अधीन होगा तथा ऐसे संशोधन/परिवर्तन को वैंक की वेबसाइट में रखा जाएगा, जो मुझे स्वता के रूप में स्वीकार्य होगा।
- 18. खाता खोलने के छः महीने के भीतर आधार तवा/या पैन प्रस्तुत करनेका मैं/हम बचन देता / देती हूँ/देते हैं । ऐसा न करने पर भारत सरकार के विशानिवंशों के अनुसार पन शोधन निवारण अधिनिवम 2005 (अभिलेखों का रखरखाव) नियमों में संशोधन करके (यदि खाता आधार/पैन के बिना खोला गया है तो ग्रेश खाता बंद किया जा सकता है।
- 19. यदि खाता खोलते समय वर्तमान पते के लिए आधिकारिक वैप दस्तावेज माने वाले दस्तावेज मस्तुत किए जाते हैं तो खाता खोलने के 3 माह के शीतर आधार या वर्तमान पतो वाले आधिकारिक वैप वस्तावेज प्रस्तुत क्षप्रस्ता के विशानिवेशानुसार मेरे खाते में परिचालन की रोका जा सकता है । ऐसा न करने पर भारत सरकार के दिशानिवेशानुसार मेरे खाते में परिचालन की रोका जा सकता है ।
- 20. में पृष्टि करता/करती हूँ और वचन देता/देती हूँ कि मैं वर्चुअल करेंसी का व्यापार नहीं करुंगा/करूंगी तथा वर्चुअल करेंसी की किसी सेवा से संबंधित कार्य के लिए अपने खातो का प्रयोग नहीं करूंगा/करूंगी।
- 21. में संबंधित खाता योजना में निर्धारित औसत मासिक शेष (वयुण्बी) रखने कावचन देती हूँ तथा औरातन गारिक शेष न स्थाने पर दंडात्मक शुल्क भरने के लिए राहमत हूँ ।

कृपया कृपया कपया यहाँ फोटो यहाँ फोटो यहाँ फोटो चिपकाएँ चिपकाएँ चिपकाएँ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें) प्राधिकत हस्ताक्षरकर्ता ३ के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें) नाम : नाम : नाम : पद: पद : पद : दिनांक : दिनांक : दिनांक : नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले नाम, हस्ताक्षर, मृहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र. अधिकारी का एस.एस. क्र. अधिकारी का एस.एस. क्र.

		केया गया (प्रयोजन का उल्लेख करें):					
ा. आवंदक स	स बातचात का आर प्रयोजन आभानाश्चत ।						
			वं विश्वसनीय पाया गया है ? हाँ	नहीं			
2. क्या आहक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्व-प्रमाणपत्र तथा दस्तावेजों को सत्यापित किया जा चुका है और उन्हें सही एवं विश्वसनीय पाया गया है ? हाँ निहीं (ध्यान रहे : प्रमाणपत्र के सामने हाँ होने पर ही खाता खोला जाए)							
3. प्रारंभिक सीमा							
	F	12		. (2 			
4. दस्तावेज प्र	प्राप्तः स्वतः प्रमाणि	त सत्यापित प्रतियां नाटरी	5. जोखिम संवर्ग/श्रेणी उच्च	। मध्यम निम			
	December 1						
6. व्यक्तिगत	। रात्यापन किया गया और आवेदक के दर	ताक्षर की जात पहतान पत्र से की गई					
		स्ववाधिकारी ईकाई की गतिविधि का सत्यापन किया	हाँ 🗾	नहीं			
		and the second s					
अधिकारी का	नाम :	पीएफ नंबरः	पदनामः				
दिनांक:		एसएस नंबर:	हस्ताक्षर :				
18.11-30.		4040 140	Grande :				
सीआईएफ ख	बोला जाए		रांट्यवहार रांख्य	संक्षिप्त हस्ताक्षर			
दिनांक ।		प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)	सी आई एफ				
खाता खोलें							
शाखा प्रबंधक ⁄!	प्राधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर)						
खाता खोलने क	ती तारीखः	खाता नंबर :					
यदि कोई टिप्पणी	करनी है तो :						
सहायक (हस्ता	<u>खार)</u>		अधिकारी (हस्ताक्षर)				
नाग :			नाम :				

कर्मचारी/अधिव	भारी का भाग :		अधिकारी/पदधारी का नाम				
एराएरा लंबर/र्प	ाष्ट्रसंट ग्रज्या		एसएस नंबर/पीएफ संख्या				
कर्मचारी/अधिक	कारी का नाम :		कर्मचारी/अधिकारी का पदनाम	= ==			
कर्मचारी/अधिक	गरी का नाग :	•	कर्मचारी/अधिकारी की शाखा				
खाता बंद करने की	ती तिथि	् खाता दिनांक	कर्मचारी/अधिकारी की शाखा	को अंतरित ट्रांस्फर किया			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि ग्राह थुक कर्म 2. चेक क्रियान भुगा चेक किष् 3. बिना सरि	ही तिथि री (हस्ताक्षर) त नियम र शाहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए इक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग प्रारूपों शाहक को अपतथ्य करायी जाएगी अ वर्षे के के मुद्रित फार्म में ही आहरित कि तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरए के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून ा पूर्व व्यवस्था के शाहक को अपने खात शे की अया रा बेंक के पास रखे हुए नमून वर्ष को अप रा बेंक के पास रखे हुए नमून हा को के सा पर बेंक के सा	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के। किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का फाउंटरफाइल के? र स्वरं गए लेन-देन का अधिमाणान बेंक के प्राधि र स्वरं रांतुस्ट दोला चाहिए कि लेकति जमाणित या जाए। इससे मिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थित में बेंक उर गकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए। का अधि आहरण नहीं करना चहिए, भले ही कितनी गट की सुविधा वर्तमान अनुवेशों के अनुसार है। का लगाया जाएगा। हा, खोए हुए चेक की अदायगी सेकने के अनुसेश नोट क सकी गारंटी नहीं दे सकेगा। आदि की परागुली करता है। व्यक्तिगत खातों में बेंक ब	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा ह्याथ 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की जाना चाहिए । 1 हैं। 8. जो चेक, बिल आदि मांग पर संदेय नहीं हैं 3 बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चा सिका 9. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के ि हैं । 10. आवधिक अंतरालों पर प्राहकों को खाते की ति प्राप्त हो सकती हैं । ग्राहक को विवरणों के पूल-चूक की तृटि पाई गई है तो उसे तुरंत कैं के फारण होजेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मे 11. ग्राहक के अवेदन पर मैं के कि किसी अन्य शा 12. ग्राहक के आवेदन पर मैं के कि किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर प्राप्त हो सकर्त	शोधन के माध्यम से की जाएगी। ा राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहीं नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए। गए बैंक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है। वेवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना वाढिए। इस सावधाजी के ज बस्त गर नहीं होगा। के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पर्चियों में दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए। खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा। गिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार व			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि ग्राह थुक कर्म 2. चेक क्रियान भुगा चेक किष् 3. बिना सरि	ही तिथि री (हस्ताक्षर) त नियम र शाहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए इक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग प्रारूपों शाहक को अपतथ्य करायी जाएगी अ वर्षे के के मुद्रित फार्म में ही आहरित कि तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरए के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून ा पूर्व व्यवस्था के शाहक को अपने खात शे की अया रा बेंक के पास रखे हुए नमून वर्ष को अप रा बेंक के पास रखे हुए नमून हा को के सा पर बेंक के सा	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करते के । किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का फाउंटरफाइल के उ किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का फाउंटरफाइल के अधि के स्टायं संतुस्ट दोला चाहिए कि लेलतेला प्रशाणित या जाए। इससे मिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक इस किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक उग् गकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उग हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए। का अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी पट की सुविधा वर्तमान अनुवेशों के अलुट्यार हैं। जा लगाया जाएगा। रा, खोए हुए चेक की अदायगी रोकने के अनुदेश नोट क्	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा प्राथ 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की जाना चाहिए। 1 हैं। 8. जो चेक, बिल आदि मांग पर संदेय नहीं हैं उ बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चा सका 9. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के ि हैं। 10. आवधिक अंतरालों पर प्राहकों को खाते की ि प्राप्त हो सकती हैं। ग्राहक को विवरणों के पूल-चूक की ग्रृटि चाई गई है तो उसे तुरंत बैं के कारण होजेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मे 11. ग्राहक के अवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा ग्रोह का के अवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज़ एवं शेयरों की सुरक्षित अ	शोधन के माध्यम से की जाएगी। ा राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहीं नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए। गए बैंक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है। वेवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना वाढिए। इस सावधाजी के ज बस्त गर नहीं होगा। के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पर्चियों में दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए। खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा। गिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार व			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि ग्राह थुक कर्म 2. चेक क्रियान भुगा चेक किष् 3. बिना सरि	ही तिथि री (हस्ताक्षर) त नियम र शाहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए इक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग प्रारूपों शाहक को अपतथ्य करायी जाएगी अ वर्षे के के मुद्रित फार्म में ही आहरित कि तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरए के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून ा पूर्व व्यवस्था के शाहक को अपने खात शे की अया रा बेंक के पास रखे हुए नमून वर्ष को अप रा बेंक के पास रखे हुए नमून हा को के सा पर बेंक के सा	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के। किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का फाउंटरफाइल के? र स्वरं गए लेन-देन का अधिमाणान बेंक के प्राधि र स्वरं रांतुस्ट दोला चाहिए कि लेकति जमाणित या जाए। इससे मिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थित में बेंक उर गकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए। का अधि आहरण नहीं करना चहिए, भले ही कितनी गट की सुविधा वर्तमान अनुवेशों के अनुसार है। का लगाया जाएगा। हा, खोए हुए चेक की अदायगी सेकने के अनुसेश नोट क सकी गारंटी नहीं दे सकेगा। आदि की परागुली करता है। व्यक्तिगत खातों में बेंक ब	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा श्वाथ 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की ग्वाजा चाहिए । जो चेक के, बिल आदि मांग पर संदेव नहीं है 3 बैंक के पास उगादि के लिए प्रस्तुत करा के ति का आविषक अंतरालों पर आहकों को खाते की ति प्राप्त हो सकती है । शहक को विवरणों के भूल-चूक की शृटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैंक के पारण होलेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मेद 11. शहक के पते में कोई परिवर्तन हो तो उसे बैंक को साफ-साफ अक्षरों में खाता खोलते समय तेरा। 12. शहक के आवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज़ एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर प्राप्त हो सकर्त 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने	शोधन के माध्यम से की जाएगी। ा राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहीं नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए। गए बैंक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है। वेवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना वाढिए। इस सावधाजी के ज बस्त गर नहीं होगा। के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पर्चियों में दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए। खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा। गिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार व			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि प्राह कुछ। कर्म 2. चेक पुगा चेक कि 3. बिना राहि औ 6	ही तिथि र शहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए र शहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए रक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग प्रारूपों ब्राह्मक के मुद्रित फार्म में ही आहरित कि तान बेंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक् तान बेंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक् तान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरए के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून पर्व ज्यवस्था के ग्राहक को अपने खात रोक श्या पर बेंक हुए नमून के श्या पर बेंक हुए नमून के श्या पर बेंक हुए नमून के श्या पर बेंक के पास रखे हुए नमून के श्या पर बेंक के ग्राहक को अपने खात रोक से सूचना मिलने पर बैंक किसी गुमशु तु यदि चेक का इस दौरान मुगतान न हो इ प्राहक्ष्ठ के बिल, ड्रापट, येक, पेंशल बिल र के चेक, ड्रापट डिविडेंड वारंट आदि क	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करते के । किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरफाइल के । किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरफाइल के । के उट्टारं संतुर्ट दोला चाहिए कि टोलार्टेल प्रगाणित या जाए। इससे मिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक उर गकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए, भले ही कितनी म्हा अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी म्हा अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी म्हा खोए हुए चेक की अदायगी रोकने के अनुदेश नोट क् सकी गारंटी नहीं दे सकेगा। आदि की वरास्तूली करता है। व्यक्तिगत खातों में बैंक ब । पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है।	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा हाथ 7. समाशोधन के लिए भेंजे गए चेकों, बिलों की जाना चाहिए । 1 हैं। 8. जो चेक, बिला आदि मांग पर संदेय नहीं हैं उ बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चा सका 9. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के ि हैं । 10. आवधिक अंतरालों पर प्राहकों को खाते की ति प्राप्त हो सकती हैं । ग्राहक को विवरणों के पूल-चूक की ग्रृटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैं के कायण होलेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मे 11. ग्राहक के अवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा ग्राहक के आवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर ग्राप्त हो सकर्त 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने	शोधन के माध्यम से की जाएगी। राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहीं नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हैए। पर बेंक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है। वेवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना वादिए। इस सावधाजी के ज बस्त रार नहीं होगा। के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पर्चियों में दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए। खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा। भिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार व हो है। का अधिकार बैंक के पास है			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि ग्राह थुक । कर्म 2. चेक भूगा चेक किए 3. चिना गरि हैं हैं हैं हैं दें के के दें हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं है	ही तिथि री (हस्ताक्षर) त नियम र शाहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए इक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग प्रारूपों शाहक को अपतथ्य करायी जाएगी अ वर्षे के के मुद्रित फार्म में ही आहरित कि तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरए के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून ा पूर्व व्यवस्था के शाहक को अपने खात शे की अया रा बेंक के पास रखे हुए नमून वर्ष को अप रा बेंक के पास रखे हुए नमून हा को के सा पर बेंक के सा	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के । किया जाता चाहिए । जमा पर्ची का काउंटरफाइल के र गैर किए गए लेन-बेन का अधिप्रमाणन बैंक के प्राधि क स्टायं संतुस्ट ढोला चाढिए कि लेनदेल प्रमाणित वा पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक कर गर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक कर गर्कार्त के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा कर हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए । ह का अधि आहरण नहीं करना चाहिए, मले ही कितनी एट की सुविधा वर्तमान अनुवेशों के अनुसार हैं। ज लगाया जाएगा । गर, खोए हुए चेक की अदायगी रोकने के अनुसेश नोट क सकी गारंटी नहीं दे सकेगा । आदि की वरासूली करता है । व्यक्तिगत खातों में बैंक ब पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है ।	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा श्वाथ 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की ग्वाजा चाहिए । जो चेक के, बिल आदि मांग पर संदेव नहीं है 3 बैंक के पास उगादि के लिए प्रस्तुत करा के ति का आविषक अंतरालों पर आहकों को खाते की ति प्राप्त हो सकती है । शहक को विवरणों के भूल-चूक की शृटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैंक के पारण होलेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मेद 11. शहक के पते में कोई परिवर्तन हो तो उसे बैंक को साफ-साफ अक्षरों में खाता खोलते समय तेरा। 12. शहक के आवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज़ एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर प्राप्त हो सकर्त 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने	शोधन के माध्यम से की जाएगी । तिश खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहं तको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए । तप बैंक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है । वेवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना चाहिए। इस सावधाजी के ज बस्त हर नहीं होगा । के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पचियों में दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए ! खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा । शिक्षा एवं व्याज की वस्त्ली आदि के लिए स्वीकार व ो है । का अधिकार बैंक के पास है 43. स्टील / हाईवेअर 44. स्टॉक एवं शेयर			
खाता बंद करने क प्राधिकृत पदधार चालू खाता के 1. यदि प्राह कुण कर्म 2. चेक किए 3. बिना पारि हैं हैं हैं 5. बैंक केंद्र	ती तिथि री (हस्ताक्षर) त नियम र ग्राहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए रक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग प्रारूप में आद्रण को अपलय करायी जाएगी अ र्वचारी द्वारा किया जाएगा। जागा कर्ता वे त बैंक के मृद्रित फामें में ही आहरित कि ताना बैंक द्वारा रोका जा सकता है। चेक् तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है। चेक् तान येक सकता है बशर्ते कि वह आहरए त के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून प्र प्र च्यवस्था के ग्राहक को अपने खात श की वयों न हो। चालू खाते में ओवरड़ा तक से सूचना मिलने पर बैंक किसी गुमशुन तु यदि चेक का इस दीयन भुगतान न हो इ ग्राहक के बिल, ड्रापट, वैक, पेंशल बिल द को चेक, ड्रापट डिविडेंड वारंट आदि क प्रारलाइंस/एवियेशन हापना एजेंसी वि/कृषीतर उद्योग	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के। तिथा जाना चाहिए । जमा पर्ची का काउंटरण्डाइल के जो किया जाना चाहिए । जमा पर्ची का काउंटरण्डाइल के जो किया जाना चाहिए । जमा पर्ची का काउंटरण्डाइल के जो किया जा हो के के प्राधि के उट्टार्च आंतुरुट ढोला चाहिए कि टोलकेल प्रजाणित या जाए । इससे मिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक उपकार्त के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर । इस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए । का अधि आहरण नहीं करना चाहिए, मले ही कितनी पट की सुविधा वर्तमान अनुवेशों के अनुशार हों। जा लगाया जाएगा । हा, खोए हुए चेक की अवायगी रोकने के अनुरेश नोट क सकी गारंटी नहीं दे सकेगा । आठि की यहायूली करता है । व्यक्तिगत खातों में बैंक ब पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है । उद्योग के 15. कसीनों 16. सीमेंट / पेंट 17. चिट फंड	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा शाथ 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की ग्राह्म जो चेक, बिल आदि मांग पर संदेय नहीं है 3 बंक के पास उगाहि के लिए प्रस्तुत करते को सका 9. आवधिक अंतरालों पर आहकों को खाते को समर अवधिक अंतरालों पर आहकों को खाते की प्राप्त हो सकती है । शाहक को विवरणों के पूल-चूक की शृटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैं के पराप्त हो सकती है । शाहक को विवरणों के पूल-चूक की शृटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैं के पराप्त हो सकती है । शाहक को विवरणों के पूल-चूक की शृटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैं के साफ-साफ अक्षरों में खाता खोलते समय तेरा। 12. शाहक के आवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज़ एवं शेयरों की मुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर प्राप्त हो सकर्त 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने रिड	शोधन के माध्यम से की जाएगी । तिश खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहं तको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए । तप बँक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है । वेवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना चाहिए। इस सावधाओं के ज बस्त हर नहीं होगा । के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पचियों में दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए । खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा । शिक्षा एवं ब्याज की वस्त्ली आदि के लिए स्वीकार व ो है । का अधिकार बैंक के पास है 43. स्टील / हाईवेअर 44. स्टॉक एवं शेयर 45. टैंक स्टार्टअप			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि प्राधिकृत पदधारी विकास कर्म 2. चेक क्रिपा 3. बिना राशि शैक्षि 4. प्राहः परंतु 5. बैंक केंद्र 1. एय 2. दिव्	ती तिथि री (हस्ताक्षर) त नियम र माहक द्वारा वैकित्यक चैनलों से चालू यह कहारा हस्ताक्षित जमा पर्ची का उपयोग प्राक्ष्म हास्व हस्ताक्षित जमा पर्ची का उपयोग प्राक्ष्म हास्व हस्ताक्ष्म जाएगा । जजा कर्ता वै के के के मुद्रित फार्म में ही आहरित कि तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बेंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बेंक अहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून । पूर्व व्यवस्था के माहक को अपने खात शे वो वमों न हो । चालू खाते में ओवरड़ा के के शे पर बैंक के तार में जोवरड़ा के शे पर बैंक के का इस दौरान भुगतान न हो इं माहफ के वित, ड्रायट, वेक, पेंशल वित दे में के के के के के इस दौरान भुगतान न हो इं माहफ के वित, ड्रायट, वेक, पेंशल वित दे के के के के, ड्रायट डिविडेंड वारंट आदि के का स्मर्थ एवियेशान हापन एजेंसी है/कृषीतर उद्योग टोमोबाइल	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के। तिया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरण्डाइल के जो कि सा जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरण्डाइल के जो कि सा करने के जाि कर करा है। के उटवर्स संतुरुट दोला चाहिए कि टोलवेल प्रजािण या जाए। इससे मित्र रूप से आहरित किसी भी चेक उपक्रित किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक उपकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उप हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए। का अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी पर की सुविधा वर्तमान अनुवेशों के अनुराह है। जा लगाया जाएगा। हा, खोए हुए चेक की अदायगी रोकने के अनुरेश नोट क सकी गारंटी नहीं दे सकेगा। आदि की यरायूली करता है। व्यक्तिगत खातों में बैंक ब पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है। उद्योग के 15. कसीनो 16. सीमेंट / पेंट 17. विट फंड 18. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों के जाना चाहिए । हैं। 8. जो चेक, बिल आदि मींग पर संदेव नहीं हैं 3 बेंक के पास उगाही के लिए प्रेजेंग का सकत अवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के हि हैं । 10. आवधिक अंतरालों पर प्रान्त करना चा सम्पर प्रान्त चे सकती हैं । ग्राहक को विवरणों के पूल-चूक की ग्रृटि पाई गई है तो उसे तुरंत कें के का सफ पते में कोई परिवर्ता हो तो उसे कें वा ग्राहक के पते में कोई परिवर्ता हो तो उसे कें वा ग्राहक के पते में कोई परिवर्ता हो तो उसे कें वा ग्राहक के आवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज़ एवं शेयरों की सुरक्षित अ विस्ति जानकारी आवेदन पर ग्राह हो सकर्त 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने रहा 29. आयात/निर्यात 30. मैन्युफैक्चरिंग 31. महाजन 32. मीडिया/मनोरंजन	शोधन के माध्यम से की जाएगी । 1 राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहीं नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए । नवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को स्वित करना चाहिए। इस सावधाली के ज बस्त हर एक मिक्र जानेवाले पत्राचार तथा जमा पचियों मे दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए ! खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा । भिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार व 1 है । का अधिकार बेंक के पास है 43. स्टील / हाईवेअर 44. स्टॉक एवं शेयर 45. टैक स्टार्टअप 46. टेलिकाम			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि प्राध्कर खाता के 2. चेक पुगर चेक विष्ण 3. बिना रहिं ठैं। ठैं। ठैं। ठैं। ठैं। ठैं। ठैं। ठैं	ती तिथि रे पि हस्ताक्षर) रे मिस्स रे महक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू रह इक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग प्राष्ट्र्य में महर्ति जान मार्ची का उपयोग प्राष्ट्र्य में महर्ति क्या जाएगा । जमा एकता है के बैंक के मृद्रित फार्म में ही आहरित कि तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान येक सकता है बशर्ते कि वह आहरए के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून ा पूर्व व्यवस्था के माहक को अपने खाता पूर्व व्यवस्था के माहक को अपने खात स्व के श्रेष पर बैंक द्वारा निचित दरों पर व्य क से सुचना मिलने पर बैंक किसी गुमशु- तु यदि चेक का इस दौरान भुगतान न हो इ प्राह्म्फ के बिल, ड्रापट, येक, पेंशल बिल हे माहक के के बित, ड्रापट, वेक, पेंशल बिल के चेक, ड्रापट डिविडेंड वारंट आदि क	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के। किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरण्डाइत के ; किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरण्डाइत के ; किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरण्डाइत के ; किया जार चहुन देन का अधिप्रमाणन बैंक के प्राधि के उट्टार्य अंतुरुट दोजा चाहिए कि टोलतेका प्रणािण या जाए। इससे भिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक ; पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थित में बैंक उर गकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर । हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए, भले ही कितनी पर वी सुविधा वर्तमान अनुवेशों के अनुरुग्रा है। ज लगाया जाएगा। प्र, खोए हुए चेक की अदायगी रोकने के अनुरेश नोट क्सकी गांटरी नहीं दे सकेगा। आदि की यरायूली करता है। व्यक्तिगत खातों में बैंक ब । पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है। उद्योग को 15. कसीनो 16. सीमेंट / पेंट 17. चिट फंड 18. उपभोका टिकाऊ वस्तुएं 19. कुरियर / माल कार्गी	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा स्माशोधन के लिए भेजे गए चेकों, विलों की कृत जान चाहिए । हैं। 8. जो चेक, बिल आदि मांग पर संदेय नहीं है 3 बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चा सका 9. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के ि है । 10. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के ि सपर प्रात्न हो सकती है । शहक को विवरणों के पूल-चूक की ट्वीट पाई है तो उसे तुरंत बैं के कार्या होजेदाली हानि के लिए बैंक जिम्मे 11. ब्राहक के आवेदन पर वैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज़ एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर प्रात्न हो सकर्त 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने हि 29. आयात/निर्यात 30. मैन्युफैक्चरिंग 31. महाजन 32. मीडिवा/मनोरंजन 33. मेडिकल / स्वास्थ्य	शोधन के माध्यम से की जाएगी । 1 राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहीं नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए । ववरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना वादिए। इस सावधाजी के अधरत सर नहीं होगा । के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पर्चियों में दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए । खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा । शिरक्षा एवं ब्याज की वस्तुली आदि के लिए स्वीकार व हो । का अधिकार बैंक के पास है 43. स्टील / हाईवेअर 44. स्टॉक एवं शेयर 45. टैक स्टार्टअप 46. टेलिकाम 47. कपडें /वस्त्र			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि प्राधिकृत पदधारी चेक प्राप्त चेक विभ वेक विभ वेक वैक वै विभ वेक केंद्र 1. एय 2. विइ 3. कृति 4. आह	ही तिथि री (हस्ताक्षर) त नियम र शाहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए इक द्वारा हस्ताक्षरत जाम पर्ची का उपयोग इक्त द्वारा हस्ताक्षरत जाम पर्ची का उपयोग इक्त ह्वारा हस्ताक्षरत जाम पर्ची का उपयोग इक्त ह्वारा हस्ताक्षरत जाम इक्त के मुद्रित फार्म में ही आहरित कि तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरए के के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून । पूर्व व्यवस्था के ग्राहक को अपने खात इंग की श्यार वेंक हो द्वारा निर्धारित दंशे पर खा क शेष घर बेंक को इस दौरान भुगतान न हो इ । ग्राहक के बिल, ड्रायर, पैक, पैशल बिल दं के चेक, ड्रापट डिविडेंड वारंट आदि क गरलाईस/एवियेशन हापना एजेंसी थे/कृषीतर उद्योग टोमोबाइल टोपाटर्स टो फिनांस	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करते के । किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरफाइल के । किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरफाइल के । किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरफाइल के अधि के लिए ने ले ते जमा कि के प्राधि के रायुंट होता चाहिए कि ले ले ते जमा थिए या जाए। इससे भिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक । पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक उर गकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर । हस्ताक्षर के अनुरूप नहीं करना चाहिए। का अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी पर की सुविधा वर्तमान अनुक्रेणों के अजुराग है। जा लगाया जाएगा। ता, खोए हुए चेक की अवायगी रोकने के अनुरेश नोट क्सकी गारंटी नहीं दे सकेगा। आदि की वरागूली करता है। व्यक्तिगत खातों में बैंक ब । पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है। 15. कसीनो 16. सीमेंट / पेंट 17. चिट फंड 18. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 19. कुरियर / माल कार्गो 20. निर्माण / आवासन	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा प्राध 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की क्कृत जाना चाहिए । 1 हैं। 8. जो चेक, बिला आदि मांग पर संदेय नहीं हैं उ बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चा सका 9. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के हि है । 10. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के हि सपर प्राल हो सकती है । ग्राहक को विवरणों के प्रल-चूक की गृटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैं के प्राटण होजेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मे 11. ग्राहक के अवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर ग्राप हो सकर्त 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करमे हेड 29. आयात/नियाँत 30. मैन्युफैक्चरिंग 31. महाजन 32. मीडिया/मनोरंजन 33. मेडिकल / स्वास्थ्य 34. मार्बल एवं ग्रेनाइट	शोधन के माध्यम से की जाएगी । 1 राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहें नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए । नए बँक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है । वेवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना वादिए। इस सावधाली के ज बस्त हर एक पत को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना वादिए। इस सावधाली के ज बस्त हर एक पत को ध्यान से जांच करना चाहिए । खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा । भिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार व हो है । का अधिकार बँक के पास है 43. स्टील / हाईवेअर 44. स्टॉक एवं शेयर 45. टैक स्टार्टअप 46. टेलिकाम 47. कपडें /वस्स 48. यात्रा एवं पर्यटन			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि ग्राह कुछ । कर्म 2. बेक किए 3. बिना गरि हैं हैं हैं हैं हैं दें के केंद्र 1. एय 2. बिक् 3. कृदि 4. आह	ति विधि र ग्राहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए रक द्वारा हस्ताक्षर) त नियम र ग्राहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए रक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग ग्राह्म विद्या ग्राह्म विद्या ग्राह्म विद्या ग्राह्म विद्या ग्राह्म विद्या ग्राह्म विद्या ग्राह्म ग्राह्	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के । किया जाना चाहिए । जमा पर्ची का जाउंटरण्डाद के विकास का निकास के निकास के हिस्स के अधिकाणां बेंक के आधित कर राहुंटर दोला चाहिए कि टोलांट्रल प्रणािंग के उथ्यं संतुर्टर दोला चाहिए कि टोलांट्रल प्रणािंग या जाए । इससे मिन्न रूप से आहरित किसी भी चेंक पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थित में बैंक उर गकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर । हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए , भले ही कितनी पट की सुविधा वर्तमान अनुवेशों के अनुस्था हो। लागाया जाएगा । दा, खोए हुए चेंक की अदायगी रोकने के अनुसेश नोट क्सि गारंटी नहीं दे सकेगा । आदि की परायुली करता है । व्यक्तिगत खातों में बैंक ब । पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है । इस्सेम के 15. कसीनों 16. सीमेंट / पेंट 17. चिट फंड 18. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 19. कुरियर / माल कार्गों 20. निर्माण / आवासन 21. कंसेलटेंसी (सलाहकार सेवाएं)	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा प्राथ 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की कुत जाना चाहिए । 1 हैं। 8. जो चेक, बिल आदि मोंग पर संदेय नहीं है 3 कैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चाहिए । आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के हि । 10. आवधिक अंतरालों पर प्राहकों को खाते की हि । 10. आवधिक अंतरालों पर प्राहकों को खाते की हि । 11. प्राप्त हो सकती है । ग्राप्टक को विवरणों के पूल-चूक की तृटि पाई गई है तो उसे तुरंत कें के प्राप्त से मार्क सफ पते में कोई पीरवर्तन हो तो उसे वैंव को प्राप्त से सकती 11. ग्राप्टक के भावेदन पर बैंक के किसी अन्य शा । 13. बैंक, सिक्युपिटीज एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवदन पर प्राप्त हो सकती 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करमे । 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करमे । 15. वेंक, सिक्युपिटीज एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवदन पर प्राप्त हो सकती 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करमे । 15. वेंक प्राप्त हो स्वर्धर अ में मुर्फिनचरिंग अ में मिल्य प्राप्त हो स्वर्धर अ मार्किल एवं ग्रेनाइट अ तेल एवं गैस	शोधन के माध्यम से की जाएगी । । पारि। खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहं नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए । गए बैंक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है । वेवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना चाहिए और य क को सूचित करना चाहिए और य क को सूचित करना चाहिए। सा भी किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पिचियों में विद गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए। खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा। भिरक्षा एवं व्याज के वस्ती आदि के लिए स्वीकार व है । का अधिकार बैंक के पास है 43. स्टील / हाईवेअर 44. स्टॉक एवं शेयर 45. टैक स्टार्टअप 46. टेलिकाम 47. कपई /वस्त्र 48. यात्रा एवं पर्यटन 49. यात्रायात/आरत वाडला			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी 1. यदि ग्राह् खाता के 1. यदि ग्राह ग्रुण कर्म 2. चेक किए 3. बिना गरि ठैंकि 4. ग्राह परंतु 5. बैंक् केंद्र 1. एय 2. विश्व 3. कृषि 4. ग्राह परंतु 5. बैंक् 6. आत 7. हथि 8. बैंवि	ही तिथि री (हस्ताक्षर) त नियम र शाहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए इक द्वारा हस्ताक्षरत जाम पर्ची का उपयोग इक्त द्वारा हस्ताक्षरत जाम पर्ची का उपयोग इक्त ह्वारा हस्ताक्षरत जाम पर्ची का उपयोग इक्त ह्वारा हस्ताक्षरत जाम इक्त के मुद्रित फार्म में ही आहरित कि तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक तान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरए के के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून । पूर्व व्यवस्था के ग्राहक को अपने खात इंग की श्यार वेंक हो द्वारा निर्धारित दंशे पर खा क शेष घर बेंक को इस दौरान भुगतान न हो इ । ग्राहक के बिल, ड्रायर, पैक, पैशल बिल दं के चेक, ड्रापट डिविडेंड वारंट आदि क गरलाईस/एवियेशन हापना एजेंसी थे/कृषीतर उद्योग टोमोबाइल टोपाटर्स टो फिनांस	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करते के । किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरफाइल के । किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरफाइल के । किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरफाइल के अधि के लिए ने ले ते जमा कि के प्राधि के रायुंट होता चाहिए कि ले ले ते जमा थिए या जाए। इससे भिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक । पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक उर गकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर । हस्ताक्षर के अनुरूप नहीं करना चाहिए। का अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी पर की सुविधा वर्तमान अनुक्रेणों के अजुराग है। जा लगाया जाएगा। ता, खोए हुए चेक की अवायगी रोकने के अनुरेश नोट क्सकी गारंटी नहीं दे सकेगा। आदि की वरागूली करता है। व्यक्तिगत खातों में बैंक ब । पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है। 15. कसीनो 16. सीमेंट / पेंट 17. चिट फंड 18. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 19. कुरियर / माल कार्गो 20. निर्माण / आवासन	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा प्राध 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की क्कृत जाना चाहिए । 1 हैं। 8. जो चेक, बिला आदि मांग पर संदेय नहीं हैं उ बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चा सका 9. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के हि है । 10. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के हि सपर प्राल हो सकती है । ग्राहक को विवरणों के प्रल-चूक की गृटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैं के प्राटण होजेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मे 11. ग्राहक के अवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर ग्राप हो सकर्त 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करमे हेड 29. आयात/नियाँत 30. मैन्युफैक्चरिंग 31. महाजन 32. मीडिया/मनोरंजन 33. मेडिकल / स्वास्थ्य 34. मार्बल एवं ग्रेनाइट	शोधन के माध्यम से की जाएगी । 1 राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहें नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए । नए बँक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है । वेवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना वादिए। इस सावधाली के ज बस्त हर एक पत को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना वादिए। इस सावधाली के ज बस्त हर एक पत को ध्यान से जांच करना चाहिए । खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा । भिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार व हो है । का अधिकार बँक के पास है 43. स्टील / हाईवेअर 44. स्टॉक एवं शेयर 45. टैक स्टार्टअप 46. टेलिकाम 47. कपडें /वस्स 48. यात्रा एवं पर्यटन			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि प्राह खुक्कः चेक कर्म 2. चेक किए 3. बिना सरि हैं हैं हैं दे 1. एय 2. विक् 3. कृषि 4. प्राह 5. बैंक केंद्र 1. एय 2. विक् 3. कृषि 4. प्राह 5. बैंक केंद्र	ति विधि र ग्राहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए इक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग प्राह्म में मालू को अल्लाथ करायी जाएगी अ चित्र हारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग प्राह्म में माल्य को अल्लाथ करायी जाएगी अ चित्र हारा रोका जा सकता है। चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है। चेक तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है। चेक तान येक सकता है बशर्ते कि वह आहरण के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून ग्राप्त वेयवस्था के ग्राहक को अपने खाता श की क्यों न हो। चालू खाते में ओवरड़ा एक शेष पर बैंक द्वारा निधारित दरों पर ब्या का से सूचना मिलने पर बैंक किसी गुमशुख्त तु यदि चेक का इस वौरान भुगतान न हो इ ज्ञाहक के बिल, ड्रायट, वेक, पेंशल बिल द के चेक, ड्रायट डिविडंड वारंट आदि का सरलाइंस/एवियेशन ह्वापन एजेंसी के कृषीतर उद्योग टोमोबाइल टोपाट्स टो फिनांस येवारों के व्यापारी केंग/वितीय सेवाएं	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के । किया जाना चाहिए । जमा पर्ची का काउंटरणडल के । तैर किए गए लेन-देन का अधिममाणन बैंक के प्राधि तेर किए गए लेन-देन का अधिममाणन बैंक के प्राधि तेर खेला राहिए कि लेजतेल प्राणाणि या जाए । इससे मिन्न रूप मे आहरित किसी भी चेक । पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक उर गकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर । हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए । का अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी मट की धुविधा वर्तमान अनुवेशों के अलुशार हैं। जा लगाया जाएगा । आठि की राश्मुली कराता है । व्यक्तिगत खातों में बैंक ब । पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है । ख्रोम के 15. कसीनो 16. सीमेंट / पेंट 17. चिट फंड 18. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 19. कुरियर / माल कार्यों 20. निर्माण / आवासन 21. कंसेलटेंसी (सलाहकार सेवाएं) 22. इलेक्ट्रानिक्स	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा प्राथ 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की ब्कृत जो चेक, बिल आदि मोंग पर संदेय नहीं है 3 बँक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चारी सक्त 9. आवधिक अंतरालों पर धन-पेषण आदि के हि है 1 10. आवधिक अंतरालों पर धन-पेषण आदि के हि सपर प्राप्त हो सकती है । शहक को विवरणों के पूल-चूक की तृटि पाई गई है तो उसे तुरंत कें कम के पर्टेग के आवेदन पर शैंक के किसी अन्य शा 11. शहक के पते में कोई परिवर्तन हो तो उसे वैंव को साफ-साफ अक्षरों में खाता खोलते समय तेरा। 12. शहक के आवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज़ एवं शेयरों की सुपक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर प्राप्त हो सकर्त 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने 158 29. आयात/निर्यात 30. मैन्युफैक्चरिंग 31. महाजन 32. मीडिया/मनोरंजन 33. मेडिकल / स्वास्थ्य 34. मार्बल एवं ग्रेमाइट 35. तेल एवं गैस 36. पेट्रोल पंप	शोधन के माध्यम से की जाएगी । राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहें नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए । नवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को स्पूचित करना वादिए। इस सावधाओं के व धरा हार नहीं होगा । के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पर्चियों में दिए गए काता नंबर का उल्लेख करना चाहिए । खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा । शिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार व वे । है । का अधिकार बैंक के पास है 43. स्टील / हाईवेअर 44. स्टॉक एवं शेयर 45. टैक स्टार्टअप 46. टेलिकाम 47. कपडें /वस्म 48. याना एवं पर्यटन 49. यातायात/गाटा वादला 50. विदेशी मुझा के व्यापारी/सराफा 51. भोफेशनल (डाक्टए/वकील/ईजीनियरी सलाहकार आदे,			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि प्राह्म 2. चेक पुणः चेक कि विका 3. बिना राशि 3. बिना राशि 4. प्राह्म परंत् 5. बैंक केंद्र 1. एय 2. विइ 3. कृषि 4. आह	ती तिथि री (हस्ताक्षर) त नियम र माहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए क द्वारा हस्ताक्षरित कमा पर्ची का उपयोग प्राक्ष्य माहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू ए क द्वारा हस्ताक्षरित कमा पर्ची का उपयोग प्राक्ष्य माहक को अपलय्य करायी जाएगा प्राक्ष्य माहक कमा प्रात्ता के महित फार्म में ही आहरित कि तान बैंक द्वारा रोका जा सकता है । चेक् तान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरए क के आहरण के समय ध्यान दिया जाए ए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमून प्राप्त व्यवस्था के माहक को अपने खात प्राप्त के अप वर्षे का हारा रोक्षरित वसे पर व्यवस्था के हा हारा निर्धारित वसे पर व्यवस्था के शाहक को अपने खात प्रात्त के अप वर्षे का हारा निर्धारित वसे पर व्यवस्था मिलने पर वैक किसी गुमशु तु यदि चेक का इस दौरान भुगतान न हो इ जाहक के बिल, ड्रापट, येक, पेंशल बिल को चेक, ड्रापट डिविडेंड वारंट आदि क सरलाइंस/एवियेशन हाराम एजेंसी वि/कृषीतर उद्योग टोमोबाइल टोपाट्स टो फिनांस थवारों के व्यापारी केंग/वितीय सेवाएं हीनियरिंग एवं कैपिटल गुड्स द्वा / रसायन / बीज टनाशक	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करते के। किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरणाइक के। किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरणाइक के। किया जाना चाहिए। जमा पर्ची का काउंटरणाइक के। के उट्टारं अंतुस्ट ढोला चािहेए कि लेलतेल प्रशािण कर साथित करा पार्ट पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थित में बैंक उर गकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर हस्ताक्षर के अनुरूप होना चािहए। का अधि आहरण नहीं करना चािहए, भले ही कितनी पट की सुविधा वर्तमान अनुवेशों के अलुखार हैं। जा लगाया जाएगा। ग्र, खोए हुए चेक की अवायगी रोकने के अनुवेश नोट क्सकी गारंटी नहीं दे सकेगा। आदि की वरागूली करता है। व्यक्तिगत खातों में बैंक बा पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है। हां कसीनो 15. कसीनो 16. सीमेंट / पेंट 17. चिट फंड 18. उपभोका टिकाऊ वस्तुएं 19. कुरियर / माल कार्गा 20. निर्माण / आवासन 21. कंसेलटेंसी (सलाहकार सेवाएं) 22. इलेक्ट्रानिक्स 23. फर्नीचर / लकड़ी 24. सरकारी निकाय 25. होटल / रेस्तारंट	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा शाध 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की ग्कृत जो चेक, बिल आदि मोंग पर संदेय नहीं है 3 बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चा सका 9. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के हि है 1 10. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के हि है 1 10. आवधिक अंतरालों पर प्राहकों को खाते की हि सपर प्राल हो सकती है 1 शाहक को विवरणों के प्रल-चूक की हृटि चाई गई है तो उसे तुरंत बैंद के फाएण होजेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मेर 11. ब्राहक के आवेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज़ एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर प्राप्त हो सकती 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने रेड 29. आयात/निर्यात 30. मैन्युफैक्चरिंग 31. महाजन 32. मीडिया/मनोरंजन 33. मेडिकल / स्वास्थ्य 34. मार्बल एवं ग्रेनाइट 35. तेल एवं गेस 36. पेट्रोल पंप 37. औषध बनानेवाली कंपनियां 38. पादर/बिजली 39. मुद्रण/प्रकाशन	शोधन के माध्यम से की जाएगी । राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहें नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए । नए बँक स्थायी आदेशों का स्वीकार करता है । ववरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को सूचित करना वादिए। इस सावधाजी के ज बस्त रार नहीं होगा । के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पिचयों में दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए । खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा । भिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार व है । का अधिकार बँक के पास है 43. स्टील / हाईवेअर 44. स्टॉक एवं शेयर 45. टैंक स्टार्टअप 46. टेलिकाम 47. कपडें /वस्म 48. यात्रा एवं पर्यटन 49. यात्राधात/जाता वादाजा 50. विदेशी मुद्रा के व्यापारी/सराफा प्रोफेशनल (डाक्ट्य/वकील/ईजीनियरी सलाहकार आदे, 52. रिटेल चेन / एफएमसीजी			
खाता बंद करने की प्राधिकृत पदधारी चालू खाता के 1. यदि प्राह पुष्ण कर्म 2. चेक कि य 3. बिन राहि ठैं लि 4. प्राह रदे दें के के दें विद् 3. बृति 4. प्राह रदे विद् 3. बृति 4. प्राह रदे विद 3. बृति 4. आह रदे विद त त त हथि विद त त त त हथि विद त त त हथि विद त त त त हथि विद त त त त त हथि विद त त त त त त त त त त त त त त त त त त त	ती (हस्ताक्षर) त नियम र माहक द्वारा वैकित्पक चैनलों से चालू ए इक द्वारा हस्ताक्षर) इक द्वारा हस्ताक्षर कमा पर्ची का उपयोग माम्या में महत्त किया कमा पर्ची का उपयोग माम्या माम	वाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के । तिया जाना चाहिए । जमा पर्ची का काउंटरण्डाइत के जो कि सा जाना चाहिए । जमा पर्ची का काउंटरण्डाइत के जो कि सा जाना चाहिए । के लेकते का आधिप्रमाणन बेंक के प्राधि के उटायं अंतुरुट दोला चाहिए कि टोलवेल प्रणाणित या जाए । इससे मिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक उपकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उर हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए । ता अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी पट की सुविधा वर्तमान अनुवेशों के अनुरुग्ड हैं। जा लगाया जाएगा । ता, खोए हुए चेक की अवायगी रोकने के अनुरेश नोट क सकी गारंटी नहीं दे सकेगा । आदि की रारायूली करता है । व्यक्तिगत खातों में बेंक ब । पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है । उद्योग के 15. कसीनो 16. सीमेंट / पेंट 17. विट फंड 18. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं 19. कुरियर / माल कार्गी 20. निर्माण / आवासन 21. कंसेलटेंसी (सलाहकार सेवाएं) 22. इलेक्ट्रानिक्स 23. फर्नीचर / लकड़ी 24. सरकारी निकाय	लिए 6. स्थानीय चेक आदि की वसूली सीटीएस समा हाधा 7. समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों के जाना चाहिए । 18 8. जो चेक, बिल आदि मांग पर संदेव नहीं है उ बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चा सका 9. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के ि है । 10. आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के ि सपर प्रात्त के सिपर प्राहकों को खाते की त प्राप्त हो सकती है । ग्राहक को विवरणों के प्राप्त हो सकती है । ग्राहक को विवरणों के प्राप्त हो सकती है । ग्राहक को विवरणों के प्राप्त हो सकती है । ग्राहक को विवरणों के प्राप्त हो सकती है । ग्राहक को विवरणों के प्राप्त हो सकती है । ग्राहक के अग्वेदन पर बैंक के किसी अन्य शा 13. बैंक, सिक्युरिटीज एवं शेयरों की सुरक्षित अ जिसकी जानकारी आवेदन पर ग्राप्त हो सकर्त 14. इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने 18 29. आयात/नियांत 30. मैन्युफैक्वरिंग 31. महाजन 32. मीडिया/मनोरंजन 33. मेडिकल / स्वास्थ्य 34. मार्बल एवं ग्रेनाइट 35. तेल एवं गैस 36. पेट्रोल पंप 37. औषध बनानेवाली कंपनियां 38. पावर/बिजली	शोधन के माध्यम से की जाएगी । राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहें नको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवर हेए । नवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन व हर एक मद को ध्यान से जांच करना चाहिए और य क को स्पूचित करना वादिए। इस सावधाओं के व धरा हार नहीं होगा । के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पर्चियों में दिए गए काता नंबर का उल्लेख करना चाहिए । खा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा । शिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार व वे । है । का अधिकार बैंक के पास है 43. स्टील / हाईवेअर 44. स्टॉक एवं शेयर 45. टैक स्टार्टअप 46. टेलिकाम 47. कपडें /वस्म 48. याना एवं पर्यटन 49. यातायात/गाटा वादला 50. विदेशी मुझा के व्यापारी/सराफा 51. भोफेशनल (डाक्टए/वकील/ईजीनियरी सलाहकार आदे,			

हम, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एस ओ. 2155 (ई) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र डी बी आर. ए एम एल. बी.सी क्र. 36/14.01.001/2015-

	वित्तीय संस्था की स्थिति को टिक करें						
	इकाई का नाम						
1. 事)	डिपोजिटरी संस्था						
ख)	संरक्षक संस्थान						
ग)	निवेश इकाई जो निष्क्रिय एन एफ ई नहीं है						
घ)	निर्दिष्ट बीमा कंपनी						
2.	मालिक-आधारभूत यूएस मालिक के साथ प्रलेखित वित	ीय संस्था (अनुलग्नक - II	के अनुसार आधारभूत यूएस मालिक का विवरण लेना है)				
3.	रिपोर्टिंग वितीय संस्था						
4.	यदि उपरोक्त 2 और 3 हाँ है तो कृपया वैश्विक मध्यवर	र्षि पहचान नंबर (जीआईआ	र्णन)हे।				
5,	गर प्रतिभागिता वित्तीय संस्था						
6.	गैर रिपोर्टिंग वितीय एकाई (यदि हाँ तो नीचे अलिका में ।	किसी एक श्रेणी में टिक करें					
क्र.स	एनआरएफआई की श्रेणी		क्र.स एनआरएफआई की श्रेणी				
1,	सरकारी इकाई :	13					
2.	अंतररष्ट्रीय संगठन :	14	14 एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा (i) से (xiii) में उल्लिखित है औं जो किसी भी ऋण ब्याज को किसी एक डिपॅजिटरी संस्था या एनआरएफआई द्वारा (i) से (xiii) ने उल्लिखित, में रखारे हैं। 15 योक्य क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता: 16 सीटीबीटी नियमों के अनुसार निर्विष्ट निवेश इकाई (नियम 11 4 एफ (5) (एफ):				
3.	केंद्रीय बेंक :	15					
4.	ट्रिटि क्वालिफाइड रिटायरमेंट फंड :	16					
5.	नैरो पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड :	17	छूटप्राप्त सामृहिक निवेश इकाई	7,1107(7,17)			
6.	ब्रॉड पार्टिसिपेशन रिटायरमेंड फंड :	18	ट्रस्टी - डाकुमेंटड इंडियन ट्रस्				
7,	0.4 0.10) 00		स्थानीय ग्राहक आचारित वितीच संस्थान				
8,	अंतरराष्ट्रीय सांगठन की पेन्शन निर्पि :	20	द्येभीच ब्रामीण वेंक, अठरी राठकारी वेंक, राज्य राठकारी वेंक, जिला केंद्रीत	- 12 50			
9.	केंद्रीय बेंक की पेन्शन निधि :	21	रहेमाती बैंक, स्थानीय क्षेत्र निर्धा सहित स्थानीय केंक्र बरते कि स्थान प्रतिक्षा विक वैत्र्यल वस्त्रा मूल्य खाते वाली वितीय संस्था	म ११४ एक (एक) के उपन्यंत्रप्रका (ओ) के अनुसार, क्षेत्र			
10.	सशस्त्र बलों की गैर सार्वजनिक निधि :	22	प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी कर्पोरेशन (रिपोर्टि	ग सोगय यएस खाते के मंबंध में)			
11,	कर्मचारी राज्य बीमा निधि :	23	प्रायोजित सीमित धाटता वाली निवेश वाहन (रिपोर्टिंग योग्य यू				
12				i (i) से (xiii) में उल्लिखित			

हम प्रमाणित करते हैं कि सीबीडीटी नियमों/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार हम वित्तीय संस्था की ओर से	हस्ताक्षर करने के पात्र हैं।
दिनांक :	
स्थान ः	

इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

नियंत्रक व्यक्ति - सी पी (निष्क्रिय एनएफई के लिए)/ संबंधित व्यक्ति-आरपी/लाभार्थी मालिक के वैयक्तिक विवरण	अनुलग्नक - ॥						
(प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक के लिए अलग अलग फार्म भरा जाए)							
केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए आवेदन का प्रकार*	नियंत्रक व्यक्ति/ संबंधित व्यक्ति/ लाभार्थी मालिक का फोटो						
केवाईसी क्रमांक (यद उपलब्ध हो तो*) नियंत्रण का प्रकार : विधिक व्यक्ति के मामले में स्वामित्व अन्य प्रकार विधिक क्यक्ति के मामले में व्यवस्थापनकर्ता न्यासी संरक्षक लापार्थी अन्य कानूनी व्यवस्था के सेटलर के समान न्यासी के समान संरक्षक के समान लाभार्थी के समान	एवं नाम अनिवार्य अन्य अन्य अन्य के समान						
1. ख संबंधित व्यक्ति के विवरण							
नियंत्रक व्यक्ति की जोड़ना नियंत्रक व्यक्ति को हटाना नियंत्रक व्यक्त के विवरण अद्यतन करना सबंधित व्यक्ति को जोड़ना कियाइसी क्रमांक ठीने पर केवल संबंधियत प्र संबंधित व्यक्त प्रकार* निर्देशक प्रवर्तक कर्ता न्यासी भागीदार (लागू होने पर एक से अधिक न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी लाभार्थी लाभार्थी लाभार्थी पालिक (पृष्ठ क्र 18 की परिभाषा देखें)	कार एवं नाम अनिवार्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अन्य						
2. वैयक्तिक विवरण" (कृपया अनुदेश छ.॥ देखें)							
प्रिफिक्स पहला नाम बीच का नाम नाम (पहचान पत्र प्रमाण के समान)* आरंशिक्क जांग्र (शिंद कोई तो तो*) पिता का नाम* पति/पत्नी का नाम* प्रशाईडी/आधार संख्या डीआई एन (डाइरेक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर): जन्म तिथि *: िव वि मा मा व व व व लिंग: प-पुरुष म-मिदिला टी-ट्रांसजेंडर वैवाहिक स्थिति *: विवाहित आविवाहित अन्य राष्ट्रीयता: शा-शारतीय अन्य	देश कोड (आईएसओ 3166)						
निवास स्थिति *: जिवासी वैविशिक जैंग्र-शास्तीय जिवासी विदेशी राष्ट्रिक नागरिकता *: भारतीय अन्य अन्य स्वसाय प्रकार यन्यसाय प्रकार यन्यसाय प्रकार यन्यसाय प्रकार यन्यसाय सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र सविनयोजित सेवानिवृत्त गृहिणी यन्वयासाय गैर-वर्गीकृत यज्ञनीतिक रूप से जुड़ा व्यक्ति : हाँ नहीं यज्ञनीतिक रूप से जुड़ा व्यक्ति : हाँ नहीं यज्ञनीतिक रूप से जुड़ा व्यक्ति वह होता है, जिसे किसी विदेश में प्रमुख सार्वजनिक का गई हो। उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सेव के स्वामित्व के निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनीतिक वल के अधिकारी अ (आउत के क्षान्य के क्षान्य के क्षान्य के क्षान्य के कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनीतिक वल के अधिकारी अ (आउत के क्षान्य के क्षान्य के क्षान्य के निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनीतिक वल के अधिकारी अ	ा अधिकारी, राज्य सरकार ग़दि ।						

पण कर पढ़वान क्रमांक (एटन) अथवा एसा द्वां कर प्रयाजन स निवास का क्षेत्राधिकारी भारत होने पर,							
(आईएसओ 3166)							
3. आधार / पैन में वर्तमान पता न होने पर पते का प्रमाण							
(वर्तमान पता युक्त निम्नलिखित में से कोई एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए)							
The state of the s							
ा अर्था हिना स्व ा ता श्रीराव तराव ता वा							
ई-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया ई-पत्र जिसमें ये शामिल हो <u>एफ-आधार</u> अथवा							
3 मांद्र की सीमित अवधि के लिए वर्तमान पते का प्रमाण (अगर बिन्दु क्रमांक ३ में आधिकारीक रूप से वैध दस्तावेजों में अद्यतन पता नहीं हैं)							
आधिकारिक रूप से वैध माने जाने वाले किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए पते का प्रकार *: आवासीय पता आवास व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय गैर-सचित							
जिल्ला वार्यक्षा वार्यक्षा वार्यक्षा							
पते का प्रमाण *: यूटितिटी बिल नगरपालिका कर रसीद पिपान भुगतान आदेश (पीपीओ) राज्य/केंद्र/सरकारी/सांविधिक अथवा विनियामक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र निकाय/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक /वित्तीय संस्था/सूचीबद्ध कंपनियों के नियोजकों द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र							
4.आवास विवरणः							
स्थायी पता जो वर्तमान पता के समान हो							
दस्तावेज क्रमांक /पहचान क्रमांक *							
हारा जारी कर्ता*							
जारा करन का तिथ							
वनाय तमाय होने या ताय (याद लायू हा ता)							
लाइन 1*:							
लाइन 2*:							
लाइन 3* : 9१हर/जगर/गॉव*:							
जिला *: पिन/डाक कोड *:							
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
(গ্রাই্সেমা 3166)							
5.संपर्क विवरण (सभी पत्र, दिए गए मोबाइल नंबर-ई-मेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे) (कृपया अंत मे दिए गए अनुदेश 'च' को देखें)							
टेलीफोन (आवासीय):							
फैक्स :							
मोबाइल 1 मोबाइल 2							
ई-मेल आईडी 1							
ई-मेल आईडी 2							
 बहुविध कर रेसिडेंसी ः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा/अथवा भारत के बाहर के किसी देश अथवा क्षेत्र के बाहर के कर रेसिडेंस देश के विवरण (भारत के अलावा) ः 							
कर रेसिडेंस का देश कर पहचान क्रमांक अथवा एसा कोई प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रहचान का प्रकार (दिन अथवा अन्य, क्रपया निर्देष्ट करें)							
कर पहचान का प्रकार (दिन अथवा अन्य, कृपया निर्देष्ट करें)							
# यदि कर रेसिडेंस का देश भारत हैं तो पैन को दिन मानाजाए ।							
1. संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले व्यक्ति संदित संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, जो अन्य देश का निवासी हो (जिसले संयुक्त राज्य अमेरिका की लागरिकता वहीं छोड़ि हो)							
युक्त गञ्ज शोरिका में काने वाला व्यक्ति 3. कुछ ऐसे व्यक्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 180 से अधिक दिन रहते हैं l							
7.क्षेत्राधिकार∕देश के बाहर का पता-जहां आवेदक कर प्रयोजन के लिए अनिवासी भारतीय है							
पते का प्रकार *: आवासीय / व्यवसाय आवासीय व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित							
पते का प्रकार [*] ः आवासीय / व्यवसाय आवासीय व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित							
पते का प्रकार *: आवासीय / व्यवसाय आवासीय व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित लाइन 1* :							
पते का प्रकार *: आवासीय / व्यवसाय आवासीय व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित लाइन 1* :							
पते का प्रकार *: आवासीय / व्यवसाय आवासीय व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय गैर-सूचित लाइन 1* :							

	8. फार्म-60 (पैन उपलब्ध न होने पर)						
	नाम : (पहचान पत्र के प्रमाण के समान हो)						
	पैन के लिए आवेदन किया गया हो और अभी तक न मिला हो तो कृपया आवेदन करने की तारीख और पायती क्रांगांक उँग करें। यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया गया है, तो उस वित्त वर्ष जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है, के लिए आय कर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार (पाति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की) आय सहित अनुमानित कुल आय भरें।						
	कृषि आय (₹) ि कृषि आय सहत अनुमानित कुल आय भर ।						
	<u> अत्यापन</u>						
	में						
	घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर						
	१. आवेदनकर्ता की घोषणा						
•	गैं/हम प्राप्त करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम उसमें कोई बदलाव होने पर आपको उसकी सूचना तुरंत दूँगा/दूँगी/देंगे।कोई भी सूचना गलत अथवा भ्रापक अथवा गलत प्रस्तुत किए जाने पर मुझे/हमे पता है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी/रहूँगे। मेरे/हमारे केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा किए जा सकते हैं। उपर्युक्त पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएआएस/ई-गेल से केट्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से स्वार्थ कर वोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क. एस.ओ. 2155 (ई) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के अंतर्गत लागू नियमों तथा इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.एएमएल.बीसी.क्र. 36/14.01.001/2015-16 के अनुसार मैंने/हमने परवर्ती संशोधन सहित अपनी स्थिति की घोषणा कर दी है।						
	मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं, स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं तथा प्राधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं कि आवास की स्थिति तथा/या उसमे निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और और इस मामले पर भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक को मेरे/हमारे खाते (खातों) से संबंधित विवरण निर्धारित प्रारूप पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), या अन्य सरकारी एजेंसी को अंतर-सरकारी करार (आईजीए) की बाध्यता के अनुपालन के तहत विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका) तथा कॉमन रिपोर्टिंग स्टैडर्टस (सीआरएस) तथा/या किसी समान व्यवस्था के तहत रिपोर्ट किए जा सकते हैं। मैं/हम प्रमाणित तथा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि खाता खोलने तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए अथवा वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित तथा खाता खोलने के लिए एवं अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा किया गया दस्तावेजी प्रमाण, मेरी जानकारी के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा मैंने/हमने ऐसी कोई महत्वपूर्ग सूचना नहीं छिपाई, जिससे कि मेरे/हमारे खाते को यू एस रिपोर्टेंबल खाता या अन्य के रूप में निर्धारित करने/वर्गीकरण करने में बाधा उत्पन्न हो। मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत या झूटी या थ्रामक या गलत प्रस्तुत किए जाने पर, मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।						
•	मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ/अथवा अन्य स्थान पर दी गई जानकारी, प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने अथवा कोई प्रमाणीकरण गलत होने अथवा बदल जाने पर, ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसकी घोषणा एवं सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी । जब कभी अपेक्षित होने पर दस्तावेजी प्रमाण के साथ नया एवं वैध स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ । जब तक उपर्युक्तानुसार बैंक को संशोधित स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया नहीं जाता, तब तक मेरे द्वारा दी गई ऐसे सभी संशोधित दस्तावेज/जानकारी के मामले में भी यहां दिया गया वचन लागू होगा ।						
	मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि अब या भविष्य में मुझे/हमें धात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/भूचना प्रकट करने या निर्धारित समय के भीतर किसी विसंगति का समाधान नहीं करने पर मैं खाते से लेनदेन कर नहीं पाऊँगा। अन्य विवरण तथा मेरे खाते में परिचालन पर रोक लगाने या उसे बंद करने या किसी भी विकियामक या शायत सरकार (जीओआई/शारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए तैनात प्राधिकरण है, या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बैंक को है ।						
•	भारत या विदेश में खाता के परिचालन या रख-रखाव से संबंधित किसी भी नियम के बदलने के कारण मुझसे/हम से मांगी जानेवाली किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने या सूचित करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं ।						
•	मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियम/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मुझे/हमें संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने की पात्रता है ।						
	मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण में चूक/गलती या गलत या अधूरी जानकारी देने के कारण बैंक को यदि कोई हानि/नुकसान होने पर, मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी/करूँगे ।						
	दिनांक						
	हस्ताक्षर						
	जानपुनर नार नार						
	सत्यापन / केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए						
	दस्तावेज़ प्राप्त स्व प्रमाणित सत्य प्रति नोटरी जोखिम श्रेणीः उच्च मध्यम कम पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिशः सत्यापन किया गया किया गया दिनांकः						
	कर्मचारी/पदधारी के हस्ताक्षरकर्मचारी/पदधारी का नाम						
	भविष्य निधि क्रमांक कर्मवारी/पदधारी का पदनाम कर्मवारी/पदधारी की शास्ता ;						

ावांनध पत्राचार/स्थानाय पत के लिए आवंदन फार्म (विविध पत्रे के लिए अलग से फार्म भरता है) अनुलग्नक - III	
अनुदेश : • जहाँ * विहन हैं उसे गरना अनिवार्य है • फार्म को अप्रेजी में बढ़े अक्षारों में परें आवेदन का प्रकार : नया अद्यतन करना है	
केवाईसी नंबर (वित्तीय संस्था द्वारा भरा जाए)	
(अद्यतन करते के बतुरेय के समय संस्था की केवाईशी संख्या देना बनिवार्य है)	
पते का प्रमाण (पीओए)	
पत्राचार∕स्थानीय पता विवरण [●]	
वर्तमान/स्थायी/विदेश के पते का विवरण के रामान	
पते का प्रकार आवासीय या व्यवसाय आवासीय व्यवसाय पंजीकृत कायालय गैर-सूचित	
लाइन 1*:	
लाइन 2*:	
WEL 2**	
राष्ट्र नगर की नाम:	
जलाः देश का नामः । यज्यशंवक्षेत्रकावामः । पिन/पोस्ट कोड	
संपर्क विवरण (यदि मोबाइल/ईमेल से संपर्क करना है तो निम्नलिखित मोबाइल/ईमेल पर संपर्क करें)	Ü
टेलीफोन (कार्यालय):	
मोबाइल र्गः: फैक्स :	
इंगेल्पआईडी :	
आवेदक द्वारा चोषणा	
 मैं/हम एसदाारा भोषणा करता/फंट्री हैं/करंत हैं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विशास के अनुसार रख्य एवं सही है और यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो मैं/हम तत्काल आपको सूचित करूंगा/करूँगी/करेंगे । यदि कोई भी सूचना प्राप्तक वंग से प्रसाद पार्व जाती है तो मुदो/हमें पता है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार हुँ/हाँगे। मेरा/हमारा गैविकिक संव्याईसी निवरण केंद्रीय केवाईसी रिजरट्री के साथ शेयर किया जा सकता है। मैं/हम इससे सहमत हुँ/है कि केंद्रीय केवाईसी रिजरट्री द्वारा उपर पेजीकृत नेवर/ईमेल पते पर मुहो/हमें सूचित किया जा सकता है। 	
दिनांक :	
हस्ताक्षर संस्था के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	
सत्यापन ∕ केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए	
प्राप्त दस्तावेज स्व प्रमाणित सत्य प्रति नोटरी जोखिम श्रेणी उच्च मध्यम कम पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिशः सत्यापन किया गया किया गया दिनांक	
कर्मचारी/पदधारी हारताक्षरकर्मचारी/पदधारी का नाम	_
अविष्य जिथि क्रमांक कर्मचारी/पदधारी का पदनाम : कर्मचारी/पदधारी का शाखा :	

ताशा	र्थी की घोषणा					अनुलग्नक - IV
(कंपनी	स्टॉक एक्सवेंज पर अधिसूचित कंपनी या एसी कंपनी की	। अनुषंभी के मामते को छोड़कर), मागीदारी फर्ग, अनिममित एसोरि	नएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास के दि	ति हार्गे	
1. प्राहर (कंप	क का नाम : नी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्य	क्ति निकाय तथा न्यास)				
	कृत नंबर : . उपलब्ध हैं तो)					
3. पंजी	कृत पता :					
उपर्युक्त	ग्राहक द्वारा पुष्टि और घोषणा करने की तारीख					
		,				
संपति	िरिस्तित चास्तविक न्यिक (ज्यिक्यों) (निम् के 25% से अधिक (कंपनी) / 15% से अधिव था आदि द्वारा नियंत्रण हैं।					
क्र. सं	लाभार्थी मालिक/नियंत्रणकर्ता वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) का पूरा नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	पता	केवाईसी दस्तावेजों का प्रकार	नियंत्रक स्वामित्व हित %
H						
नियंत्रण कृते एर	णित करते हैं कि अध्युक्त कथन अत्य एवं अही हैं हम वचन देते कर्ती स्वामित्व हित रखनेवाले व्यक्तियों में परिवर्तन वं की तरफ से (कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित हम वचन दे	होगा हम बिना किसी विलंब के बै	क ऑफ इंडिया को सूचित करेंगे [गय तथा न्यास का नाम) :	ारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या	व्यक्तियों का निकाय तथा न्य	स के नियंत्रणकर्ता व्यक्ति या
সাধিকৃ	त अधिकारी का पूरा नाम :					
पठला	म/प ढ :					
(प्राइट	तेट तिमिटेड कंपनी/ट्रस्ट के मामले में, घो	षणा पत्र कंपनी/ट्रस्ट टे	ठे वैद्यानिक लेखा परीक्ष	क द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए)	
विनांक	1		स्थान :			
(घोषण	ा पत्र पर भागीदारी फर्म के मामले में सक्रिय/पदनारि	भेत भागीदारी द्वारा, क्वारा के	मामले में ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षर दि	pए जाने चाडिए)	वैधनिक लेखा प	शिक्षक के हस्ताक्षर एवं मोहर
हम प्रम	शाखा के उपयोग के लिए ॥णित करते हैं कि उक्त फर्म के लामार्थी मालिक का त किया गया है ।	अभिनिश्चय उपर्युक्त कंपनी/	फर्म/न्यास द्वारा की गई धोषणा	के आधार पर किया गया है तथा उ	पर्युक्त विवरणों को जहां कही	उपलब्ध है, पब्लिक डोमैन से
(शाखा	प्रबंधक/शाखा परिचालन प्रमुख का हस्ताक्षर)					
नाम :						
नमून	। ठरताक्षर एवं पी एक नंबर:					
दिनांक	\$					

सामान्य अनुदेश

क. 'केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु' खंड परने के लिए स्मष्टीकरण/दिशानिर्देशः 1. खाता प्रकार : केवल एफपीआई श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए सरलीकृत का उपयोग किया जाए ।

2. खाता धारक का प्रकार

य एस रिपोर्टेबल (फटका) एफ-1-स्वामी-निर्धारित यूएस स्वामी सहित प्रलेखित एफआई 1 एफ2 - पैसिव गैर-वितीय इकाई बहुल यूएस स्वामी सहित एस3-गैर-प्रतिभागी एफएफआई एफ4-निर्देष्ट यूएस व्यक्ति एफ5-प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्टिंग करने वाली एनएफएफर्ड xx-लाग नहीं

अन्य रिपोर्टेबल (फटका के अलावा) सी।-पैसिव गैर-वित्तीय इकाई एक या उससे अधिक नियंत्रणकर्ता व्यक्ति का जो कि रिपोर्टबल व्यक्ति है

भी २-अन्य विपोर्टेबल त्यक्ति सी3-पैसिव गैर-वितीय इकाई जो कि सीआरएस रिपोर्टेबल है xx-लागू नहीं

इकाई विवरण खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश:

- एकत स्वामित्ववाली ईकाई के पैन नंबर नहीं है तो फार्म 60 प्रस्तुत करें पहचान प्रकार टी-टिन, सी-कंपनी पहचान नंबर, सी-यू एस जी आई थाई एन, ई-ग्लोबल इकाई पहचान नंबर 2.
- कंपनियों के लिए व्यवसाय शुरू करने की तिथि अनिवार्य है, अन्य इकाई लाग हो तो प्रसात करें

पहचान का प्रमाण खंड मरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देशः

- सभी संबंधित दरतावेजों की प्रभाणित प्रति, जैसे लागू हो, प्रस्तुत किया जाना है ।
- विदेशी धीनगाग निर्मानों पर तामु नेनादुर्गी बरवार्वन, राजायत निर्मानों द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। पृष्ट 16 (आवश्यक केवाहसी बस्तावेज) में विभिन्न स्वानित्व माली ईकाहरों के लिए आकश्य क्साक्रेज करियम दिया निर्मा 3.

पते का प्रमाण खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण / दिशानिर्देश :

- विदेशी पते के लिए राज्य/यूटी नाम तथा पिन/पोस्ट कोड अनिवार्य नहीं है अनेक पत्राचार/स्थानीय पते के प्रकरण मे कृपया अनुलग्नक 3 मरें

संपर्क विवरण खंड भरने के लिए स्पष्टीकारण/दिशानिर्देश :

- कृपया दो संख्याओं का देश कोड और 10 संख्या वाला भोगड़ल लंबर हारें (उदाहरण के लिए भारतीय मोब्बद्धा मंदर - ५१-७५९०५५०)
- मोबाइल नंबर के आगे 0 नहीं लगाएं 2.

नियंत्रणकर्ता/संबंधित व्यक्ति विवरण खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देशः

- हरेक नियंत्रणकर्ता/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी स्वामी के लिए अनुलग्नक (ए। 1) भरें
- R. ਕਿਕੀ ਕਿਲਗਾ
- नाम : कृपमा संबोधन सहित नाम लिखें (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ./आदि) नाम, पहचान के प्रमाण से मेल खानी चाहिए अन्यदा आचेदन को जौटाया जा सकता है
- पिता या पति/पत्नी का नाम अनिवार्य है । पैन नहीं है तो पिता का नाम अनिवार्य है
- iii कर भरने के लिए भारत के बाहर का निवासी के मामले में
- अनुलग्नक 3 में बहु कर आवासी के विवरण घरने का प्रावधान है
- एंड्रास्क्राह्म हेंब क्रिय करने के लिए परचानने चीम्य उद्ध ईटेबितटी नंबर तो तो रीपोर्ट किया जा सकता है. घ्यक्ति हेतु उस प्रकार के नंबर के उदाहरण है सामजिक सरक्षाबीमा नंबर नामरिकलिजी पहचानरोचा कोलत हर तथा निवासी पंजीकरण नंबर १

ख. इकाई संस्थान प्रकार खंड भागे के लिए स्पष्टीकरण/विशानिर्देश

क. एकल स्वामित्व वाली ईकाई

ख. भागीदारी फर्म

ग. एचयूएफ घ. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

ड. पब्लिक लिमिटेड कंपनी

छ, व्यक्तियों का एसोसियेशन (एओपी/व्यक्तियों का निकाय (वीओआई)

झ परिसमापक

झ. सीमित देयता भागीदारी

ट. कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति र साकारी क्षेत्र के बैंक

ड सरकारी विभाग/एजेंसी

ढ. विदेश संविभाग

ण. खंड 8 की कंपनियां (कंपनी अधिनियम 2013)

थ श्रेणीवद्ध नहीं किया गया

द. अन्य

lv प्रस्तान का प्रभाण त्यओआई।

- विदे ड्राइविंग लाइसेन्स या पासपोर्ट पहचान के प्रमाण के रूप में दिया जाता है तो अनिवार्य रूप से उसकी बैधता समाप्ति की
- यदि द-अन्य (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई दस्तावेज) के सामने चिहन लगाया गया है तो पहचान/संदर्भ संख्या का प्रमाण ।

पते का ग्रमाण (पीओए)

- पते का प्रमाण केवल उस प्रकरण में प्रस्तुत करें यदि पहचान के प्रमाण पर पता न हो या पहचान के प्रमाण का पता वैध नहीं हो या लागू नहीं हो । विदेशी पते के लिए राज्य/यटी नाम तथा पिन/पोस्ट कोड देना अनिवार्य नहीं है ।
- नियंत्रणकर्ता व्यक्ति के लिए खंड । क भरें और संबंधित व्यक्ति के लिए खंड । ख भरें ।
- नियंत्रणकर्ता व्यक्ति के विवरण की तभी आवश्यकता होगी जबकि आयकर नियमों के अनुसार विधिक हकाई, पैसिव गैर-वित्तीय इकाई है।
- यदि संबंधित या नियंत्रणकर्ता व्यक्ति के केवाईसी नंबर उपलब्ध है तो केवल व्यक्ति का प्रकार और नियंत्रणकर्ता/संबंधित व्यक्ति का नाम दिया जाए । "निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति" का तात्तर्य वास्तविक व्यक्ति से हैं, जो कि इकाई का विगंत्रण करता है तथा पर शोधन निवारण अधिनिया (अभिलेखों का रखरखान) 2005 के नियम 9 के उप नियम (3) के अनुसार निर्धार्ति लाभावीं स्वामी को भी शामिल करता है .सपटीकरण 1 लाभार्थी स्वामी का अभिनिश्चय करने हेतु समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित परिपत्रों में निर्धारित कार्यविधि अपनाई जाएगी, यथा
 - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 18 जनवरी 2013 का परिपत्र क्र. डीबीओडी/एएमएल/बीसी क्र. 71 / 14.01.001 / 2012-13. या
 - भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 24 जनवरी 2013 का परिपत्र सीआईआर/एमआईआरएसडी/2/2013
 - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण हारा दिनांक 4 फरवरी 2013 को जारी परिपत्र क्र आईआरडीए / एसडीडी / जीडीएल / सीआईआर / 019/02/2013, या

स्पष्टीकरण 2

न्यास के प्रकरण में नियंत्रणकर्ता व्यक्ति का तात्पर्य - व्यवस्थापनकर्ता (सेटलर), टूस्टीगण, संस्क्षक (यदि कोई है तो), लाषाष्टी या लाभार्षी समूह तथा कोई भी वासविक व्यक्ति जिसका न्यास पर प्रभावी नियंत्रण है तथा न्यास के अलावा अन्य विधिक व्यवस्था के प्रकरण में, उसका तात्पर्य उस व्यक्ति में है जो समक्रश्च या समान पद का है।

विधिक इकाई का प्रकार	नियंत्रणकर्ता व्यक्ति (सीपी) का प्रकार	लागू मद
एकल् स्वामित्व	एकल स्वामी	नियंत्रणकर्ता व्यक्ति आवश्यक नहीं
हिंदु अविभाजित परिवार	• कर्ता	सी०७ विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य सेटलर या
24	 प्रत्येक सहदायिक (को पार्सनर) 	सी-10 विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य न्यासी समान
		12-विधिक व्यवस्था के अनुसार नियंत्रणकर्ता व्यक्ति-अन्य-लाभार्थी समान
भागीदारी	• स्वामित्व	सीठ । निर्मिक व्यक्ति का सीपी-स्थामित्य
	● अन्य साधन	सी-01-विषिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन
	वरिश्च प्रबंधन पदधारी	सी-03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रवंधन पदधारी
कंपनी	• स्वामित्व	सीत १ - विभिन्न व्यक्ति का शीपी-स्यामित्व
	अन्य साधन	सी02-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन
	वरिष्ठ प्रबंध पदधारी	सी03-विधिक व्यक्ति आ सीगी-वरिष्ठ अर्थधनः भद्रशसी
सोसाइटी	• स्वामित्व	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
	• अन्य साधन	सी02-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन
	 वरिख प्रबंधन अधिकारी 	सी03-विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन पदधारी
एओपी/बीओआई	• सदस्य (स्नामी)	सी0 1-विधिक व्यति
		सी-०९- विधिक व्यवस्था के अनुसार सीवी - अन्य-सेटलर के समान
	• लामार्थी के समान	सी10-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपीअन्य-ट्रस्टी के समान
	• सेटलर के समकक्ष	सी १ १ - विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-संरक्षक के समान
	• प्रोटेक्टर के समकक्ष	शी12-विधिक रुववस्था के अनुसार शीपी - अन्य-शाभार्थी के समान
	• लाभार्थी के शमकक्ष एवं अन्य	सी13-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-अन्य के समान
न्यास	• व्यवस्थापनकर्ता	सी04-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-न्यास-सेटलर
	• न्यासी	सी० ५- विकित्त व्यवस्था में अनुसार भीपी न्यास-न्यासी
	 संक्षक 	सी-06-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास-संरक्षक
	• लाभार्थी	सी-07-विषिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास-लामार्थी
	● अन्य	सी-09-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास-अन्य
परिसमापक		नियंत्रणकर्ता व्यक्ति आवश्यक नहीं
सीमित देयता भागीदारी	• मागीदार (स्वामित्व)	सी-01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्य
	• अन्य साधन	सी-02-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन
	 वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी 	सी03-विधिक व्यवस्था केअनुसार सीपी वरिष्ठ प्रबंध पदधारी
कृत्रिम विधिक व्यक्ति	व्यवस्थापनकर्ता के समान	सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य 🕒 सेटलर के समान
	• न्यासी	सी10-विधिक व्यवस्या के अनुसार सीपी-लाभर्थीअन्य-टुस्टी के समान
	• संरक्षक	सी 11-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य-संरक्षक के समान
	• लामार्थी	सी12-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य - लामार्थी के समान
	अन्य	सी13-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य-अन्य के समान

निक्रिय गैर - वित्तीय संस्था : इससे आशय इनसे हैं -ज.

- कोई भी ऐसी गैर वित्तीय संस्था जो सक्रिय गैर वित्तीय संस्था नहीं है, या
- 2. भोई भी ऐसी तिरोग संस्था जिसकी कुल अय मुख्य रूप में विसीय अस्तियों में निवेश, पूर्वनिवेश अथवा व्यापार से आती हो, यदि इस संस्था का प्रवंधिकसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है, जो कि निक्षेपागार संस्था, अजिरक्षा संस्था, विनिर्मिष्ट वीमा कंपनी अथवा नीचे के मोह में जिल्लाकित निवेश संस्था हो।
- को विक्तोचिंक फ्रोरेन पार्टनिकेंग अवना विक्तोचिंक फ्रोरेन ट्रस्ट न हो। (विक्तोचिंक फ्रोरेन पार्टनिकेंग फ्रोरेन पार्टनिकेंग फ्रोरेन पार्टनिकेंग फ्रारेन पार्टनिकेंग का प्राप्त पार्टनिकेंग का प्राप्त के साथ विक्तोचिंक करार दिया है, जिसमें अपने पार्टिकेंग का प्राप्त के किए यह महाच हो।

- 1. कोई भी ऐसी संस्था जो व्यवसाय के तौर पर मुख्य रूप से निम्नलिश्वित गतिविधियों अथवा परिचालनों में से कोई एक या अधिक गतिविधि अथवा परिचालन ग्राहक के लिए अथवा उसकी ओर से करती है, गा
- ।) मुद्रा वाजार लिखतों (चेक,विल, जभा प्रभाणपत्र, व्युत्पन्न आदि); विदेशी मुद्रा, विनिमय, व्याज दर एवं प्रमुख लिखतः अंतर्णीय प्रतिभूतियों अथवा पण्य मानी सौदों का व्यापार करती है : या
- ii) वैयक्तिक एवं सामृहिक संविभाग प्रवंधन; अधवा
- iii) अन्य व्यक्तियों की ओर से अन्य निवेश, एडमिनिस्टरिंग अथवा वित्तीय आस्तियों अथवा भद्रा का प्रवंधन I

स्पर्धीकरण १ : ऊपर १ में बताई मई गतिबिधियों में से एक अथवा एक से अधिक मतिबिधियां करने अथवा निषेक्ष संस्था के अर्थोजनों से किनी संस्था की कुन आग मुनतमा वितीय आसिताों में विवेश, पुनर्तिका अथवा व्यापार से अर्थे, विदेश मिला की कुन आप (१) निर्धारण किए जाने के पूर्व वर्ष के ३१ मार्च को समाप्त औन वर्ष की अवधि के बीधन की कुन आप के ५०% के बरामर अववा उससे अधिक होने पर किसी संस्था को व्यवसाय करने वाली संस्था माना जाएमा |

स्पष्टीकरण २ : "निवेश संस्था" शब्द में सक्रिय गैर- वित्तीय संस्था शामिल नहीं है, क्योंकि वह नियम ११४ च के खंड (६) के स्पर्टीकरण के खंड (१) के उप-खंड (१४), (४), (४) अपवा (४०) के किया एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति अप से किए गए व्यवसाय से कम से कम आकिक रूप में प्राप्त किराया एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति अप से किए गए व्यवसाय से कम से कम आकिक रूप में प्राप्त किराया एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति अप से किए गए व्यवसाय से कम से कम आकिक रूप में प्राप्त किराया एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति अप से किए गए व्यवसाय से कम से कम आकिक रूप में प्राप्त किराया एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति अप से किराया एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति अप से किराया एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति अप से किराया एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति अप से किराया एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति अप से किराया एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति के उप से क्रिया प्राप्त कर कर से किराय एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति के उप से क्रिया प्राप्त कर से क्राय एवं रॉक्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा शक्ति के उप से क्रिया प्राप्त कर से क्रिया से क्रिया प्राप्त कर से क्रिया प्राप्त कर से क्रिया से

(५) अधाय आरचा था। वका अवधा विकास के साम कि अधाय के साम कि अधाय के संस्थापकार (युवर्ष), भोरवर्डम, ओलमा एवं इसी प्रवर के संस्थापका में हाने पर साथ का आधिनय (८) विदेशी मुदा हानियों की सुलता में विदेशी मुदा होने यो के अधिकार के संस्थापकार (१०) अवक - व्यक्षी से प्राप्त निवस के अधाय के बीमा ठेकों से प्राप्त राजियों, पैसिव इन्का में सामिल हैं। वक्षी में के अधिकार के स्वाप्त के स्वाप्त के बीमा के अधिकार अधाय के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के सामान अवधि से विष्य पात अप पैसिव अप से बामिल नहीं होगी। संवय स्वाप्त के सामान के विषय कि सीम के स्वाप्त के सामान अवधि से विष्य पात अप पैसिव अप से बामिल नहीं होगी। संवय स्वाप्त के सामान अवधि से विष्य पात कि सीम के से सामान के सिव अप से विषय से के सिवर्य के सिवर्य

एविटव एकपुणई निक्रमलिखित में से चोई एक है 됷.

- पिछले वितीय वर्ष में इकाई की सकल आय पचास प्रतिशत से कम होने पर वह पैसिव आय है और इकाई के द्वारा पिछले वितीय वर्ष में पचास प्रतिश से कम आस्तियों के धारिता की न्थिति मे इकाई को पैसिव आय उत्पन्न करने वाला माना जायगा, या

- वस्तुतः इकाई की गतिविधियां जिसमे बकाया स्टोक रखना (पूर्णतः या अंगरा) या वितीय सेवा प्रदान करने के व्यवसाय के अविरिक्त अन्य व्यवसाय में संलग्न सहयोगी कंपनियो को वितीय सहायता शामिल है वशर्ते की इकाई के विषय में यह प्रमाणित नहीं होना चाहिए की यह निर्मेच निर्मिक रूप में कर्य करती है, जैसे प्राइवेट इक्किट कंड , वैंचर कैपिटल कंड , लेवेरल बाय आउट कंड या अन्य कोई निवेश संस्था जिसका उधेश्य कंपनी का अधिग्रहण या कंड करना और पूंजी निवेश के उधेश्व में उसका अधिमहण करना हो , या
- इकाई अभी व्यवसाय नहीं कर नहीं है और इसके परिचालन का कोई इतिहास भी नहीं है किन्तु अस्तियों में इस उधेश्य से पूंजी निवेश कर रही है की कितीस कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी का परिचालन कर सके मशर्ट की कंपनी सठन के चौबीस महीती के बाद इस अपवाद के अंतर्यक न हो या
- इकाई पिछते पाँच वर्षों में पितीय इकाई न हो और अपनी आस्तियों को लिक्किट करने की प्रक्रिया में हो या पुनर्गठन कर रहा हो साथि वितीय संस्था में इतर व्यवसाय आही रख येक या इकाई प्रायमिक रूप से ऐसे संस्थान के निष्ट निर्मायन या होजियान या संयक्षित इकाइयों के निष्ट जो पितीय संस्थाएं नहीं है और किसी भी इकाई के निष्ट वितीय या हेजिय सेवाएँ जपलब्ध नहीं कराता है वसर्त कि इकाई प्राथमिक रूप से वितीय सेवाओं से इतर व्यवसाय से संबन्धित हो, या
- इकाई निम्ननिश्चित सभी आयश्यकताओं की पूर्ति करती हो , जिनके नाम हैं 8.
- कार (ज्ञानावा का जानकारकाका के पूर्व करता है), (ज्ञान का के मुद्र धर्मिक, वैस्टिक्स, कैशानिक, करात्मक , मास्कृतिक, धेन कूट वा विद्यान में संबन्धित उधेक्षों में भारत में स्थापित और परिचालित इकाई हो या यह पीपेक्षकन संस्थान , चिजनेश लीग , वैंबर ऑफ कॉमर्स, अम संगठन , कृषि या बारवानी स्थान , विविक नीन या केवल सामाजिक कल्याण के कार्य में संबद्ध भारत में स्थापित और परिचालित संस्था हो कृषि या वानवानी स्थान ,
- बह भारत में आयकर में धूट प्राप्त हो
- इसमें कोई ऐसा शेयरधारक या सदस्य न हो जिसका इसमें प्रोपाइटरी या कास्तियों की आब में रुचि हो
- कार का का का का कर कर के कि पाया का कि का माना के का का का का कि किसी भी आप मा किसी व्यक्ति वा मैट क्ल्याणकारी को लाम , जो इकाई के कल्याणकारी कार्यों में इतर हो या दी गई सेनाओं के क्यते जितत इतिपूर्ति के बुपतान सक्त्य या संपत्ति के उचित्र मानार मुख्य के भूगतान के रूप में , जिसे इकाई ने व्यवसारी, की अनुमति त देता हो ।
- इकार के देश मा जिनास के क्षेत्र के लागू शानून मा इकार के गठन के दस्तावेज यह पोषणा करना हो कि संस्था निकितदेशन मा दिसी-पूगन के बाद इसकी समस्य आस्त्रमां संस्था या असाभकारी संस्था या असाभकारी संस्था या सरकार के स्नामित्व वाली इनाई के क्षेत्राधिकार या फिली राजनीतिक इकाई की दी जाएगी

स्पष्पटीकरण – उप धारा के थिए निस्नक्षिचित को संगन्धित उप –धारा के मानदंडो को पूरा करने वाला भाना जाए।

- धारा (23 ईए) मे उन्नियंतित निवेशक संरक्षक फंड
- उद्योगों के केविट गारंटी फंड दुस्ट के लिए उसिम्बिन धारा 23 ईबी और
- 3) अधिनियम कि धारा 10 के उप धारा (23 ईसी) के असर्पन निवेशक संरक्षण फेड

संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति इनमे से कोई भी हो सकता है

- संयुक्त राज्य का नागरिक अधवा गंगुन राज्य अमेरिका का कर निवासी अथवा
- माजेवारी या ज्यापारीत संघ जो संयुक्त राज्य अमेरिका मे संयोजित है या संयुक्त राज्य या उसके किसी भी राज्य के कानून के तहत संयोजित किया जाना है , या ल.
- ट्रस्ट (१) जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक अदालत को लागू कानून के तहत अधिकार होया की वह ट्रस्ट दे प्रशासन से संबन्धित सभी मुद्दो या आदेशों के वारे मे पर्याप्त निर्णय दे या (२) एक या अधिक संयुक्त राज्य के व्यक्ति के पास ट्रस्ट के सभी पर्याप्त निर्णयों को निर्यत्रित करने का अधिकार है, या
- घ. मृतक की संपति , जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नागरिक या निवासी है

संयक्त राज्य का निर्दिष्ट त्यक्ति – संयक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति जो निमन के अवीतिक है

- ऐसे व्यापार संघ का स्टॉक जिसका कारोबार नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति वाजारो में किया जाता है

- एस व्यापार संघ का स्टाक जिसका कारावार नियमित रूप से एक या आक्रक स्थापन आत्रभूति वाजारा ने क्या जाता है कोई भी ज्यापन संघ को एक ही विस्तारित संबद समूज का नगर में, गंपुक राज्य कमेरिका या किसी पूर्ण स्थापित वाली एक्सी या उनके साधन संयुक्त राज्य कमेरिका का कोई भी राज्य , कोई भी संस्कृत राज्य क्षेत्र , किसी भी पूर्वगामी के किसी या राज्य सिक साधन
- सबुक्त राज्य जमारका का का का प्राच्य , कार भा सर्वक्त राज्य अप , कामा भा पूजामा क किया या राज्यमाजन , या किसा पूज स्वामिस्त वाला एजसा या पूजामा के किया एक या अधिक सीधन कोई भी संग्रहत राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्य सीहता की धारा ५०१ (ए) या वर्तमान सेवानिवृती योजना के तहत छुट देता है, जैसा की संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्य सीहता की धारा ५०१ (ए) या वर्तमान सेवानिवृत्त के मित्र का निर्देश के सिक्त प्राच्य अमेरिका आंतरिक राजस्य सीहता की धारा ५०१ में परिभागित किया नवा है। स्वृत्त कर स्वाच्य के सिक्त के साम के स्वाच्य की धारा ५०१ में परिभागित किया नवा है। भीई भी हुटट का संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक कोट की धारा ५०९ (ए) के साल कर से पुक्त है या जो की संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्य की धारा ५९०० (क) (१) में वर्णित है। प्रतिभृतिकों, कमोहित की सीव सामने , नीकान मुख्य करार, सम्बद्ध में एक आंतरिक को की धारा ५००० (क) के स्वाच्य करार की धारा ५००० (क) है। कोई सोतर बेता की संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्य के कानुमों के तहत पंजीकृत है। कोई सोतर बेता की संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक के की धारा ५००० (में) में परिवारित किया नया है। किसीली करमुक्त है विकास के तहत पूर्व सेवानिक को की धारा ६००० (की प्रतिक्र राज्य अमेरिका आंतरिक हो। की सेवान स्वाच के तहत पूर्व सेवान के तहत पूर्व सेवान के तहत पूर्व सेवान सेवान सेवान की सीवान सेवान के तहत पूर्व सेवान के स्वयन प्रत्य अमेरिका आंतरिक राजस्य कोड की धारा ४०६ (वी) में वर्णित है।

प्राच्यक्ष विचोर्तिम प्रत्युक्तपुकर्

प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई का अर्थ होगा एनएफएफई जो की राज्य को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के मालिक के बारे मे निश्चित जानकारी आईआरएस को रिपोर्ट करने का चुनाय करता है, इसके बदले मे वित्तीए संस्था को ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिसके पास वित्तीए खाता रखता है । प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई जीआईआईएन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आईआरएस के साथ पंजीकृत करता है। इस तरह की प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफ़एफ़ई को नियम ११४ एफ से ११४ एच के तहत सूचित किया जाना आवश्यक है

देश	देश को ह	डॉमिनिकेन रिपब्लिक	डीओ	लीबिया	एलवाई	सेंट लूसिया	एलसी
अफगानिस्तान	एएफ	इक्वाडोर	ईसी	लिचटेन्सटिन	एलआई	सेंट मार्टिन (फ्रेंच पार्ट)	एमएफ
अलंद आइसलैंड	एएक्स	इजिप्ट	ईजी	लिथुआनिया	एलटी	सेंट पियरे एंड मिकलन	पीएम
अल्बानिया	एएल	ईआई साल्वाडोर	एसवी	लक्जमबर्ग	एलयू	सेंट विन्सेंट एंड द ग्रनेडाइंस	वीसी
अल्जीरिया	डीजेड	इक्वोटोरियल गयाना	जीक्यू	मकाक	एमओ	सामोमा	टब्ल्यू एस
अमेरिकन समोआ	एएस	एरट्रिया	ईआर	मेसेडोनिया, द फॉर्मर युगोस्लाव		सैन मैरीनो	एसएम
एंडो ग	एडी	एस्टोनिया	ईई	रिपब्लिक ऑफ	एमके	साओ टॉम एंड प्रिंसिप	एसटी
अंगोला	एओ	इघोपिया	ईटी	मेडागास्कर	एमजी	सउदी अरब	एसए
अंगुल्ला	एआई	फॉकलॅंड्स आइसलेंड्स (मालविनास)	एफके	मालावी	एमहब्ल्यू	सेनेगल	एसनएन
अंटार्कटिका	एक्यू	फेरो आइसलैंड्स	एफओ	मलेशिया	एमवाई	सर्विया	आरएस
एंटीगुआ एंड बरबुवा	एजी	फिजी	एफजे	मालदीव्स	एमवी	सेशेल्स	एससी
अर्जेन्टीना	एआर	फिनलैंड	एफआई	माली	एमएल	सियरा लिओन	एसएल
अमेंनिया	एएम	फ्रांस	एफआर	माल्टा	एमटी	सिंगापुर	एसजी
अरुबा	एडब्ल्यू	फ्रेंच गुयाना	जीएफ	मार्शल आइसलैंड्स	एमएच	सिंट मार्टिन (डच पार्ट)	एसएक्स
ऑस्ट्रेलिया	एयू	फ्रेंच पोलीनेशिया	पीएफ	मार्टेनिक	एमक्यू	स्लोवाकिया	एसके
आस्ट्रिया	एटी	फ्रेंच सदर्न टेरीटोरीज	टीएफ	मॉरीटानिया	एमआर्र	स्लोवेनिया	एसआई
आस्ट्रिया अजेरबैजान	एजेड	गैबॉन	जीए	मॉरीशस	एमयू	सोलोमन आइलॅंड्स	एसबी
बहमास	बीएस	गाम्बिया	जीएम	मेयोट	वाईटी	सोमालिया	एसओ
वहरीन	बीएच	जॉर्जिया	जीई	मेविसको	एमएक्स	साउथ अफ्रीका	जेहए
बंगलादेश	बीडी	जर्मनी	डीई	माइक्रोनेशिया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ	एफ एम	साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ	
बरबादोस	बीबी	घाना	जीएच	मोलडोवा, रिपब्लिक ऑफ	एमडी	सैंडविच आइलैंड्स	जीएस
बेलारुस	बीवाई	जिल्राल्टार	जीआई	मोनेको	एमसी	साउथ सुडान	एसएस
बेल्जियम	बीई	ग्री स	जीआर	मंगोलिया	एमएन	स्पेन	ईएस
बेलीज	बीजेष्ठ	ग्रीनलैंड	जीएल	मोनटेंग्रो	एमई	श्रीलंका	एलके
बेनिन	बीजे	ग्रेनेडा	जीडी	मोन्टसेस्ट	एमएस	सुडान	एसडी
बरमुडा	बीएम	गुआहेलोप	जीपी	मोरक्को	एमए	सूरीनाम	एसआर
भूटान	बीटी	ग्वाम	जीय	मोजाम्बिक	एमए एमजेड	सवलबाड एंड जन मेयन	एसजे
बोलीविया, प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ	बीओ	ग्वाटेमाला	जीटी	म्यानमार	एमएम	स्वाजीलैंड	एसजेड
बोनायर सिंट इस्टैटअस एंड साबा	बीक्यू	गर्नसे	जीजी	नामीबिया	एनए	स्वीडेन	एसई
बोक्रिया एंड हर्जेगोविना	बीए	गुएनिया	बीएन	नौरु	एनआर	स्विद्बरलैंड	सीएच
बोत्सवाना	बीडब्ल्यू	गेनिया-बिसाऊ	जीडब्ल्यू	नेपाल	एनपी	सीरियन अरब रिपब्लिक	एसवाई

वेश (कंट्री) कोड (आईएसओ 3166)

एनपी सीरियन अरब रिपब्लिक नीदरलैंड्स न्यू केलीडोनिया न्यूजीलैंड ताइवान, प्रॉविन्स आफ चाइना बौवेट आइसलैंड्स बीवी जीवाई एनएल बीआर एचटी एनसी तजाकिस्तात तंजानिया, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ हार्डआइसलैंड एंड मैकडोनॉल्ड आइलैंड ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरीटरी एनजेड आईओ एचएम ब्रुनेल दारुसलाम बुल्गारिया बीएन बीजी होली सी (वेटिकन सिटी स्टेट) वीए निकारागआ एन आई टीमोर-लेस्टे टोगो एनई एचएन बुरिकना फासो हांग कांग एचएन नाइजीरिया बुरुंडी बीआई एचयू नियुइ एनई टोकेलाउ काबो वर्डे सीवी आइसलैंड आईएस नॉरफॉल्क एनएफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो ट्युनीशिया टर्की आइलैंड नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स आए एल एमपी कम्बोडिया कैमरुन **इंडिया** इंडोनेशिया आईएन केएच सीएम आईडी ईरान, इस्मालिक रिपब्लिक ऑफ एनओ सीए आईआर नॉर्वे कनाडा कैमन आइसलैंड्स केवाई आईक्यू तुर्क**मिनिस्ता**न इराक तुक्स एंड कालकोसा आइलैंड्स सेंट्रल अफ्रीकन रिपल्कि आयरलैंड आईई पाकिस्तान पीके पलाऊं फिलिस्तीन, स्टेट ऑफ पीडब्ल्यू पीएस दुवालू युगानडा टीडी आइल ऑफ मैन आईएम चिली सीएल इसरायल आईएल चीन आईटी सीएन इटली युक्रेन जेएम जेपी पपुआ न्यू गुयाना प्राग्वे युनाइटेड अख अमीरात क्रिसमस आइसलैंड्स सीएक्स जमाइका कोकोस(कीलिंग) आइलैंड् सीसी जापान पीई पीएच पीएन जेई जेओ युनाइटेड स्टेट्स फिलीपींस **पिटकेयर्न** पोलैंड कोमोरोस जॉर्डन आउटलाइंग आइलैंड्स कांगो सीजी कजाकिस्तान केजेड केई उरुग्वे कांगो,द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द केन्या वनुआतू वेनेजुएला, बोलीवेरियन रिपब्लिक ऑफ कुक आइसलैंड्स केआई पीटी सीके किरिबाटी कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स ु पियोस्टो सिको पीआर कोस्टा रिका सीआर कोटडि'वायर!कोटडि'वायर सीआई रिपब्लिक ऑफ केपी

केआर

एलए एलवी

एलबी

एलआर

केडब्ल्यू केजी

कोरिया, रिपब्लिक ऑफ

ालाओ पीपल्स हेमोक्रेटिक रिपब्लिक

कुवैत

किस्सिस्तान

लताविया

लेबनान

<u>िलिबेरिया</u>

सीयू

सीडब्ल्यू सीवाई

सीजेड

डीके

डीजे

डीएम

क्रोएशिया

कुराकाओ

चेक रिपब्लिक

क्यूबा

साइप्रस

स्टेट कोड भारतीय मोटर बाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार दो अक्षरों वाले राज्यों 🗸 संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

रीयूनियन ! रीयुनियन

सेंट हेलेना, एसीनेशन

एंड ट्रिस्टान डा कुनहा सेंट किट्स एंड नेविस

सेंट बारथेलेमी सेंट भारथेलेमी

रोमानिया रशियन फेडरेशन

खान्डा

आरर्ड

आरओ

आस्य

बीएल

एसएच

केएन

विएत नाम विराजन आइलेंड्स, ब्रिटिश

वालिस एंड फुदुना

वेस्टर्न सहारा

यमन

जिम्बाबवे

विरजिन आइलैंड्स, यू.एस.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रवेशकोड	हरियाणा	एचआर	ओडिशा	ओआर
अंडमान व निक्रायार	एएन	हिमाचल प्रदेश	एचपी	पाण्डिचेरी	पीवाई
आंध्रप्रदेश	एपी	जम्मू व कश्मीर	जेके	पंजाब	पीबी
अरुणाचल प्रदेश	एआर	झारखंड	जेएच	राजस्थान	आरजे
असम	एएस	कर्नाटक	केए	सिक्किम	एसके
बिहार	बीआर	केरल	केएल	तमिलनाडु	टीएन
चं डीगढ	सीएच	लक्षद्वीप	एलडी	तेलंगाना	टीएस
छत्तीसगढ़	सीजी	मध्य प्रदेश	एमपी	त्रिपुरा	टीआर
दादर व नगर हवेली	डीएन	महाराष्ट	एमएच	उत्तर प्रदेश	यूपी
दमन व दीव	डीडी	मणिपुर	एमएम	उत्तराखंड	यूए
दिल्ली	डीएल	मेघालय	एमएल	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी
गोवा	जीए	मिजोरम	एमजेड	अन्य	XX
-	-9-3	जागाओंन	प्रमुख		

टीडब्ल्यू टीजे

टीज़ेड

टीजी

टीके टीओ

टीटी

टीएन

टीआर

टीएम

टीवी यूजी

युए एई

यूएस

यूवाई यूजेड वीयू

वीई

वीएन

वीजी

डब्ल्यूएफ ईएच

वाईई

जेडडब्ल्यू

जेडएम

वालू काता खोलने के लिए अपेक्षित केवाईसी इस्तावेश :

雨,	संस्था का प्रकार	केवाईसी दस्तावेज
1.		कः अधिकारिक रूप से वैंध दरतावेजों (ओबीडी) में रो एक दरतावेज़ की प्रमाणित प्रति जिसमें पहचान तथा प्रते का विवरण शामित हो; रस. ताल की तस्वीर; ग. स्थाई साता संख्या (पैन) या आयकर नियम, 1962 में यथा प्रीक्षाषित फार्म 60; तथा व्यवसाय की प्रकृति या वित्तीय स्थिति के समर्थन में वैंक को स्वीकार्य कोई दस्तावेज
2.	सारिकाना फर्स	कः गतिकाना कर्म, प्राप्तिकृत तस्ताक्षरी या गुरुतारमामा धारक से अनुलेन १ में सूतीबद्ध तस्तावेज; स्व. बँक के प्रारुप में मालिकाना पत्र; म. मालिकाना फर्म के नाम पर व्यवसायमातिविधि के प्रमाण के रूप में निम्मतिकित तस्तावेजों में कोई ते — i.प्रेजीकरण प्रमाणाम ii.पुकान एवं स्थापना अधिनया के अंतर्गत नगरपातिका प्राप्तिकारियों द्वारा जारी सिंकिकेट/लाइरोंस iii.बिकी एवं आयक्तर विवरणी iv.सीएसटी/वीएटी/जीएसटी सिंकिकेट (अनुमानित/काइन्त) v.बिकी करलेको करनेके का सिंकिकेट (अनुमानित/काइन्त) vi.सीजीक्षणी के कार्मात्य द्वारा मालिकाना कर्म को जारी आईश्त्री (निर्यात्तक कोन) या विधि के अंतर्गत स्थापित किसी पेश्वेवर इकाई द्वारा मालिकाना कर्म के नाम पर जारी ब्लामार करने का लाइर सम्पूर्ण आयकर विवरणी (केपल पावती नदी) जहाँ कर्म की आय दिखाई देती है जिसे कि आयकर प्रारिकारियों के द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। viii,बिकती, पानी, लॅंडलाइन टेटीफोन बिल इत्यादि यूटिविटी बिल (ख्वसाय स्थल का जहा ब्यवसाय किया जा रहा है) is.विधि के आर्मात संगतित किसी भी पेशेवर संभवना के द्वारा मालिकाना संस्था के जान पर नारी लाइरेंशव्यवदार करने का सर्टिफिकेट (यथा भारतीय लेखाकार संस्था द्वारा जारी ख्वतर का सर्टिफिकेट, भारतीय करेंस्ट एकाईट संस्था,भारतीय कपनी सिंव संस्था इत्यादि)
3.	साझेदारी फर्म	क. प्रत्येक भागीतार चा लाभकारी गातिक, प्राधिकृत तस्ताक्षरी या गुरुतारमामा धारक से अनुच्छेद ९ में सूचीबद्ध दस्तावेज जैसा कि नीचे पृष्ठ संख्या ९७ पर परिभाषित किया गया दै या. प्राचेदारी कितेश वा. साडोदारी को का पैन द. सभी ताशाबी भारिकों का नाम खामिल करती हुई घोषणा जिसमें कर्म में उनका श्रेषर/निशंत्रक हित/श्रेषरधारिता हो एवं प्राधिकृत हस्ताक्षरियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो। (अनुलग्नक IV च. सभी भागीतार द्वारा सन्ताक्षरित भागीदारी क्या छ. कर्म के भागीतार(सें) वा कर्मचारी को कर्म की और से संन्यवहार करने के लिए पीओए की स्टीकृति।
4	सिमिटेड कम्पनी	क. प्रत्येक व्यक्ति जर्मात जायाम, निवेशकों, शविच, वहे केरायायकों आदि या सभी संगित व्यक्तियों या निवेधक ।? में निविधीरत दिलकारी स्वाधिक जार प्रियंत करतायेज । स्वाधिक जार में निविधीरत दिलकारी स्वाधिक जार प्राथिक जार प्राथिक केराविधा के प्रति हैं होता प्रति हैं होता प्रायिक करतायेज । स्वाधिक करतायेज हैं स्वाधिक हैं स्वाधिक हैं स्वाधिक करतायेज हैं स्वाधिक करतायेज हैं स्वाधिक हैं स्वाधिक हैं स्वाधिक करतायेज हैं स्वाधिक हैं से से से से से से स्वाधिक स्वाधिक स्वाधिक हैं से
5.	ग्रोसाइटियाँ/ एग्रोशिएशन/यत्तब	क, प्रत्येक ब्यक्ति अर्थात् अवश्व, बिदेशकों, राधिव, बड़े शेवरपारकों आदि या सभी संबंधित ब्यक्तियों वा बीचे पूछ १७ में निर्धारित दितकारी खामियों और प्राधिकृत तस्ताश्वरी या मुख्तारखाना (पावर ऑफ अटबीं) से पैस १ में सूचीबद्ध दस्तामेज; खा, विविद्या का प्रीकृत्यों में ते मामले में, पंजीक्तरण प्रमाणपत्र। म. साता स्वोदले और शांत के पश्चितालात्मक निर्देशों के संबंध में विधियों एवं उपविधियों और सोसायटी के संकल्प की प्रति। इ. इसकी और से लेल-देन करने के लिए दिया गया मुख्तारबाना (पावर ऑफ एटोंगी) च. प्रोपणा पत्र जिसमें प्राधिकृत वस्ताशस्यानों द्वारा विधिवत वस्ताशिक्त से संस्थित करने के लिए बैंक द्वारा मांगी गई ज्ञानकारियों।
6.	हिन्दू अविभक्त घरिवार (एस्स्टूएफ)	क. मुख्य राहवासिक और एचयूएक के कर्ता से प्राप्त पैस । में बताए गए दस्तावेज। रा. संयुक्त दिन्दू परिचार पत्र प्राप्त किया जाए और उसे सभी वयरक सहदायिकों द्वारा दस्ताभिति किया जाए। ना. एचयूएक का वैना स. कर्ता द्वारा घोषणा पत्र। रा. किसी यहदायिक की मृत्यु हो जाने पर, किसी सहदायिक के जन्म से बातिन (18 वर्ष) होने पर नया संयुक्त दिन्दू परिचार पत्र देना होगा जिसमें घोषित किया गया हो कि जमाकती संयुक्त परिचार का कर्ता है थी) जमा सांश संयुक्त दिन्दू परिचार की है।
7.	दूस्ट	क प्रत्येण दुस्टी, निष्णादक, प्रशासक आदि या सभी संबंधित ख्यक्तियों या नीचे पूछ १७ में निर्धारित दितकारी स्वामियों और प्राधिकृत दस्ताक्षरी या मुख्तारनामा (पाचर औंफ अटर्नी) से पैरा १ में सूचीबद्ध दस्तामेज: इ. पंजीकरण प्रमाणपत्र म. न्यास वितेख (सूटर डीड) प. सूटर का पैन या फीर्न 60 इ. सोषणा पत्र जिसमें का क्षियों के किए प्रमाणनाम की जाए भीर न्यासियों के चेक दस्ताक्षर करने के अधिकार, प्राधिकार के प्रत्यायोजन, धन ज्यार देना आदि को विशेष ध्यान में स्थाकर पुनरीक्षण किलार के प्रत्यायोजन, धन ज्यार देना आदि को विशेष ध्यान में स्थाकर पुनरीक्षण किलार के प्रत्यायोजन, धन ज्यार देना आदि को विशेष ध्यान में स्थाकर पुनरीक्षण किलार स्थान के प्रत्यायोजन, धन ज्यार देना आदि को विशेष ध्यान में स्थाकर पुनरीक्षण किलार स्थान के किलार के प्रत्यायोजन, धन ज्यार देना आदि को विशेष ध्यान में स्थाकर पुनरीक्षण किलार स्थान के के विशेष ध्यान में स्थाकर पुनरीक्षण किलार स्थान के किलार स्थान के किलार स्थान मुख्यारनामा (पावर ऑफ एट्रॉनी)

चालु खाते खोलने के लिए आवश्यक केवाईसी दस्तावेज

क्रम संख्या	संस्था के प्रकार	के बाई सी दस्तायेज
8.	अिाग्रीत संगठन या व्यक्तियों का निकाय	क. प्रत्येक स्थित अध्यात् आच्या, लिटेशकों, सचित, वह बेनसामनो आदि या सभी संबंधित न्यिक्यों या लीचे पृष्ठ 17 में निर्धारित दितकारी स्वाभियों और प्राधिकृत दस्ताक्षरी या सुरुतास्त्रामा (पावर ऑफ अटली) से येर । में सूरीबद्ध दस्ताकेन. 21. ऐसे संगठन या न्याकियों के निकास की प्रसंपन राभिति का संकल्प। 12. केरा की ओर से लेन-देन करने के दिए दिया गया मुख्यारनामा (पावर ऑफ एटॉनी) 23. इस प्रकार के एसोरिएशन या वैत्तिकों की संख्या मुख्यारनामा (पावर ऑफ एटॉनी) 23. इस प्रकार के एसोरिएशन या वैत्तिकों की संख्या की विशिक्त स्थित को सामूर्द्धिक रूप से स्थापित करने के दिए बैंक द्वारा इस प्रकार की जानकारी अपेक्षित हैं। (१) स्थापा में सभी नामार्थी स्वाभितों के नाम के साथ उनकी श्रेगर धारित की संख्या की स्थापा विद्यापारिक हरता प्रतिक्रित हैं। (१) स्वाभित दल तोक प्रतिक्रित कर वितिकार स्थापित के साथ निजयति हैं। (१) स्वाभित स्वत तोक प्रतिक्रित हैं (अनुनम्बक्त १९४९ (१९४९ का ४३) की धारा २९क के अंतर्गत पंजीकृत भी स्थापार के अंतिम सामान्य दुनाव में किए मए मतान्य से एक प्रतिक्रित से क्या प्रतिक्रित हैं। (१) सम्बन्धित से क्या प्रतिक्रित से क्या की सामान्य हैं। साथ पुष्टित करने हुए निर्वाचन आचीन से प्रमाणक्त्र हैं। (१) सम्बन्धित से क्या किस तथा विभित्र सामान्य हैं। साथ कुल करने हुए निर्वाचन आचीन से प्रमाणक्त्र हैं। (१) सम्बन्धित से क्या किस तथा विभिन्न तथा विभिन्न स्वाभित करने हुए निर्वाचन आचीन से प्रमाणक्त्र किया गया है। (१) सम्बन्धित स्वाभित करने के प्रमाण के संबप में, स्वाभित करने स्वाभित करने से प्रमाण के संबप में, स्वाभित करने से प्रमाण के संबप में, स्वाभित करने से प्रमाण के संबप में, स्वाभित करने से स्वाभित से स्वाभित से सम्बन्धित से स्वाभित स्वाभित स्वाभित स्वाभित से सम्बन्धित से सम्बन्धित से सम्बन्धित स्वाभित स्वाभित से सम्बन्धित से सम्बन्धित स्वाभित स्व
9.	विद्यादक, प्रशासक तथा परिसमाप्तक	ए) निते पूरू सं. १७ में परिभाषित के अनुसार प्रत्येक निष्पादक, प्रशासक. परिसमापक, सभी संबंधित व्यक्तियों तथा दितकारी स्वामियों से पैस १ में सूचीबद्ध दस्तावेज; विकास के अधिनया के अंतर्गत प्रोबेट या प्रशासन पत्र या प्राधिकार पत्र प्राप्त करना (सत्यापन के लिए)। उसकी एक प्रति रखना, तथा विविध एवं परिसमापक दस्तावेज रिजरटर में प्रविद्धि करना। हैं, एक से अधिक निबुक्त निष्पादकों, प्रशासकों/परिसमापकों के मामले में, खाते के संवादन को विनियमित करने वाले सभी द्वारा हरता।। हैंने निष्पादक प्रशासकाप्त प्रशासकापक सामान्यतः अपने अधिकार गई पार्टी के प्रत्याना नहीं कर सकते। हैंने निष्पाद के संत्री में, एक अधिकत सम्मरी निष्पाय दिसमें अस्मरी एजेंगी या निष्पाय निर्माल हैं, द्वारा नारी किसी अधिकाधिक दस्तावेज, जिसमें निष्पाय का नाम तथा देश था भीत में प्रमुख कारील हैं तथा प्रतित किसमें वह निष्पाय किस विद्यार्थ के स्वामित हैं, किसमें वह निष्पाय किस विद्यार्थ के स्वामित हैं, सिक्ति पर निष्पाय निष्पाय किस हम स्वामित हैं से मिलन स्वामित हैं से मिलन सिक्ति हो समित हैं से प्रति हम से सिक्ति हो से सिक्ति से स्वामित हैं से मिलन से सिक्ति सिक्ति हम सिक्ति हो सिक्ति हम
10.	सरकारी प्राधिकारी तथा ज्याय संबंधी व्यक्ति	ए) - बिकाय की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों का नाम प्रदर्शित करते हुए दस्तावेज; बी)- प्रत्येक प्राधिकृत दस्ताक्षरकर्ता या मुख्तारनामा धारक से पैस १ में सूचीबद्ध दस्तावेज; सी)- इस प्रकार के निकायन्याय संबंधी व्यक्ति के विधिक अस्तित्व को स्थापित करने के लिए बैंक को इस प्रकार के दस्तावेजों की आधश्यकता हो सकती हैं।

अधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ :

अधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों की सूची में सिर्फ निम्न पाँच हैं:

- 1. पासपोर्ट
- 2. ड्राइविंग लाइसेंस
- 3. आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण : जहाँ ग्राहक आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज़ के रूप में आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, वह ऐसे आकार में उसे प्रस्तुत करें जैसा कि भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो
- भारत की चनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
- एन आर ई जी ए द्वारा जारी जाब कार्ड जो राज्य सरकार की किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो
- राष्ट्रीय आबादी रिजस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते का विवरण हो (आधार और पैन अनिवार्य हैं और आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों का भाग नहीं हैं)

आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज़ः

पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए निम्न दस्तावेज आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज होंगे :

- i) कोई भी सेवा प्रक्षता के उपभोक्ता बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराने न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट पैंड मोबाइल फोन, पाइण्ड गैस, पानी बिल)
- il) संपत्ति या म्थुनिसिपल कर रसीद
- iii) यदि उनमें पता है, तो पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आवेशों (पी पी) जो सरकार विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किया गया हो
- iv) नियोक्ता से आवास आवंटन का पत्र जो राज्य सरकार वा केंद्र सरकार विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियों और आधिकारिक आवास आवंटन करनेवाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ अवकाश एवं लाइसेंस समझीते।

लाभार्थी मालिक कौन है

धन शोधन निवारण संशोधित अधिनियम 2013 के नियम 9 (3) के अनुसार लाभार्थी स्वामी का निर्धारण निम्रानुसार किया गया हो

(क) जहां पर जाहक कोई कंपनी है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति है, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति यें, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्तियों द्वारा जिसका नियंत्रक स्वामित्व हित निहित है या जो अन्य माध्यमों के जिरए अपना नियंत्रण है।

स्पष्टीकरण-इस उप नियम के लिए -

- "नियंत्रक स्वामित्व हित" का मतलब कंपनी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर या पूंजी या लाभ के स्वामी या हकदार से हैं।
- ii) "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों की नियुक्ति करने का या प्रयंधन पर नियंत्रण करने का या नीतिगत निर्णयों के नियंत्रण का अधिकार शामिल है जो उनके शेयरधारिता या प्रयंधन अधिकार या शेयरधारक करार या वोटिंग करार के बल पर प्राप्त है ।
- (ख.) यदि ग्राहक भागीदारी संस्था है, लाभार्थी मालिक वह वास्तविक व्यक्ति हैं (हैं) जो अकेले या मिले-जुले रूप में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति है जो अकेले या मिले जुले रूप में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति के जरिए, भागीदारी की पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत के मालिक या हकदार है.
- ग. यदि प्राहक अनिर्गिपत एसोसियशन या व्यक्तियों का निकाय है, लाभार्थी मालिक वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेले या िमली जुली रुप में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति के जिएए, एसोसियेशन या व्यक्तियों की निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत के मालिक या हकदार है ।

स्पष्टीकरण

व्यक्ति निकाय में सोसाइटियां भी शामिल हैं। जहां उपर्युक्त क,ख और ग के अनुसार वास्तविक व्यक्ति का पहचान नहीं किया जा सकता है वहां लाभार्थी मालिक का आशय उस संबंधित वास्तविक व्यक्ति से है जो कि वरिष्ठ प्रबंधन की भूमिका पर कार्यरत है। अगर कोई न्यास प्राहक है तो लाभार्थी मालिक की पहचान के अंतर्गत न्यासी प्रमुख, न्यासी, लाभार्थियों की पहचान ली जाएगी - तो ऐसे ट्राय प्रमुख जिसकी 15 प्रतिशात से उससे अधिक का सहभागिता है, इसके अंतर्गत वास्तविक व्यक्ति होंगे नियंत्रण अथवा स्वामित्व के जारिए न्यास पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। जहां नियंत्रण हेतु ग्राहक या मालिक स्टाक एक्सचेंच पर सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सहयोगी कंपनी है वैसे में किसी शेयरधारक या

लामार्थी मालिक की पहचान की आवश्यकता नहीं होगी ।

	यहां से काट दें (कृपया सुनिश्चित करे कि काटते समय उपर्युक्त मशीन द्वारा पढ़े जाने कोइ को क्षति न पहुँचे)
	पावती
1. नाम :	दिनांक
2. जमा किए	गए दस्तावेज
(1)	
(2)	(3)
(4)	्याखा प्रबंधक



COMMON ACCOUNT OPENING FORM FOR ALL PUBLIC SECTOR BANKS (Non Individual)



ACCOUNT OPENING FORM (NON INDIVIDUALS)
APPLICATION TYPE*: NEW UPDATE DATE: FOR OFFICE USE ONLY CIF NO. A/C NO. Please fill the formin English and In BLOCK Letters. KYC NUMBER (MANDATORY FOR KYC UPDATE REQUESTI: ACCOUNT HOLDER TYPE*: US REPORTABLE OTHER REPORTABLE (PLEASE REFER TO GENERAL INSTRUCTIONS POINT 'A' AT PAGE No. 14) A. Fields marked with * are mandatory fields . B. Tick ZW wherever applicable . C. Please fill the date inDo-MM-YYYY format. D. Please fill the date inDo-MM-YYYY format. E. Please fill the date inDo-MM-YYYY format. D. Please fill the date inDo-MM-YYYY format. E. Please fill
I/WE DO NOT HAVE ANY ACCOUNT WITH BOI OR
1. ENTITY DETAILS* (Please refer General Guidelines Point 'C')
NAME OF THE ENTITY*: (IN BLOCK LETTERS)
DATE OF COMMENCEMENT OF BUSINESS*: DATE OF INCORPORATION/ FORMATION*: PLACE OF INCORPORATION/ FORMATION*: (FOR ENTITIES OTHER THEN COMPANIES) (FOR ENTITIES TAX RESIDENT OF INDIA ONLY, PAN IS EQUIVALENT TO TIN) COUNTRY OF INCORPORATION/ FORMATION* (CODE- ISO 3166): (REFER GENERAL INSTRUCTIONS)
GSTN: IDENTIFICATION TYPE*: (PLEASE REFER GENERAL INSTRUCTIONS 'C2'), IF O-OTHERS (SPECIFY)
ENTITY CONSTITUTION TYPE*: (PLEASE REFER INSTRUCTION B IN GENERAL INSTRUCTIONS) Legal Entity No.
2. PROOF OF IDENTITY (Pol)* (Please refer 'D' in General Instructions)
CERTIFICATE OF INCORPORATION / FORMATION REGISTRATION CERTIFICATE OTHER. OFFICIALLY VALID DOCUMENT(S) IN RESPECT OF PERSON AUTHORIZED TO TRANSACT RESOLUTION OF BOARD / MANAGING COMMITTEE MEMORANDUM AND ARTICLE OF ASSOCIATION / PARTNERSHIP DEED/ TRUST DOCUMENT ACTIVITY PROOF (FOR SOLE PROPRIETORSHIP ONLY)
3. DETAILS OF RELATED PERSON/ BENEFICIAL OWNER* (An Annexure II t o be filled for each related person please refer point 'G' in General instructions)
NUMBER OF RELATED PERSONS*: (A RELATED PERSON CAN BE DIRECTOR, PROMOTER, KARTA, TRUSTEE, PARTNER, AUTHORISED SIGNATORY, BENEFICIARY, BENEFICIAL OWNER, COURT APPOINTED OFFICIAL)
NUMBER OF BENEFICIAL OWNERS*: (THOUGH A BENEFICIAL OWNER IS A RELATED PERSON, THE NUMBER OF BENEFICIAL OWNER SHOULD BE DETERMINED SEPARATELY OUT OF NUMBER OF RELATED PERSON, BENEFICIAL OWNER IS A PART / SUBSET OF RELATED PERSON) (FOR DEFINITION SEE PAGE NO. 18)
4. PROOF OF ADDRESS (PoA)* (Certified copies of the documents, as applicable, need to be submitted) (Please see instruction 'E' at the end)
4.1 CURRENT / PERMANENT/OVERSEAS ADDRESS DETAILS* REGISTERED OFFICE ADDRESS IN INDIA (IF APPLICABLE) / PLACE OF BUSINESS* ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED PROOF OF ADDRESS*: CERTIFICATE OF INCORPORATION / FORMATION REGISTRATION CERTIFICATE
LINE 1*:
LINE 2: LINE 3: CITY/ TOWN/VILLAGE*: DISTRICT*:
STATE / UT NAME CODE*: COUNTRY CODE*:
4.2 CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILS • SAME AS CURRENT / PERMANENT ADDRESS DETAILS (IN CASE OF MULTIPLE CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESSES, PLEASE FILL ANNEXURE III) ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED PROOF OF ADDRESS*: CERTIFICATE OF INCORPORATION / FORMATION REGISTRATION CERTIFICATE
LINE 1*:
LINE 3: LINE 3: DISTRICT*: PIN/POST CODE*:
STATE/UT NAME CODE*: (ISO 3166) COUNTRY CODE*:

SAME AS CURRENT / PERMANENT / OVERSEAS ADDRESS DETAILS SAME AS CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILS					
ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED					
PROOF OF ADDRESS (FOR ENTITIES REGISTERED OUTSIDE INDIA)*: REGISTRATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT CERTIFICATE OF INCORPORATION/FORMATION					
LINE 1*:					
LINE 2:					
LINE 3:					
CTATES					
(ISO 3166)					
5. CONTACT DETAILS (All communications will be sent on provided Mobile no./ Email- ID) (Please refer Instruction 'F' at the end)					
TEL, (OFF):					
FAX:					
MOBILE 1: MOBILE 2:					
EMAILID 1:					
EMAILID 2:					
6. NATURE OF BUSINESS					
MANUFACTURER TRADER RETAILER SERVICE PROVIDER EXPORT / IMPORT REAL ESTATE					
El autoritation El Realesiale					
GEMS & JEWELLARY EDU. INSTITUTION HOTEL INDUSTRY WINE DEALER OTHERS.					
INDUSTRY CODE*: (PLEASE REFER TO INDUSTRY CODES ON PAGE 7) OTHERS:					
ANNUAL TURNOVER					
0-5 LAKH 5-10 LAKH 10-25 LAKH 25 LAKH-1CR 1-5 CR. 5-50 CR. 50-100 CR 100 CR <					
DEALING WITH BOI: SINCE (YEAR)					
NATURE OF ACCOUNT: CREDIT FACILITIES (BOI) (IF ANY)					
7. TYPE OF ACCOUNT					
CURRENT ACCOUNT SAVINGS BANK ACCOUNT RECURRING DEPOSIT TERM DEPOSIT SPECIAL TERM DEPOSIT					
CURRENT ACCOUNT SAVINGS BANK ACCOUNT RECURRING DEPOSIT TERM DEPOSIT SPECIAL TERM DEPOSIT OTHER PLEASE SPECIFY:					
SPECIAL TERM DEPOSIT					
OTHER PLEASE SPECIFY: 8. MODE OF OPERATIONS					
OTHER PLEASE SPECIFY:					
OTHER PLEASE SPECIFY: 8. MODE OF OPERATIONS					
OTHER PLEASE SPECIFY: 8. MODE OF OPERATIONS SINGLY JOINTLY SEVERALLY AS PER BOARD RESOLUTION OTHERS: (PLEASE SPECIFY) 9. SERVICES REQUIRED (Tick the required service (Charges may be applicable))					
OTHER PLEASE SPECIFY: 8. MODE OF OPERATIONS SINGLY JOINTLY SEVERALLY AS PERBOARD RESOLUTION OTHERS: (PLEASE SPECIFY) 9. SERVICES REQUIRED (Tick the required service (Charges may be applicable)) CORPORATE INTERNET BANKING: VIEWING RIGHTS TRANSACTION RIGHTS CHEQUE BOOK DEBIT CARD POS FACILITY (CARD SWIPING MACHINE)					
OTHER PLEASE SPECIFY: 8. MODE OF OPERATIONS SINGLY JOINTLY SEVERALLY AS PERBOARD RESOLUTION OTHERS: (PLEASE SPECIFY) 9. SERVICES REQUIRED (Tick the required service (Charges may be applicable)) CORPORATE INTERNET BANKING: VIEWING RIGHTS TRANSACTION RIGHTS CHEQUE BOOK DEBIT CARD POS FACILITY (CARD SWIPING MACHINE) SMS ALERTS PLATINUM DEBIT CARD OTHER					
OTHER PLEASE SPECIFY: B. MODE OF OPERATIONS SINGLY JOINTLY SEVERALLY AS PER BOARD RESOLUTION OTHERS: (PLEASE SPECIFY) D. SERVICES REQUIRED (Tick the required service (Charges may be applicable)) CORPORATE INTERNET BANKING: VIEWING RIGHTS TRANSACTION RIGHTS CHEQUE BOOK DEBIT CARD POS FACILITY (CARD SWIPING MACHINE) SMS ALERTS PLATINUM DEBIT CARD OTHER STATEMENT FREQUENCY: MONTHLY QUARTERLY HALF-YEARLY					
OTHER PLEASE SPECIFY: 8. MODE OF OPERATIONS SINGLY JOINTLY SEVERALLY AS PER BOARD RESOLUTION OTHERS: (PLEASE SPECIFY) 9. SERVICES REQUIRED (Tick the required service (Charges may be applicable)) CORPORATE INTERNET BANKING: VIEWING RIGHTS TRANSACTION RIGHTS CHEQUE BOOK DEBIT CARD POS FACILITY (CARD SWIPING MACHINE) SMS ALERTS PLATINUM DEBIT CARD OTHER STATEMENT EDECULENCY MONTHLY					
OTHER PLEASE SPECIFY: B. MODE OF OPERATIONS SINGLY JOINTLY SEVERALLY AS PER BOARD RESOLUTION OTHERS: (PLEASE SPECIFY) D. SERVICES REQUIRED (Tick the required service (Charges may be applicable)) CORPORATE INTERNET BANKING: VIEWING RIGHTS TRANSACTION RIGHTS CHEQUE BOOK DEBIT CARD POS FACILITY (CARD SWIPING MACHINE) SMS ALERTS PLATINUM DEBIT CARD OTHER STATEMENT FREQUENCY: MONTHLY QUARTERLY HALF-YEARLY					
OTHER PLEASE SPECIFY: SINGLY					
OTHER PLEASE SPECIFY: SHOULD OF OPERATIONS					
OTHER PLEASE SPECIFY: SHOULY					
OTHER PLEASE SPECIFY: SPECIAL TERM DEPOSIT SPECIAL TERM DEPOSIT					
OTHER PLEASE SPECIFY: SHOULD OF OPERATIONS					
OTHER PLEASE SPECIFY. 8. MODE OF OPERATIONS SINGLY JOINTLY SEVERALLY AS PERBOARD RESOLUTION OTHERS: (PLEASE SPECIFY) 9. SERVICES REQUIRED (Tick the required service (Charges may be applicable)) CORPORATE INTERNET BANKING: VIEWING RIGHTS TRANSACTION RIGHTS CHEQUEBOOK DEBIT CARD POS FACILITY (CARD SWIPING MACHINE) SMS ALERTS PLATINUM DEBIT CARD OTHER STATEMENT FREQUENCY: MONTHLY QUARTERLY HALF-YEARLY STATEMENT TO BE SENT TO EMAIL ID: WISS ALERTS TO BE SENT ON: MOBILE 1 OR MOBILE 2 (PLEASE REFER TO THE MOBILE NUMBERS GIVEN IN CONTACT DETAILS IN AOF PART 1) O. ACCOUNT VARIANT ACCOUNT VARIANT NAME: PLEASE VISIT OUR WEBSITE OR VISIT NEAREST BRANCH) 1. UNDERTAKING: CREDIT FACILITY FROM OTHER BANK / FINANCIAL INSTITUTION					
OTHER PLEASE SPECIFY: SINGLY					
SPECIAL TERM DEPOSIT					
SPECIAL TERM DEPOSIT					
SPECIAL TERM DEPOSIT					

OTHER ENTITY DETAILS:	
DETERMINE* WHETHER THE ENTITY IS 'FI' OR 'NFE' (AN ENTITY CAN BE EITHER AN 'FI' OR 'NFE', IT CAN NOT BE BOTH)	
FINANCIAL INSTITUTION (FI): (IF FINANCIAL INSTITUTION (FI) IS TICKED, PLEASE ALSO FILL ANNEXURE I & ANN (BANKS, INSURANCE AGENCIES, NBFCS ETC.) OR	IEXURE II FOR ALL THE RELATED PERSON)
NON FINANCIAL ENTITY (NFE): IF ENTITY IS NFE, WETHER IT IS*: ACTIVE NFE OR PASSIVE NFE	
(AN ENTITY CAN BE EITHER AN 'ACTIVE NFE' OR A 'PASSIVE NFE', IT CAN NOT BE BOTH - SEE INSTRUCTIONS 'H' IN GENERAL THE SECOND OF	
NUMBER OF CONTROLLING PERSON(S): (APPLICABLE ONLY IN CASE OF PASSIVE NFE, FILL ANNEXURE II FO	R EACH CONTROLLING PERSON)
DIRECT REPORTING NON FINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE): YES NO	
IF YES PLEASE PROVIDE GIIN OF DIRECT REPORTING NFFE:	
LEGAL ENTITY IDENTIFIER (L.E.I CODE. NO.): (AS & WHEN APPLICABLE)	
COUNTRY OF RESIDENCE AS PER TAX LAWS *	
TAX RESIDENT OF INDIA ONLY AND NOT OF ANY OTHER COUNTRY OUTSIDE INDIA YES (IF TICKED "YES" THEN THERE IS NO NEED TO FILL IN THE BOX BELOW)	FATCA & CRS BO
TAX RESIDENT OF US: YES NO (IF YES, PLEASE PROVIDE US TIN) US TIN:	
IF TAX RESIDENT OF US, WHETHER THE PERSON IS A US PERSON YES NO (A TAX RESIDENT OF US IS US PERSON, SEE INSTRUCTION 'J')	
A SPECIFIED US PERSON (SEE INSTRUCTIONS K) YES NO (IF SPECIFIED US PERSON IS YES, THEN THE E	ENTITY IS US REPORTABLE)
TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US: YES NO	
IF YE S, PLEA SE PROVIDE COUNTRY CODE & TIN / FUNCTIONAL EQUIVALENT:	
IF TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IS YE S, WHE THER ENTITY FALLS IN ANY OF THE F	TOLLOWING CATEGORY/TICK FROM THE FOLLOWING CATEGORY
AS APPLICABLE - IF NONE OF THE FOLLOWING CATEGORY IS MARKED "YES" THEN THE	
I. ANY CORPORATION THE STOCK OF WHICH IS REGULARLY TRADED ON ONE OR MORE ESTABLISHED SECURITIES N	MARKET YES NO
II. ANY CORPORATION THAT IS A RELATED ENTITY OF A CORPORATION DESCRIBED IN (I) ABOVE YES NO III. A GOVERNMENTAL ENTITY YES NO	
IV. AN INTERNATIONAL ORGANIZATION YES NO IF ANY OF THE ITEM (I) TO	O (VI) IS TICKED YES THE ACCOUNT IS NOT AN
	ER REPORTABLE ACCOUNT"
	ENT OF INDIA OR US NOR A TAX RESIDENT OUTSIDE INDIA
NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE YES NO	IELD NO RESIDENCE FOR TAX PURPOSE WILL BE YES
	RYCODE
MULTIPLE TAX RESIDENCY*: YES NO (IF YES, PLEASE FILL THE TABLE BELOW)	RECODE
1 IE AMENITITY IS A SPECIFIC US DEPONANDAL COLLAGA TAY DESIDENCY OUTSIDE INDIA COLLEGE THE	NUC THE CATTON OF THE CONTROL OF THE
 If AN ENTITY IS A SPECIFIED US PERSON AND ALSO HAS A TAX RESIDENCY OUTSIDE INDIA OTHER THAI IF IT IS NOT A SPECIFIED US PERSON BUT HAS TAX RESIDENCIES OUTSIDE INDIA OTHER THAN US IN MO 	
COUNTRY OF TAX RESIDENCE OUTSIDE INDIA OTHER THAN US TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER (CIN), EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)
ADDRESS*	
LINE 1:	сіту:
LINE 2:	
LINE 3:	STATE:
	PIN:
COUNTRY OF TAX RESIDENCE OUTSIDE INDIA OTHER THAN US TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION	IDENTIFICATION TYPE (TIN, COMPANY IDENTIFICATION NUMBER (CIN), EIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)
ADDRESS*	
LINE 1:	CITY:
LINE 2:	STATE:
LINE3:	PIN:

FORM 60 ONLY FOR ENTITIES OTHER THEN COMPANIES AND PARTNERSHIPS (In Case PAN is not Available)	
NAME: (SAME AS ID PROOF)	
IF APPLIED FOR PAN AND IT IS NOT YET GENERATED, ENTER DATE OF APPLICATION IF PAN IS NOT APPLIED, FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETC) AS PER SECTION 64 OF INCOME TAX ACT 1961 FOR THE FINANCIAL YEAR IN WHICH ABOVE TRANSACTION IS HELD	THE
AGRICULTURE INCOME (RS) OTHER THAN AGRICULTURAL INCOME	
VERIFICATION	
dohereby declare that what is stated above is true to the formy knowledge and belief. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated total income (including income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of income accordance with the provisions of income Tax Act 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.	
Verified today, the day of	
Place:	
Signature of the Declar NOMINATION: Applicable Only For Sole Proprietorship	ant
I/WE WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT I/WE DO NOT WANT TO MAKE A NOMINATION IN MY/OUR ACCOUNT	
NOMINATION FORM (DA1)	
Nomination under Section 45Z of the Banking Regulation Act , 1949 and Rule 2(1) of Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in the respect of Bank Deposits.	
I/Wenominate the following person to whom in the event of my /our /minor's death the amount of Deposit, particulars whereof are SERIAL NO.	1
given below, may be returned by Bank of India(Name and address of branch / office in which the deposit held).	
DETAILS OF DEPOSIT:	
Type of Deposit:ACCOUNT NO:	
DETAILS OF THE NOMINEE	
NAME:	
RELATIONSHIP WITH THE DEPOSITOR: AGE: DATE OF BIRTH OF NOMINEE:	
ADDRESS:	
	Ħ
CITY: PIN: STATE:	=
CIF NO, OF NOMINEE (to be filled by LCPC):	
	_
As the nominee is a minor on this date, I/We appoint Shri/Smt.	/ears
Address	
to receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of my / our / minor's death during the minority of the nominee,	
Signature / Thumb impression of the Applica	nt(s)
Personal Details of Witnesses : (Witnesses are required only in case if applicant is illiterate and is affixing thumb impression)	
Witness 1 Name; Witness 1 Name:	- 15
Address: Address:	_
Signature / Thumb Impression Signature / Thumb Impression Place: Date:	

APPLICANT DECLARATION

- I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of
 my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein,
 immediately, in case any of the information is found to be false or untrue or misleading or
 misrepresenting, I/weam/areawarethat I/wemay be held liable for it.
- I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.
- I/We certify and declare that The Company does belong to the class of companies specified in sub-rule (2) of the Companies Rules 2017 (Restrictions on number of Layers) and it (Company) does not have more than two layers of subsidiaries. (As per the details given in Ministry of Corporate Affairs, Gazette notification No. 793 dated 21st Sept 2017.
- 4. I/We affirm and declare that I/We have read over and understood the rules and regulations of the Bank of India (Bank) and those relating to various services offered by the Bank including but not limiting to debit card/internet banking/SMS banking/Telebanking/Mobile Banking/Virtual Banking and any other facilities, I/We agree to abide by the same as amended/modified from time to time by the Bank/ Regulator/ Government published through circulars, notifications, notice board/ websites/ newspaper publications, etc. I/We waive the rights, if any, to have personal notice in respect of such amendments/ modifications. I/We agree that the transactions and requests executed in my/our account(s) by me/authorized person through internet, mobile, telebanking or virtual banking under my/our User ID and password/PIN/OTP will be legally binding on me/us & I/We am/are responsible for the maintenance of secrecy and confidentiality of the authentication credentials and any other information/ details/OTP/PIN, etc., in such matters. I/We agree that Bank has got all the rights to debit my/our account for any service charge, expenses or other dues which the Bank is entitled/ liable to recover from me. I/We also authorise the Bank and agree to close/discontinue my account without any notice to me in case of any violation of laws/rules/regulations or terms and conditions of maintaining the account . I/We hereby undertake to inform the Bank on any change in my communication address or constitution, and I/We shall submit the address proof in case of transfer of my account from one branch to another branch
- 5. In respect of accounts opened on the basis of Aadhaar details, i hereby declare that I have submitted the Aadhaar Card issued by UIDAI for identification and / or address proof towards the compliance of KYC norms under the PMLA, 2002 and I hereby agree that the Bank may verify the same with UIDAI and authorise the UIDAI expressly to release the identity and address through biometric authentication to the Bank.
- I/We confirm and declare that I/We am/are not prevented/prohibited/restricted by any
 applicable legal/regulatory/contractual or other provisions from opening and/or
 maintaining the accounts or to transact with the Bankin any other way.
- 7. I/Weagreethatmy/ourpersonalKYCdetails may be shared with Central KYCregistry or any other competent authority. I/We hereby consent to receive information from the Bank/Central KYC Registry/Gol/RBI or any other authority through SMS/e-mail on my registered mobile number/e-mail address. I/We also agree that the non-receipt of any such SMS/e-mail shall not make the Bank liable for any loss or damage whatsoever innature.
- 8. I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
- 9. I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidellnes issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bankmay have to report the details in respect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the inter- Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign

- Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
- 10. I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me/us and signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening account and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true, correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my/our account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me/us is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/We am/are aware that I/We may be held liable for it.
- 11. I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the Information provided herein/or otherwise, as well as In the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid selfcertification along with documentary e vidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended documents/Information provided by me unless revised self-certification as above is provided to the Bank.
- 12. I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in future or my/our failure to remedy any deficiency in documents/ information/other details within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (Goll/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/RBI/Gol fromtime to time.
- 13. I/We also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provide on account of any change in law either in India or abroad in relating to the operation or maintenance of the account.
- 14. I/We shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me/us.
- I/We undertake to submit data/information together with fresh KYC documents for updation of KYC details at periodical intervals as may be regulred by the Bank.
- I/We understand that the account will be activated and debits will be allowed only after completion of Customer Due Dilligence relating to KYC by the Bank.
- 17. I/We have been advised of Monthly average/minimum balance requirement for the account to be opened and given to understand that these requirements are subject to revision/change and such revision/changes will be uploaded in the Bank's site which will be acceptable to me as a notice to that effect.
- 18. I/We Undertake to submit Aadhaar and / or PAN within 6 months from the date of opening of account, failing to which I understand my account will cease to be operational as per GOI guidelines, amending Prevention of Money laundering (Maintenance of Records) Rules 2005.(In case the account is opened without Aadhaar / PAN)
- 19. In case, deemed OVDs are submitted for current address at the time of Account opening, I undertake to submit Aadhaar or any of the OVD having Current Address within 3 months from the date of account opening, failing to which I understand that my account may cease to be operational as per GOI guidelines at the material time.
- I confirm and undertake that I will not deal in Virtual Currencies and will not use my account
 for any services related Virtual Currencies or facilitate any person or entity, in dealing with
 or settling virtual currencies.
- ${\bf 21. I/We undertake to keep\ QAB\ (Quarterly\ Average\ Balance)\ in the\ account\ as\ prescribed\ under the\ respective\ account\ scheme\ and\ agree to\ pay\ the\ penalty\ If\ QAB\ is\ not\ maintained.}$

	Please paste			Please paste photograph			Please paste	
	here			here			here	
Signature of	Authorized Signatory 1 (Do no	ot overlap)	Signature of	f Authorized Signatory 2 (Do n	ot overlap)	Signature of	Authorized Signatory 3 (Do not ove	erlap)
	ŧ							
Name:			Name:			Name:		
Designation:			Designation:			Designation:		
Date:			Date:			Date:		
Name, Signat P.F. No. of the	ture, Seal and Verifying Official	e		ture, Seal and e Verifying Official			ture, Seal and Verifying Official	

	TOROTTICE	USE ONLY	
1, APPLICANT(S) INTERVIEWED AND PURPOSE ASCE	ERTAINED (SPECIFY THE PURPOSE) :		
2. WHETHER SELF - CERTIFICATION & DOCUMENTS (CARE: BRANCH TO PROCEED WITH OPENING O			YES NO
3. THRESHHOLD LIMIT IS RS:			
4, DOCUMENTS RECEIVED : SELF CERTIFIED	TRUE COPIES NOTARY	5. RISK CATEGORY: HIG	GH MEDIUM LOW
6. IN PERSON VERIFICATION CARRIED OUT AND SIGN	NATURE OF THE APPLICANT VERIFIED BY: IDEN	TITY VERIFICATION: DO	DNE
7. AUTHORISED OFFICIAL HAS VERIFIED THE ACTIVI	ITY OF PROPRIETARY CONCERN AT THE ADDRES	S MENTION IN ACCOUNT OPENING FORM :	YES NO
OFFICIAL NAME :	PF NO.:	DESIGNAT	ION:
DATE: SS1	NO.:	_ SIGNATURE:	
OPEN CIF		TRANSACTION NO	D. INITIALS
DATE: (AI	UTHORISED SIGNATORY)	CIF:	
OPEN THE ACCOUNT			
BRANCH MANAGER / AUTHORISED OFFICIAL (SIGNAT	URE)		
ACCOUNT OPENED ON:	ACCOUNT NUMBER:		
REMARKS (IF ANY):	77-12	2 14 (2 40 40 40 11 10 40 11 10	
ASSISTANT / OFFICER (SIGNATURE)		OFFICER (SIGNATURE)	
NAME:		NAME:	
EMP./OFFICIAL NAME:			
S.S No. / P.F No.:		S.S No. / P.F No.:	
EMP./OFF. DESIGNATION:		EMP./OFF. DESIGNATION:	<u>-</u> <u>-</u> -
EMP./OFF. BRANCH:		EMP./OFF. BRANCH:	
71			
ACCOUNT CLOSED ON:	ACCOUNT TRANSFERRED TO	BRAN	CH ON
AUTHORISED OFFICIAL (SIGNATURE)			
AUTHORISED OFFICIAL (SIGNATURE)			
CURRENT ACCOUNT RULES			
CURRENT ACCOUNT RULES	ite channels for opening the Current Account, nk should ordinarily be accompanied by a pay- h countar foils will be supplied in book form and		onstituents periodically and can be obtained at any accounts, should, be, carefully examined by the
CURRENT ACCOUNT RULES	ate channels for opening the Current Account, nk should ordinanly be accompanied by a pay- ncounterfolls will be supplied in book formand microll will be authenticated by the initials of depositor should satisfy himself that the	Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or onlissic be drawn to them immediately. The Bar	onstituents periodically and can be obtained at any accounts: should be carefully examined by the mos are discovered, the attention of the Blank must ik will not be responsible for any loss arising from
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alternate payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slip a with the entry of the transactions made in the count an authorised employee of the Bank. The transactionis progressing of the Bank. The	ite channels for opening the Current Account, nk should ordinarily be accompanied by a pay- hounterfoils will be supplied in book form and nterfoil will be authenticated by the initials of depositor should satisfy himself that the dforms. The Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of	10. Statements of accounts will be sent to co time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Bar neglect of this precaution.	onstituents periodically and can be obtained at any accounts, should be carefully examined by the bare are discovered, the attention of the Bank must lik will not be responsible for any loss arising from buent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in slips etc. constituents should clearly
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alternate payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slips will the entry of the transactions made in the count an authorised employee of the Bank. The transactionis so certified. 2. Cheques must be drawn on the Bank is printed payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way of the drawn of the payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way of the payment of the payment of the cheater of the payment of the p	o forms. The Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of nless the alternation is authenticated by the sedrawn in such a way as to provent alteration owith that oppropriet the large.	10. Statements of accounts will be sent to co time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Bar neglect of this precaution.	onstituents periodically and can be obtained at any accounts should be carefully examined by the man are discovered, the attention of the Bank must k will not be responsible for any loss arising from tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in-alips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slips will the entry of the transactions made in the could an authorised employee of the Bank. The transactionis so certified. 2. Cheques must be drawn on the Bank s printe payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way of aware under full signature. Cheques should he slips the sisten and the slopature chedules should be after issue and the slopature chedules willow.	o forms. The Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of nless the alternation is authenticated by the sedrawn in such a way as to provent alteration owith that oppropriet the large.	 Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or ontissic be drawn to then immediately. The Barn neglect of this precaution. Any change in the address of the constituent correspondence with the Bark an mention the account number allotted att Accounts may be transferred at the req Bank. The Bank accepts securities and shar 	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in-slips etc. constituents should clearly the time of opening of the account, uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest,
1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Barn slip duly signed by the constituent. Slips with the entry of the transactions made in the coulan authorised employee of the Bank. The transaction is coertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank s printe payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way drawer under full signature. Cheques should after issue, and the signature should be unifor 3. Constituents should not overdraw their accomade previous arrangements. Overdraft fare extant instructions, interest will be charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the deli	o lorms, The Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the sed drawn in such away as to prevent alteration munts, even for small amounts without having granted in current accounts on terms as per id at the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Bar neglect of this precaution. 11. Any change in the address of the constituter correspondence with the Bank an mention the account number allotted at 12. Accounts may be transferred at the req Bank.	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in slips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication.
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slips with the entry of the transactions made in the coulan authorised employee of the Bank. The transaction is co-critified. 2. Cheques must be drawn on the Bank's printer payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way of the drawn under full signature. Cheques should after issue, and the signature should be unifor a commander privious arrangements. Overdraft fare extant instructions. Interest will be charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the dicannot guarantee depositors against loss in spaid. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, pay are	o forms, the Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the sed drawn is such away as to prevent alteration munts, even for small amounts without having granted in current accounts on terms as per id at the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but uch cases in the event of such a cheque being id pension bills, etc. on behalf of constituents,	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, fany errors or omissic be drawn to them immediately. The Bar neglect of this precaution. 11. Any change in the address of the constituent or respondence with the Bank an mention the account number allotted at the feel of the sent of the sen	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in slips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication.
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slips with the entry of the transactions made in the coulan authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank s printer payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way used to be a support of the s	of forms, The Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the se drawn in such away as to prevent alteration munts, even for small amounts without having granted in current accounts to terms as per id at the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but uch cases in the event of such a cheque being and pension bills, etc. on behalf of constituents, specified limit immediate credit in respect of lole atouts tattop branches.	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, fany errors or omissic be drawn to them immediately. The Bar neglect of this precaution. 11. Any change in the address of the constituent or respondence with the Bank an mention the account number allotted at the feel of the sent of the sen	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in slips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication.
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slip with the entry of the transactions made in the count authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank s printer payment of any cheque drawn otherwise. The payment of any cheque drawn otherwise. The payment of any cheque drawn otherwise. The payment of any long the control of any way in drawer under full signature. Cheques should be unifored as the control of the country of the control of the country of th	of lorms, the Bank reserves its right to retuse bank reserves the right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the sed drawn in such away as to prevent alteration muith that on record at the Bank, nunts, even for small amounts without having granted in current accounts on terms as per did at the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but uch cases in the event of such a cheque being and pension bills, etc. on behalf of constituents, specified limit immediate credit in respect of ole at outstation branches. Clearing redit of an account must not be drawn against	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, fany errors or omissic be drawn to them immediately. The Bar neglect of this precaution. 11. Any change in the address of the constituent or respondence with the Bank an mention the account number allotted at the feel of the sent of the sen	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in slips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication.
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Bar in slip duly sloned by the constituent. Slip with the entry of the transactions made in the count authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank s printer phyment of any chaque drawn otherwise. The chaques that have quadrature. Cheques should be unifor a constituent should not overdraw their accomade previous arrangements. Overdraft are extant instructions, interest will be charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the drawn of the daily balances. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, pay and in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payal 6. Local chaques, etc. will be cleared under CTSC. Cheques, bills, etc. sent in for collection and contents.	of lorms, the Bank reserves its right to retuse bank reserves the right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the sed drawn in such away as to prevent alteration muith that on record at the Bank, nunts, even for small amounts without having granted in current accounts on terms as per did at the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but uch cases in the event of such a cheque being and pension bills, etc. on behalf of constituents, specified limit immediate credit in respect of ole at outstation branches. Clearing redit of an account must not be drawn against	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, fany errors or omissic be drawn to them immediately. The Bar neglect of this precaution. 11. Any change in the address of the constituent or respondence with the Bank an mention the account number allotted at the feel of the sent of the sen	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in slips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication.
1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Barn slip duly signed by the constituent. Slips will the entry of the transactions made in the coulan authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank s printed payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way drawer under full signature. Cheques should after issue, and the signature should be unifor 3. Constituents should not overdraw their accompande previous arrangements. Overdraft are extant instructions, interest will be charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the dicannot guarantee depositors against loss in spaid. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, payar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payar in collection and countil they have been realised. 7. Cheques, bills, etc. sent in for collection and countil they have been realised.	of Jorns, The Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the ed rawn in such away as to prevent alteration mwith that on record at the Bank. Authenticated in current accounts on terms as per did at the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but uch cases in the event of such a cheque being and pension bills, etc. on behalf of constituents, specified limit immediate credit in respect of loea outstation branches. Jearing redit of an account must not be drawn against ded for realisation by the Bank, should be sent counts for making periodic remittances, etc.	 Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Bar neglect of this precaution. Any change in the address of the constituent or respondence with the Bank an mention the account number allotted that 2. Accounts may be transferred at the req Bank. The Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had. The Bank reserves the right to alter/add the security of the	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in slips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication.
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slip with the entry of the transactions made in the count authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank s printer payment of any cheque drawn otherwise. The payment of any cheque drawn otherwise. The payment of any cheque drawn otherwise. The payment of any large transaction is ocertified. 3. Constituents should not overdraw their accomade previous orrangements. Overdraft are extant instructions, interest will be charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the drawn of the daily balances. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, payar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payat 6. Local chaques, etc. will be cleared under CTSC. Cheques, bills, etc. sent in for collection and	of lorms, the Bank reserves its right to retuse bank reserves the right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the sed drawn in such away as to prevent alteration muith that on record at the Bank, nunts, even for small amounts without having granted in current accounts on terms as per did at the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but uch cases in the event of such a cheque being and pension bills, etc. on behalf of constituents, specified limit immediate credit in respect of ole at outstation branches. Clearing redit of an account must not be drawn against	 Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Bar neglect of this precaution. Any change in the address of the constituent or respondence with the Bank an mention the account number allotted that 2. Accounts may be transferred at the req Bank. The Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had. The Bank reserves the right to alter/add the security of the	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in slips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication.
1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slips with the entry of the transactions made in the could an authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank s printed the payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way drawer under full signature. Cheques should after issue, and the signature should be unifor 3. Constituents should not overdraw their accommade previous arrangements. Overdraft the extant instructions, interest will be charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the dicannot guarantee depositors against loss in spaid. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, payar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payar in the control of the control of the control of the drawn of the	or Jorns, The Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the ed drawn is such away as to prevent alteration munts that on record at the Bank. Jorns and the reserved at the Bank and the such as a period at the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but such cases in the event of such a cheque being ad pension bills, etc. on behalf of constituents, specified limit immediate credit in respect of ole at outstation branches. Jeaning redit of an account must not be drawn against ded for realisation by the Bank, should be sent counts for making periodic remittances, etc. INDUSTRY	10. Statements of accounts will be sent to or time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Barn neglect of this precaution. 11. Any change in the address of the constituter correspondence with the Barsk an mention the account number allotted at 12. Accounts may be transferred at the req Bank. 13. The Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had 14. The Bankreserves the right to alter/add to the Bank accepts securities and shared with the Bankreserves the right to alter/add to the Bankreserves the right to alter a decrease the Bankreserves the right to alter a decrease the righ	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in alips etc. constituents should clearly he time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication. o/delete any of these rules at any time.
1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slips with the entry of the transactions made in the could an authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank's printer payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way utrawer under full signature. Cheques should after issue, and the signature should be unifor 3. Constituents should not overdraw their accommade previous arrangements. Overdraft are extant instructions, interest will be charged calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the diameter of the cannot guarantee depositors against loss in spaid. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, pay and in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payard in collection and countil they have been realised. 8. Bills, notes, etc. not payable on demand, internations, on the collection and countil they have been realised. 9. The Bank accepts standing instructions on acceptance of the collection and countil they have been realised. 9. AIRLINES / AVIATION 02. ADVERTISING AGENCY 12.	o forms, The Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the drawn is such away as to prevent alteration munth that on record at the Bank. The summer of a summer of the Bank and the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but uch cases in the event of such a cheque being and pension bills, etc. on behalf of constituents, specified limit immediate credit in respect of local outstation branches. Clearing redit of an account must not be drawn against ded for realisation by the Bank, should be sent counts for making periodic remittances, etc.	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Barn neglect of this precaution. 11. Any change in the address of the constituter correspondence with the Bank an mention the account number allotted at the correspondence with the Bank and the red Bank. 13. The Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had 14. The Bank reserves the right to alter/add to the Bank accepts securities and share dividends, etc. on terms which may be had the Bank reserves the right to alter/add to the Bank reserves the right to alter add to the Bank reserves the right to alter add to the Bank reserves the right to alter add to the Bank reserves the right to alter add to the Bank reserves the right to alter add to the Bank reserves the right to alter add to the Bank reserves the right to alter a data to the Bank reserves the right to alter a data to the Bank reserves the right to alter a data to the Bank reserves the right to alter a data to the Bank reserves the right to alter a data to the Bank reserves the right to alter a data to the Bank reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a data to the reserves the right to alter a	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in slips etc. constituents should clearly het time of opening of the account, uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication. o/delete any of these rules at any time.
1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Barn slip duly signed by the constituent. Sign with the entry of the transactions made in the could an authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank s printe payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way ut drawer under full signature. Cheques should after issue, and the signature should be unifored. 3. Constituents should not overdraw their accommade previous arrangements. Overdraft are extant instructions, interest will be charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the dramot guarantee depositors against loss in spaid. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, pay are in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payal for the collection and control of t	a domis, the Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the sed rawn in such away as to prevent alteration mwith that on record at the Bank. unts, even for small amounts without having granted in current accounts on terms as per did the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but uch cases in the event of such a cheque being adpension bills, etc. on behalf of constituents, specified limit immediate credit in respect of load outstation branches. Iterating redit of an account must not be drawn against ded for realisation by the Bank, should be sent counts for making periodic remittances, etc., INDUSTRY 15. CASINOS 16. CEMENTS / PAINTS 17. CHIT FUNDS 18. CONSUMER DURABLES	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or ontissic be drawn to them immediately. The Bar be drawn to them immediately. The Bar has the correspondence with the Bark on mention the account number allotted at the real Bark. 13. The Bark accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be has 14. The Bark reserves the right to alter/add to the Bark accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be has 14. The Bark reserves the right to alter/add to the Bark reserves the right to alter a dividend to the Bark reserves the right to alter a dividend to the Bark reserves the right to alter a dividend to the Bark reserves the right to alter a dividend to the Bark reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the righ	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in alips out. Constituents should clearly he time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication. o/delete any of these rules at any time. 43. STEEL/HARDWARE 44. STOCKS & SHARES 45. TECH STARTUPS 46. TELECOMMUNICATION
1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Barn slip duly signed by the constituent. Signs with the entry of the transactions made in the could an authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank is printed to the could be uniformed by the charge state of the charge s	a doministic from the Bank reserves its right to refuse payment of niless the alternation is authenticated by the growth and the authenticated by the growth and the authenticated by the growth and the authenticated by the Bank and the authenticated in current accounts on terms as per did at the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but uch cases in the event of such a cheque being and pension bills, etc. on behalf of constituents, specified limit immediate credit in respect of lost outside the authentic behalf of constituents. Jearing redit of an account must not be drawn against ded for realisation by the Bank, should be sent counts for making periodic remittances, etc. INDUSTRY 15. CASINOS 16. CEMENTS / PAINTS 17. CHIT FUNDS 18. CONSUMER DURABLES 19. COURIER / CARGO	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Ban neglect of this precaulton. 11. Any change in the address of the constituent or or espondence with the Bank an mention the account number allotted at the reg Bank. 12. Accounts may be transferred at the reg Bank. 13. The Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had in the Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had been shared to be a support of the Bank accepts securities and shared with the Bank accepts and the region of Bank accepts and the region of Bank accepts and the Bank accepts and the Bank accepts and the shared with the Bank accepts and the region of Bank accepts and the region of Bank accepts and the Bank accepts and the region of Bank accepts and t	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in alips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication. o/delete any of these rules at any time. 43. STEEL/HARDWARE 44. STOCKS & SHARES 45. TECH STARTUPS 46. TELECOMMUNICATION 47. TEXTILES/GARMENTS 48. TRAVEL & TOURISM
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Barn slip duly signed by the constituent. Slips with the entry of the transactions made in the country of the transaction is certified. 2. Cheques must be drawn on the Bank's printer that the country of the charge of the Bank. The transaction is coertified. 3. Cheques must be drawn on the Bank's printer the charge state of the charge of the bank of the charge state of the charge state of the charge of the charge state of the charge state of the charge of the charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the discussion of the cannot guarantee depositors against loss in spaid. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, payar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, and in the dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, and the personal accounts warrants, etc., poyar in personal accounts, and and the personal accounts warrants, etc., poyar in personal account	and the state of t	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or ontissic be drawn to them immediately. The Bar be drawn to them immediately. The Bar has the correspondence with the Bark on mention the account number allotted at the real Bark. 13. The Bark accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be has 14. The Bark reserves the right to alter/add to the Bark accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be has 14. The Bark reserves the right to alter/add to the Bark reserves the right to alter a dividend to the Bark reserves the right to alter a dividend to the Bark reserves the right to alter a dividend to the Bark reserves the right to alter a dividend to the Bark reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the reserves the right to alter a dividend to the righ	teent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in alips etc. constituents should clearly he time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication. o/delete any of these rules at any time. 43. STEEL / HARDWARE 44. STOCKS & SHARES 45. TECH STARTUPS 46. TELECOMMUNICATION 47. TEXTILES / GARMENTS 48. TRAVEL & TOURISM 49. TRANSPORTATION & LOGISTICS
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slips with the entry of the transactions made in the coulon and authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank's printer that the coulon and the signes of the Bank. The transaction is ocertified. 3. Constituents should not overdraw their second or signes and the signature should be unifor a common strength of the signes and the signatures should be uniformed as a catant instructions. Interest will be charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the discussion of the cannot guarantee depositors against loss in spaid. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, payar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, bills, etc. sent in for collection and cuntil they have been realised. 8. Bills, notes, etc. not payable on demand, inten at least one clear day before due date. 9. The Bank accepts standing instructions on acceptable and acceptable of the signature of the si	or torns, the Bank reserves its right to refuse bank reserves the right to refuse payment of niles the alternation is authenticated by the drawn butch away as to prevent alteration mutth that on record at the Bank. It is a successful to the Bank without having granted in current accounts on terms as per at at the rates stipulated by the Bank and rawer regarding cheques lost, stolen, etc. but uch cases in the event of such a cheque being and pension bills, etc. on behalf of constituents, specified limit immediate credit in respect of lote a toutstation branches. Clearing redit of an account must not be drawn against ded for realisation by the Bank, should be sent counts for making periodic remittances, etc. INDUSTRY 1.5. CASINOS 1.6. CEMENTS / PAINTS 1.7. CHIT FUNDS 1.8. CONSUMER DURABLES 1.9. COURIER / CARGO 1.0. CONSTRUCTION / REAL ESTATE 1.1. CONSULTANCY 1.2. ELECTRONICS	10. Statements of accounts will be sent to or time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Ban neglect of this precaution. 11. Any change in the address of the constituent correspondence with the Bank an mention the account number allotted at 12. Accounts may be transferred at the req Bank. 13. The Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had 14. The Bank reserves the right to alter/add to 14. The Bank reserves the right to alter/add to 15. MANUFACTURING 15. MANUFACTURING 15. MONEY LENDER 16. MEDIA / ENTERTAINMENT 17. MEDICAL / HEALTHCARE 17. MARBLE & GRAINITE 17. OIL & GAS 17. DETAILS IN COUNTY OF THE PETROL PUMPS	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in alips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication. o/delete any of these rules at any time. 43. STEEL / HARDWARE 44. STOCKS & SHARES 45. TECH STARTUPS 46. TELECOMMUNICATION 47. TEXTILES / GARMENTS 48. TRAVEL & TOURISM 49. TRANSPORTATION & LOGISTICS 50. FOREX DEALERS / BULLION 51. PROFESSIONALS (DOCTOR, LAWYER,
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Bar in slip duly signed by the constituent. Slips with the entry of the transactions made in the coulon and authorised employee of the Bank. The transaction is ocertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank's printer payment of any cheque drawn otherwise. The cheques that have been altered in any way undrawer under full signature. Cheques should after issue, and the signature should be unifor 3. Constituents should not overdraw their second previous arrangements. Overdraft are extant instructions, Interest will be charged acculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the dicannot guarantee depositors against loss in spaid. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, payar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., poyar in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, bills, etc. sent in for collection and cuntil they have been realised. 8. Bills, notas, etc. not payable on demand, inten at least one clear day before due date. 9. The Bank accepts standing instructions on acceptable and acceptable an	and the state of t	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Ban neglect of this precaution. 11. Any change in the address of the constituent or or espondence with the Bank an mention the account number allotted at It. 12. Accounts may be transferred at the req Bank. 13. The Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had in the Bank accepts securities and shared and the Bank accepts securities and shared in the Bank accepts securities and shar	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in alips etc. constituents should clearly he time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication. o/delete any of these rules at any time. 43. STEEL/HARDWARE 44. STOCKS & SHARES 45. TECH STARTUPS 46. TELECOMMUNICATION 47. TEXTILES / GARMENTS 48. TRAVEL & TOURISM 49. TRANSPORTATION & LOGISTICS 50. FOREX DEALERS / BULLION 51. PROFESSIONALS (DOCTOR, LAWYER, ENGG, CONSULTING, HR)
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Barn slip duly signed by the constituent. Stips with the entry of the transactions made in the coulan authorised employee of the Bank. The transaction is coertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank in the coulan authorised employee of the Bank. The transaction is coertified. 3. Constituents should not overdraw their accounts are under full signature. Cheques should after issue, and the signature should be unifored. 3. Constituents should not overdraw their accounts are extant instructions. Interest will be charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the dicannot guarantee depositors against loss in spaid. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, pay are in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payal in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payal in the phase been realised. 8. Bills, notes, etc. not payable on demand, intensit they have been realised. 9. The Bank accepts standing instructions on accounts and continued the phase standing instructions on accounts. The Bank accepts standing instructions on accounts and continued the phase standing instructions on accounts. 01. AIRLINES / AVIATION 02. ADVERTISING AGENCY 13. AGRICULTURE / ALLIED INDUSTRIES 14. AUTOMOBILES 15. AUTOPARTS 16. AUTOPARTS 16. AUTOPARTS 17. ARMS DEALER 18. BANKING / FINANCIAL SERVICES 18. BANKING / FINANCIAL SERVICES 19. ENGINEERING / CAPITAL GOODS 10. FERTILIZERS / CHEMICALS / SEEDS / 11. PESTICIDES	and the state of t	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or omissic be drawn to them immediately. The Ban neglect of this precaulton. 11. Any change in the address of the constituent or or espondence with the Bank an entrient the account number allotted at the reg Bank. 12. Accounts may be transferred at the reg Bank. 13. The Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had in the second of the second o	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in alips etc. constituents should clearly the time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication. o/delete any of these rules at any time. 43. STEEL / HARDWARE 44. STOCKS & SHARES 45. TECH STARTUPS 46. TELECOMMUNICATION 47. TEXTILES / GARMENTS 48. TRAVEL & TOURISM 49. TRANSPORTATION & LOGISTICS 50. FOREX DEALERS / BULLION 51. PROFESSIONALS (DOCTOR, LAWYER,
CURRENT ACCOUNT RULES 1. Whenever the customer does not use alterna payments to credit of an account with the Barn slip duly signed by the constituent. Stips with the entry of the transactions made in the coulan authorised employee of the Bank. The transaction is coertified. 2. Cheques must be drawn on the Bank in the coulan authorised employee of the Bank. The transaction is coertified. 3. Constituents should not overdraw their second and the signature should be unifored. 3. Constituents should not overdraw their accommade previous arrangements. Overdraft are extant instructions. Interest will be charge calculated upon the daily balances. 4. The Bank will register instructions from the dicannot guarantee depositors against loss in spaid. 5. The bank collects bills, drafts, cheques, pay are in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payer in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payer in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payer in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payer in personal accounts, the Bank offers up to a cheques, drafts, dividend warrants, etc., payer in personal accounts, and in the standard of the	and the state of t	10. Statements of accounts will be sent too time on application. The entries of a constituent, and, if any errors or ontissic be drawn to them immediately. The Bar be drawn to them immediately. The Bar be drawn to them immediately. The Bar in mention the account number allotted at their correspondence with the Bank on mention the account number allotted at the req Bank. 13. The Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had in the Bank accepts securities and shar dividends, etc. on terms which may be had to the Bank reserves the right to alter/add to all the Bank reserves the right to alter/add to all the Bank reserves the right to alter/add to all the Bank reserves the right to alter/add to all the Bank reserves the right to alter/add to all the Bank reserves the right to alter/add to all the Bank reserves the right to alter/add to all the Bank reserves the right to alter/add to all the Bank reserves the right to alter/add to all the right reserves the right to alter/add to all the right reserves the right to alter/add to all the right reserves the right to alter a day to all the right reserves the right to alter a day to all the right reserves the right to alter a day to all the right reserves the right reserves the right to alter a day to all the right reserves	tuent must be promptly advised to the Bank. In all d on pay-in alips etc. constituents should clearly he time of opening of the account. uest of the constituents to any other office of the es for safe custody and realisation of interest, donapplication. o/delete any of these rules at any time. 43. STEEL / HARDWARE 44. STOCKS & SHARES 45. TECH STARTUPS 46. TELECOMMUNICATION 47. TEXTILES / GARMENTS 48. TRAVEL & TOURISM 49. TRANSPORTATION & LOGISTICS 50. FOREX DEALERS / BULLION 51. PROFESSIONALS (DOCTOR, LAWYER, ENGG, CONSULTING, HR) 52. RETAIL CHAIN / FMCG

We declare and certify our entity status under Rules 114F to 114H of the Income tax Rules, 1962 notified vide CBDT Notification No. S,O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015, as under:

	Tick status of Financial Institution				Yes	No	
	Name of Entity						
a)	Depository Institution						
ь)	Custodial Institution			3°			
c)	Investment Entity which is not a passive NFE						
d)	Specified Insurance Company						
	Owner-Documented Fl with substantial US owner	r(s) details of	substanti	al US Owner to be captured as per Annexure-II			
	Reporting Financial Institution						
	If 2 OR 3 above is yes, please provide Global Intern	nediary ident	ification N	lumber (GIIN)			
	Non-Participating Financial Institution						
	Non-Reporting Financial Entity (If Yes , Please Tick	one of the c	ategory In	the Table below)			
S No.	Category of NRFI	(٧)	S No.	Category of NRFI		(4)	
1.	Governmental Entity;		13.	Provident fund			
2.	International Organisation;		14.	An Indian investment entity which is wholly held by NRF referred to in (i) to (xlii) above and where any debt intercheld by a depository institution or NRFIs referred to in (i)	est Is		
3.	Central Bank;		15.	Qualified credit card issuer;	Qualified credit card issuer;		
4.	Treaty Qualified Retirement Fund;		16.	Specified Investment entity as per CBDT rules (Rule 11	Specified Investment entity as per CBDT rules (Rule 114F(5)(f));		
5.	Narrow Participation Retirement Fund;		17.	Exempt collective investment vehicle;			
6.	Broad Participation Retirement Fund;		18.	Trustee-documented Indian Trust;			
7	Pension Fund of a Governmental Entity;		19.	Financial Institution with a local client base;			
8.	Pension Fund of an International Organisation;		20.	Local Bank (including Regional Rural Bank, Urban Coope State Cooperative Banks / District Central Cooperative Local Area Banks provided that the assets test as in Exp to Rule 114F(5);			
9.	Pension Fund of a Central Bank;	ļ. <mark></mark>	21.	Financial Institution with only low-value accounts;			
10.	Non-public fund of the armed forces;		22.	Sponsored investment entity and controlled foreign corporation (in case of any U.S. reportable account);	red investment entity and controlled foreign		
11.	Employees state insur ance fund;		23.	Sponsored closely held investment vehicle (in case of any U.S. reportable account)			
12,	Gratulty Fund;						
	Sponsored Investment Entity						
al	GIIN of Sponsored entity						

We ce	rtlfy tha	t we hav	e the	capacit	y to sign fo	the Financia	Institution	s per CBD	Trules/RBI o	juldellnes.
Date:										
Place:										

SIGNATURE(S)
NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY

SINUAL FOR INCENSION CHILD PRESON ARE ALTED PERSON ARE ALTED PERSON ARE ALTED PERSON WITH AREA AND ALTER AND ALTER AREA AND ALTER AND ALTER AREA AND ALTER A		NNEXURE II
ROUGHTONES OF CONTROLLING PERSON / RELATED PERSON / SENETICAL CONTROLLING PERSON PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROL	(SEPARATE FORM FOR EACH CONTROLLING PERSON/RELATED PERSON/BENEFICIAL OWNER TO BE FILLED IN)	
CHITALOURIDAD DETAILS OF CONTROLLING PERSON / RELATED PERSON / BENEFICIAL OWNER* PRESENTED OF CONTROLLING PERSON / RELATED PERSON / BENEFICIAL OWNER* PRESENTED OF CONTROLLING PERSON / COLUMN / CONTROLLING PERSON / CONTROL / CONTROLLING PERSON / CONTROL / CONT	APPLICATION TYPE* NEW UPDATE BRANCH TO AFFIX RUBBER STAMP OF NAME AND CODE NO. OF CONTI PER	THE ROLLING SON/
1.DETAILS OF CONTROLLING PERSON / RELATED PERSON / BENEFICIAL OWNER* [Please refer General Instruction]: 1.A DETAILS OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE CONTROLLING PERSON DETAILS ADDITION OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE CONTROLLING PERSON DETAILS TYPE OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE CONTROLLING PERSON DETAILS TYPE OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE CONTROLLING PERSON DETAILS TYPE OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE CONTROLLING PERSON DETAILS TYPE OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE RELATED PERSON DETAILS TO SELECT ON THE PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE RELATED PERSON DETAILS TO SELECT ON THE PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE RELATED PERSON DETAILS THE PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE RELATED PERSON DETAILS THE PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE RELATED PERSON DETAILS THE PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE RELATED PERSON DETAILS THE PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON UPDATE RELATED PERSON DETAILS UPDATE CONTROLLING PERSON DETAILS	BENEFICI	
CPICES OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON	ENTITY NAME:	
DELETION OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON DELETION OF CONTROLLING PERSON DETAILS RYC MUMBERS AWALABLE, 19:		
NCALOP FLOAT PERSON: OTHER MEANS	1. A DETAILS OF CONTROLLING PERSON (For Passive NFE Only)	
TYPE OF CONTROL* IN CASE OF TRUST: OWNERSHIP OTHER MANS SENIOR MANAGING OFFICALS NOTION OF SELATED PERSON DELETION OFFICALS NOTION OF SELATED PERSON SENIOR MANAGING OFFICALS NOTION OF SELATED PERSON DISTRICT SENIOR MANAGING OFFICALS SENIOR MANAGING OFFICALS NOTION OF SELATED PERSON PRESON TYPE IS NAME IS MANAGING OFFICALS SENIOR MANAGING OFF		(ANDATORY)
INCASE OF TRUST: SETTLOR TRUSTEE PROTECTOR BENEFICIARY Others INCASE OF TRUST: SETTLOR TRUSTEE PROTECTOR BENEFICIARY Others INCASE OF TRUST: SETTLOR TRUSTEE PROTECTOR BENEFICIARY OTHER PEDIANT INCASE OF TRUST: SETTLOR SETTLOR TRUSTEE PROTECTOR BENEFICIARY OTHER PEDIANT INCASE OF TRUST: SETTLOR SET		, in Section 1
ADDITION OF RELATED PERSON DELETION OF D	IN CASE OF TRUST: SETTLOR SETTLOR TRUSTEE PROTECTOR BENEFICIARY Othe IN CASE OF OTHER LEGAL ARRANGEMENT: SETTLOR-EQUIVALENT TRUSTEE-EQUIVALENT PROTECTOR-EQUIVALENT OTHER BENEFICIARY-EQUIVALENT OTHER OTHER	
NCOLUMBER OF RELATED PERSON IF AWALABLE*): DECTOR	1. B DETAILS OF RELATED PERSON	
RELATED PERSON TYPE*: OIRECTOR	ADDITION OF RELATED PERSON DELETION OF RELATED PERSON UPDATE RELATED PERSON DETAILS	
BENERICIARY BENERI	KYC NUMBER OF RELATED PERSON (IF AVAILABLE*): (IF KYC NUMBER IS AVAILABLE, ONLY RELATED PERSON TYPE & NAME	IS MANDATORY)
NAME (SAME AS ID PROOF)* MAIDEN NAME (IF ANY*): FATHER NAME*: SPOUSE NAME*: MOTHER NAME *: UID / AADHAAR NO: UID / AADHAAR NO: UID / BETTE MARRIED OR AADHAAR ENROLMENT NO: UID / BETTE MARRIED OTHERS MARRIED UNMARRIED OTHERS MARRIED UNMARRIED OTHERS MARRIED UNMARRIED OTHERS MARRIED UNMARRIED OTHERS CITIZENSHIP*: INDIAN OTHERS OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR GOVERNMENT SECTOR) DATE OF BIRTH*: B - BUSINESS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO aforeging country, eg. Heads of States or of Governments, senior government / Judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc.	(MORE THAN ONE BOX CAN BE TICKED AS APPLICABLE) COURT APPOINTED OFFICIAL BENEFICIARY BENEFICIAL OWNER OTHERS	SED SIGNATORY
NAME (SAME ASID PROOF)* MAIDEN NAME (IF ANY*): FATHER NAME*: SPOUSE NAME*: MOTHER NAME *: UID / AADHAAR NO: UID / AADHAAR ENROLMENT NO: UID / AADHAAR NO: UID / AADHAAR ENROLMENT NO: UID / A	2. PERSONAL DETAILS* (Please refer Instruction G II at the end)	
MAIDEN NAME (IF ANY*): FATHER NAME*: SPOUSE NAME*: MOTHER NAME *: UID / AADHAAR NO: UID / AADHAAR NO: UID / AADHAAR NO: DIN (DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER): OR AADHAAR ENROLMENT NO: DIN (DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER): (MANDATORY IF RELATED PERSON TYPE IS DIRECTOR) DATE OF BIRTH*: GENDER: M - MALE F - FEMALE T - TRANSGENDER MARRIED UNMARRIED UNMARRIED OTHERS NATIONALITY: IN-INDIAN OTHERS COUNTRY CODE (ISO 3166) FOREIGN NATIONAL PERSON OF INDIAN ORIGIN FOREIGN NATIONAL PERSON OF INDIAN ORIGIN FOLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO AFOREGEN STATUS* POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO AFOREGEN COUNTRY CODE OF TAX RESIDENCE*: (ICODE FOR INDIA) S* 'IN')		M E
FATHERNAME*: SPOUSE NAME*: MOTHER NAME *: UID / AADHAAR NO.: DIN (DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER): MANDATORY IF RELATED PERSON TYPE IS DIRECTOR) DATE OF BIRTH*: GENDER: M - MALE		+++
SPOUSE NAME*: MOTHER NAME *: UID / AADHAAR NO: DIN (DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER): OR AADHAAR ENROLMENT NO: DIN (DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER): GENDER: M - MALE F - FEMALE T - TRANSGENDER MARRIED UNMARRIED OTHERS NATIONALITY: IN-INDIAN OTHERS OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR GOVERNMENT SECTOR) B - BUSINESS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO AADHAAR ENROLMENT NO: (MANDATORY IF RELATED PERSON TYPE IS DIRECTOR) (ISO 3166) PERSON OF INDIAN ORIGIN FOREIGN NATIONAL PERSON OF INDIAN ORIGIN A foreign country, ag. Heads of States or of Governments, senior government / Judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc. COUNTRY CODE OF TAX RESIDENCE*: (CODE FOR INDIA IS * IN *)		
MOTHER NAME*: UID / AADHAAR NO.: DIN (DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER): OR AADHAAR ENROLMENT NO.: OR AADHAAR ENROLMENT NO.: IMANDATORY IF RELATED PERSON TYPE IS DIRECTOR) WAARIEAL STATUS*: OR AADHAAR ENROLMENT NO.: IN AND IN INDIAN OTHERS OTHERS OCCUPATION TYPE*: OR OTHERS OCCUPATION TYPE*: OR OTHERS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO OCCUPATION TYPE IN INDIAN POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO OCCUPATION TYPE IN INDIAN POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO OCCUPATION TYPE IN INDIAN POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO OCCUPATION TYPE IN INDIAN POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO OCCUPATION TYPE IN INDIAN POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO OCCUPATION TYPE IN INDIAN POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO OCCUPATION TYPE IN INDIAN OCCUPATION TYPE IN INDIAN OCCUPATION TYPE IN INDIAN OTHERS OTHERS OTHERS OTHERS OTHERS OTHERS OTHERS OT		
UID / AADHAAR NO.: DIN (DIRECTOR (DENTIFICATION NUMBER): OR AADHAAR ENROLMENT NO.: DIN (DIRECTOR (DENTIFICATION NUMBER): OR AADHAAR ENROLMENT NO.: (MANDATORY IF RELATED PERSON TYPE IS DIRECTOR) DATE OF BIRTH*: GENDER: M - MALE		
DIN (DIRECTOR IDENTIFICATION NUMBER): (MANDATORY IF RELATED PERSON TYPE IS DIRECTOR) DATE OF BIRTH*: GENDER: M - MALE F - FEMALE T - TRANSGENDER MARITAL STATUS*: MARRIED UNMARRIED OTHERS NATIONALITY: IN-INDIAN OTHERS COUNTRY CODE ISO 3166) RESIDENTIAL STATUS*: RESIDENT INDIVIDUAL NON RESIDENT INDIAN FOREIGN NATIONAL PERSON OF INDIAN ORIGIN CITIZENSHIP*: , INDIAN OTHERS OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR GOVERNMENT SECTOR) B - BUSINESS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO Afreign country, e.g. Heads of States or of Government, senlor government / Judicial / military officers, senior executives of state - owned corporations, important political party officials, etc.		
DATE OF BIRTH*: GENDER: M - MALE F - FEMALE T- TRANSGENDER MARRIED UNMARRIED OTHERS NATIONALITY: IN-INDIAN OTHERS (ISO 3166) RESIDENTIAL STATUS*: RESIDENT INDIVIDUAL NON RESIDENT INDIAN FOREIGN NATIONAL PERSON OF INDIAN ORIGIN CITIZENSHIP*: , INDIAN OTHERS OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR GOVERNMENT SECTOR) O - OTHERS (PROFESSIONAL SELF EMPLOYED RETIRED HOUSE WIFE STUDENT) B - BUSINESS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO Africal service of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of States or of		
GENDER: M-MALE F-FEMALE T-TRANSGENDER MARRIED UNMARRIED OTHERS NATIONALITY: IN-INDIAN OTHERS COUNTRY CODE (ISO 3166) RESIDENTIAL STATUS*: RESIDENT INDIVIDUAL NON RESIDENT INDIAN FOREIGN NATIONAL PERSON OF INDIAN ORIGIN CITIZENSHIP*: , INDIAN OTHERS OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR GOVERNMENT SECTOR) D - OTHERS PROFESSIONAL SELF EMPLOYED RETIRED HOUSE WIFE STUDENT) B - BUSINESS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO POLITICALLY EXPOSED PERSON: (CODE FOR INDIA IS *IN *) (ISO 3166)		PE IS DIRECTOR)
MARITAL STATUS*: MARRIED UNMARRIED OTHERS NATIONALITY: IN-INDIAN OTHERS COUNTRY CODE (ISO 3166) RESIDENTIAL STATUS*: RESIDENT INDIVIDUAL NON RESIDENT INDIAN FOREIGN NATIONAL PERSON OF INDIAN ORIGIN CITIZENSHIP*: , INDIAN OTHERS OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR GOVERNMENT SECTOR) B - BUSINESS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO a foreign country, eg. Heads of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc.		
RESIDENTIAL STATUS*: RESIDENT INDIVIDUAL NON RESIDENT INDIAN FOREIGN NATIONAL PERSON OF INDIAN ORIGIN CITIZENSHIP*: , INDIAN OTHERS OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR GOVERNMENT SECTOR) O - OTHERS (PROFESSIONAL SELF EMPLOYED RETIRED HOUSE WIFE STUDENT) B - BUSINESS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO af foreign country, eg. Heads of States or of Governments, senior government / Judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc.		
CITIZENSHIP*: , INDIAN OTHERS OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR GOVERNMENT SECTOR) O - OTHERS (PROFESSIONAL SELFEMPLOYED RETIRED HOUSE WIFE STUDENT) B - BUSINESS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO a foreign country, eg, Heads of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc.		ODE
OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR GOVERNMENT SECTOR) O - OTHERS (PROFESSIONAL SELF EMPLOYED RETIRED HOUSE WIFE STUDENT) B - BUSINESS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO afford for executives of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc. (CODE FOR INDIA IS * IN *)	RESIDENTIAL STATUS*: RESIDENT INDIVIDUAL NON RESIDENT INDIAN FOREIGN NATIONAL PERSON OF	INDIAN ORIGIN
POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO COUNTRY CODE OF TAX RESIDENCE*: (CODE FOR INDIA IS * IN *) SELF EMPLOYED RETIRED HOUSE WIFE STUDENT) Politically exposed person are individuals who are or have been entrusted with prominent public function in a foreign country, eg. Heads of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc.	CITIZENSHIP*: , INDIAN OTHERS	
B - BUSINESS NOT CATEGORIZED POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO COUNTRY CODE OF TAX RESIDENCE*: (CODE FOR INDIA IS * IN *) CODE FOR INDIA IS * IN *) Politically exposed person are individuals who are or have been entrusted with prominent public function in a foreign country, eg. Heads of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc.	OCCUPATION TYPE*: S - SERVICE (PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR GOVERNMENT SECTOR)	
POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO COUNTRY CODE OF TAX RESIDENCE*: (ISO 3166) YES NO VOIt cally exposed person are individuals who are or have been entrusted with prominent public function in a foreign country, eg. Heads of States or of Governments, senior government / Judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc.	O - OTHERS PROFESSIONAL SELFEMPLOYED RETIRED HOUSE WIFE STUDENT)	
POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO a foreign country, eg. Heads of States or of Governments, senior government / judicial / military officers, senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc. (ISO 3166)		tionin
(ISO 3166)	POLITICALLY EXPOSED PERSON: YES NO a foreign country, eg. Heads of States or of Governments, senior government / judicial / military o senior executives of state-owned corporations, important political party officials, etc.	

PAN /TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT*: INDIA ONLY, THE PAN IN THIS FIELD)							
PLACE / CITY OF BIRTH*: COUNTRY CODE OF BIRTH*: (ISO 3166)							
3. PROOF OF CURRENT ADDRESS							
(ONE CERTIFIED COPY OF ANY ONE OF THE FOLLOWING OVD WITH CURRENT ADDRESS NEEDS TO BE SUBMITTED)							
A- PASSPORT B-VOTER ID CARD C- DRIVING LICENCE D- NREGA JOB CARD ISSUED BY NATIONAL POPULATION REGISTER CONTAINING F-AADHAAR OR							
PROOF OF ADDRESS FOR LIMITED PERIOD OF 3 MONTH (IN CASE OVD IN POINT NO.3 DOES NOT CONTAIN CURRENT ADDRESS							
ONE CERTIFIED COPY OF ANY ONE DEEMED OVD NEEDS TO BE SUBMITTED							
ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL ADDRESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED							
PROOF OF ADDRESS*; UTILITY BILLS MUNICIPAL TAX RECEIPT PENSION PAYMENT ORDER (PPO) LETTER OF ALLOTMENT OF ACCOMODATION FROM EMPLOYER ISSUED BY	r						
STATE/CENTRAL/GOVT/STATUTORY OR REGULATORY BODIES/PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS/SCHEDULED COMMERCIAL BANKS/FINANCIAL INSTITUTIONS/LISTED COMPANIES							
4. ADDRESS DETAILS:							
PERMANENT SAME AS CURRENT ADDRESS							
DOCUMENT NO, / IDENTIFICATION NUMBER®							
ISSUED BY*:							
ISSUED AT*: EXPIRY DATE (IF APPLICABLE)*:							
LINE 1*:	1						
LINE 2:	1						
LINE 3: CITY/TOWN/VILLAGE *:	Ĩ						
DISTRICT*: PIN/POST CODE*:	Ī						
STATE / UT NAME CODE*: COUNTRY CODE*: COUNTRY CODE*:	i						
(ISO 3166)							
5. CONTACT DETAILS (All communications will be sent on provided Mobile no./ Email- ID) (Please refer Instruction 'F' at the end)							
TEL. (OFF): TEL. (RES):	J						
FAX:							
MOBILE 1: MOBILE 2:]						
EMAILID 1:]						
EMAILID 2:]						
6. MULTIPLE TAX RESIDENCY: Details of Country of Tax Residence (in addition to India) in US and/or in any other Country or Territory Outside India as Under:							
COUNTRY OF TAX RESIDENCE# TAX IDENTIFICATION NUMBER OR EQUIVALENT, IF ISSUED BY JURISDICTION IDENTIFICATION TYPE (TIN OR OTHER, PLEASE SPECIFY)	1						
DENTIFICATION THE CHIRON CHARGE EAST SECURITY IN DISCUSSION DESCRIPTION OF THE CHIRON							
	i						
	# In case, country of tax residence is India, PAN is treated as TIN. 1. A citizen of It's including individual born in It's but resident in another country (who has not given up It's citizenship).						
# In case, country of tax residence is India, PAN is treated as TIN. 1. A citizen of US including individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship).							
1. A citizen of US including individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship). 2. A person residing in US including US green card holder.							
1. A citizen of US including individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship).							
1. A citizen of US including Individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship). 2. A person residing in US including US green card holder, 3. Certain persons who spend more than 180 days in US each year. 7. ADDRESS IN OUTSIDE JURISDICTION/COUNTRY - WHERE THE APPLICANT IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES							
1. A citizen of US including Individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship). 2. A person residing in US including US green card holder. 3. Certain persons who spend more than 180 days in US each year. 7. ADDRESS IN OUTSIDE JURISDICTION/COUNTRY - WHERE THE APPLICANT IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED	ì						
1. A citizen of US including Individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship). 2. A person residing in US including US green card holder. 3. Certain persons who spend more than 180 days in US each year. 7. ADDRESS IN OUTSIDE JURISDICTION/COUNTRY - WHERE THE APPLICANT IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED LINE 1*:							
1. A citizen of US including Individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship). 2. A person residing in US including US green card holder. 3. Certain persons who spend more than 180 days in US each year. 7. ADDRESS IN OUTSIDE JURISDICTION/COUNTRY - WHERE THE APPLICANT IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED LINE 1*: LINE 2:							
1. A citizen of US including Individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship). 2. A person residing in US including US green card holder. 3. Certain persons who spend more than 180 days in US each year. 7. ADDRESS IN OUTSIDE JURISDICTION/COUNTRY - WHERE THE APPLICANT IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED LINE 1*: LINE 2: LINE 3: CITY/TOWN/VILLAGE*:							
1. A citizen of US including Individual born in US but resident in another country (who has not given up US citizenship). 2. A person residing in US including US green card holder. 3. Certain persons who spend more than 180 days in US each year. 7. ADDRESS IN OUTSIDE JURISDICTION/COUNTRY - WHERE THE APPLICANT IS RESIDENT OUTSIDE INDIA FOR TAX PURPOSES ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL / BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED LINE 1*: LINE 2:							

	8. FORM - 60 (In Case PAN is no	ot Available)
	NAME: (SAME AS ID PROOF)	
	IF APPLIED FOR PAN AND IT IS NOT YET GENERATED, ENTER DATE OF APPLICATION IF PAN IS NOT APPLIED, FILL ESTIMATED TOTAL INCOME (INCLUDING INCOME OF SPOUSE, MINOR CHILD, ETG ABOVE TRANSACTION IS HELD	& THE ACKNOWLEDGEMENT NUMBER C) AS PER SECTION 64 OF INCOME TAX ACT 1961 FOR FINANCIAL YEAR IN WHICH THE
	AGRICULTURE INCOME (RS) OTHER THAN AG	RICULTURAL INCOME
	VERIFICATION	
	of my knowledge and bellef. I further declare I do not have a permanent account number and my/our estimated Act 1961 computed in accordance with the provisions of income Tax Act 1961 for the financial year in which the	do hereby declare that what is stated above Is true to the best total Income (including Income of spouse, minor child, etc.) as per section 64 of Income Tax above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.
	Verified today, the	Signature of the Daviewet
	9. APPLICANT DECLARATION	Signature of the Declarant
	 I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, i/we am/are aware that 	and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case it I/we may be held liable for It.
	 My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry. 	
	$\bullet \ \ I/We here by consent to receiving information from central KYC Registry through SMS/Email on the above resulting the contraction of the co$	egistered number/email address
	 I/We hereby certify that I/We have declared my status as per the rules applicable under section 285BA Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No.DBR.AML.BC.No.36/ 1 modification/amendment thereof. 	of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide 4.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent
	 I/We understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of income Tax Act, Rules made ther the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in re Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter- Governmen Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements. 	espect of my/our account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct
	 I/We certify & declare that the information provided by me/us for opening account and availing o signed/authenticated by me/us as well as in the documentary evidence provided by me/us for opening ac correct and complete and that I/We have not withheld any material information that may affect the assessm Account or otherwise. In case any of the information or detalls provided by me/us is found to be false or untru 	count and availing other services are, to the best of my/our knowledge and belief, true,
	 I/We undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking giprovided by me unless revised self certification as above is provided to the Bank. 	t or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-cortification
•	 I/We also agree that my/our failure to disclose any material fact/information known to me/us now or in fut within the stipulated period, may invalidate me/us from transacting in the account and the Bank would be wit any regulator and/or any authority designated by the Government of India (Goll)/RBI for the sald purpose o Issued by CBDT/RBI/Gol from time to time 	hinits right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to
٠	 I/We also agree to furnish and Intimate to the Bank any other particulars that are called upon me/us to provi- maintenance of the account. 	de on account of any change in law either in India or abroad In relating to the operation or
	I/We certify that I/we have the capacity to sign for the entity as per the CBDT rules/RBI guidelines.	
	 I/We shall Indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any Incomplete information by me/us. 	defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or
	DATE:	Signature(s)
P	PLACE:	Name of the Applicant
	ATTESTATION / FOR OFFICE	USE ONLY
D	DOCUMENTS RECEIVED: SELF-CERTIFIED TRUE COPIES NOTARY RISK CA	ATEGORY: HIGH MEDIUM LOW
10	N PERSON VERIFICATION CARRIED OUT BYIDENTITY VERIFICATION: DONE	DATE:
-	THE OFFICIAL FIGURETIES	
		OFF, NAME:
P	PEND EMPLOFF, DESIGNATION:	EMP/OFF BRANCH:

APPLICATION FORM FOR MULTIPLE CORRESPONDENCE/LOCAL ADDRESS (Separate Form to be filled in for multiple Address) ANNEXURE III
INSTRUCTIONS: FIELDS MARKED WITH * ARE MANDATORY PLEASE FILL THE F ORM IN ENGLISH AND IN BLOCK LETTERS AND LOCATION TO THE STATE OF
APPLICATION TYPE*: NEW UPDATE
KYC NUMBER (TO BE FILLED BY FINANCIAL INSTITUTION): (KYC NUMBER OF ENTITY IS MANDATORY FOR UPDATE REQUEST)
PROOF OF ADDRESS (POA)
CORRESPONDENCE / LOCAL ADDRESS DETAILS*
SAME AS CURRENT / PERMANENT/OVERSEAS ADDRESS DETAILS
ADDRESS TYPE*: RESIDENTIAL OR BUSINESS RESIDENTIAL BUSINESS REGISTERED OFFICE UNSPECIFIED
LINE 1°:
LINE 2:
LINE3: CITY/TOWN NAME*:
DISTRICT*: COUNTRY NAME:
UT NAME*: PIN / POST CODE*:
CONTACT DETAIL CASE AND A SECOND ASSESSMENT OF THE SECOND ASSESSMENT OF
CONTACT DETAILS (If communication has to be done on Mobile/email the following Mobile No/Email ID will be used)
TEL. (QFF): TEL. (RES):
TEL. (OFF):
TEL. (OFF): TEL. (RES): MOBILE NO.: FAX: EMAIL ID: Image: Control of the control of t
TEL. (OFF): TEL. (RES): TEL. (RES): FAX:
TEL. (OFF): MOBILE NO.: EMAIL ID: APPLICANT DECLARATION I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it. My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry. i/We hereby consent to receiving Information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address DATE:
TEL. (OFF): MOBILE NO.: EMAIL ID: APPLICANT DECLARATION I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it. My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry. i/We hereby consent to receiving Information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address
TEL. (OFF): MOBILE NO.: EMAIL ID: I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it. My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry. i/We hereby consent to receiving Information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address DATE: SIGNATURE (S)
TEL. (RES): MOBILE NO.: EMAIL ID: I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it. My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry. i/We hereby consent to receiving information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address DATE: SIGNATURE (S) NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY
TEL. (OFF): MOBILE NO.: EMAIL ID: APPLICANT DECLARATION I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/weam/are aware that I/we may be held liable for it. My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry. i/We hereby consent to receiving Information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address SIGNATURE (S) NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY
TEL. (RES): MOBILE NO.: EMAIL ID: APPLICANT DECLARATION I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/We undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I/we am/are aware that I/we may be held liable for it. My/Our personal KYC details may be shared with Central KYC Registry. I/We hereby consent to receiving information from central KYC Registry through SMS/Email on the above registered number/email address DATE: PLACE: SIGNATURE (S) NAME OF THE AUTHORIZED PERSON OF ENTITY ATTESTATION / FOR OFFICE USE ONLY DOCUMENTS RECEIVED: SELF-CERTIFIED TRUE COPIES NOTARY RISK CATEGORY: HIGH MEDIUM LOW

(Signature of the Branch Head / Branch Operation Head)

Name:

P.F. No.:

Date:

GENERAL INSTRUCTIONS:

- A. Clarification / Guidelines for filling F or Office Use Only section
- 1. Account Type: Simplified should be used for FPI Category I and Category II only.
- 2. Account Holder Type:

US Reportable (FATCA) Other Reportable (Other than FATCA) F1- Owner- Documented FI C1- Passive Non- Financial Entity with specified US owner(s) with one or more controlling person that is a Reportable person F2-Passive Non F inancial Entity with substantial US owner(s) C2- Other Reportable Person C3- Passive Non- Financial Entity F3- Non- Participating FFI F4-Specified US person that is a CRS Reportable F5-Direct Reporting NFFE XX- Not Applicable XX- Not Applicable

B. Clarification / Guidelines for filling Entity Constitution type section Entity Constitution Type

A- Sole Proprietorship	H- Trust	N- Forlegn Portfolio
B- Partnership firm	I- Liquidator	O- Section 8 Companies
C- HUF	J- Limited Llability Partnership	(Companies Act, 2013)
D- Private Limited Company	K- Artificial Juridical Person	P- ArtIficial Judicial Person
E- Public Limited Company	L- Public Sector Banks	X- Not Categorized
F- Society	M- Government Departments/	Z- Others
G- Association of Persons	Agency	
(AOP)/ Body of Individuals (BOI)		

- C. Clarification/Guidelines for filling Entity Details section
 - ${\bf 1.} \ For sole proprietors hip Concerns, in case of non-availability of PAN, Form 60 needs to be furnished$
 - 2. Identification Type: T- TIN, C- Company Identification Number, G-US GIIN, E- Global Entity Identification Number (EIN), O- Others
- Date of Commencement of Business is mandatory for companies, and other entities may provide if applicable.
- D Clarification/GuidelinesforfillingProofofIdentity[Pol] section
 - 1. Certified copies of all the relevant documents, as applicable, needs to be submitted.
 - KYC requirements for Foreign Portfolio Investors (FPIs) will be as specified by the concerned regulator from time to time,
 - 3. Details of the Required Documents for different Entity Constitution Types are mentioned in Page 16 (KYC Documents Required)
- E Clarification/Guldelines for filling Proof of Address [PoA]' section
 - 1. State / U.T Name and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.
 - 2. In case of multiple correspondence / local addresses, please fill Annexure III
- F Clarification / Guidelines for filling Contact Details section
 - 1 Please mention two-digit country code and 10 digit mobile number (e.g. for Indian mobile number mention 91-999999999).
- 2 Donotadd0 In the beginning of Mobile number.
- G Clarification/Guidellnes for filling C ontrolling/Related Person Details section
- i. Fill Separate Annexure (A11) for each Controlling/Related Person/Beneficial Owner.
- il. Personal Details
 - Name: Please state the name with Prefix (Mr/Mrs/Ms/Dr/etc.). The name should match the name as mentioned in the Proof of Identity submitted falling which the application is liable to be rejected.
 - 2 Either father's name or spouse's name is to be mandatorily furnished. In case PAN is not available father's name is mandatory.
- lii. Resident outside india for tax purposes
 - $1\ \ Provision for capturing multiple Tax residency details is made available (Annexure III)$
 - 2 Tax Identification Number (TIN): TIN need not be reported if it has not been issued by the Jurisdiction. However, if the sald Jurisdiction has issued a high integrity number with an

equivalent, level of identification (F unctional equivalent), the same may be reported. Examples of that type of number for individual include, a social security/insurance number, citizen/personalidentification/services code/number and resident registration number).

- iv. Proof of Identity [Pol]
 - If driving license number or passport is provided as Polithen expiry date is to be mandatorily furnished.
 - 2 Mention identification / reference number if Z-Others (any document notified by the central government) is ticked.
- v. ProofofAddress[PoA]
- 1 PoA to be submitted only if the submitted Pol does not have an address or address as per Pol Is invalid or not inforce.
- 2 State / U.T.Name and Pin / Post Code will not be mandatory for Overseas addresses.
- vl. Section 1 A to be filled for Controlling Person and Section 1 B to be filled for related Person.
- vii. The details of Controlling Persons are required only if the Legal Entity is Passive NFE as defined in the Income Tax Rules
- viii. If KYC number of Related or Controlling person is available, no other details except Per son Type and Name of the Controlling/Related Person are required.

C ontrolling Person means the natural person who exercises control over an entity and includes a beneficial owner as determined under sub-rule (3) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005.

Explanation 1.- In determining the beneficial owner, the procedure specified in the following circular as amended from time to time shall be applied, namely:-

- (i) DBOD.AML.BC. No.71/14.01.001/2012-13, Issued on the 18th January, 2013 by the Reserve Bank of India; or
- (II) CIR/MIRSD/2/2013, Issued on the 24th January, 2013 by the Securities and Exchange Board of India: or
- (iii) IRDA/SDD/GDL/CIR/019/02/2013, issued on the 4th February, 2013 by the Insurance Regulatory and Development Authority.

Explanation 2.— In the case of a trust, the controlling person means the settlor, the trustees, the protector (if any), the beneficiaries or class of beneficiaries and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust and in the case of a legal arrangement other than a trust, the said expression means the person in equivalent or similar position.

Type of legal entity	Type of controlling person (CP)	Permissible values		
Sole proprietorship	Sole proprietor	CP not required		
Hindu Undivided Family	K arta	C09 CP of legal arr angement - Other-settlor equivalent; or		
		C10- CP of legal arrangement - Other-Trustee equivalent		
	E ach Coparcener	C12 - CP of legal arrangement - Other-beneficiary equivalent		
Partnership	Owner ship	C01- CP of legal person - ownership		
	Other means	C01- CP of legal person other means		
	Senior managing officials	C03 - CP of legal person senior managing official		
Company	Owner ship	C 01 -CP of legal person - ownership		
	Other means	C 02 -CP of legal person other means		
	Senior managing official	C 03 - CP of legal person-senior managing official		
Society	Owner ship	C 01 -CP of legal person - ownership		
	Other means	C 02 - CP of legal person other means		
	Senior managing official	C 03 - CP of legal person senior managing official		
AOP/BOI	Member s (owners)	C 01 - CP of legal person - ownership		
	Set tlor Equivalent	C 09 CP of legal arr angement Other -settlor equivalent		
	T rustee equivalent	C 10 CP of legal arr angement Other -trustee equivalent		
	P rotector Equivalent	C 11 CP of legal arr angement Other -protector equivalent		
	Beneficiary Equiv alent	C 12 CP of legal arr angement Other -beneficiary equivalent		
	Other s	C 13 CP of legal arr angement Other -Other equivalent		
Trust	Set tlor	C 04 CP of legal arr angement T rust-settlor		
	T rustee	C 05 CP of legal arr angement T rust-trustee		
	P rotector	C 06 CP of legal arr angement T rust-protector		
5:	Beneficiary	C 07 CP of legal arr angement T rust-beneficiary		
	Other s	C 08 CP of legal arr angement T rust-Other		
Liquidator		CP not required		
Limited Liability Partnership	P artners(ownership)	C 01 - CP of legal person - ownership		
	Other means	C 02-CP of legal person other means		
	Senior M anaging officials	C 03 - CP of legal person senior managing official		
Artificial Juridical Person	Equiv alent of Settlor	C 09 CP of legal arr angement Other -settlor equivalent		
	Trustee	C 10 CP of legal arr angement - Other - trustee equivalent		
	P rotector	C 11 CP of legal arr angement - Other - protector equivalent		
	Beneficiary	C 12 CP of legal arr angement - Other - beneficiary equivalent		
	other s	C 13 CP of legal arr angement - Other - Other equivalent		

Passive NFE : It means

- Any NFE which is not an Active NFE, or
- $An investment entity the {\it gross} income of which is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets, if the entity is managed by another entity that is a depository of the primarily attributable to investing the primarily attributable to investing the primarily attributable the primarily attribu$ Institution, a custodial institution, a specified insurance company, or an investment entity described in the note below.
- Not a with holding for eign partnership or with holding for eign trust

(Withholding foreign partnership means a foreign partnership that has entered into a withholding agreement with the United States of America in which it agrees to assume primary $with holding \, responsibility for all payments \, which are \, made \, to \, lt for its partners, beneficiaries \, or \, owners).$

Note:

- Any entity that primarily conducts as a business one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer, namely: and business and business and business and business are the following activities of operations for or on behalf of a customer, business and business are the following activities of operations for or on behalf of a customer, business and business are the following activities of operations for or on behalf of a customer, business and business are the following activities of operations for or on behalf of a customer, business and business are the following activities of operations for or on behalf of a customer, business and business are the following activities of operations for or on behalf of a customer, business and business are the following activities of a customer and business are the following activities of a customer and business are the following activities of a customer and business are the following activities of a customer and business are the following activities are the following acti
- Trading in money market instruments (Cheques, bills, certificates of deposit, derivatives etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or
- Individual and collective portfolio management; or
- Otherwise Investing, administering, or managing financial assets or money on behalf of other persons.

Explanation 1:- An entity is treated as primarily conducting as a business one or more of the activities described in 1 above, or an entity s gross income is primarily attributable to investing, reinvesting, or trading in financial assets for purposes of investment Entity that is a Passive Entity, if the entity s gross income attributable to the relevant activities equals or exceeds 50 percent of the entity s gross income during the shorter of: (i) the three-year period ending on 31st march of the year preceding the year in which the determination is made; or (ii) the period during which the entity has been in existence

Explanation 2:- The termin vestment entity does not include an Entity that is an active non-financial entity because it meets any of the criteria in sub-clauses (iv), (v), (vi) or (vii) of clause (A) of Explanation to clause (6) of Rule 114F.

Passive income - includes income by way of: (i) dividends; (ii) interest; (iii) income equivalent to interest; (iv) rents and royalties (other than rents and royalties derived in the active conduct of a business conducted, at least in part, by employees of the non-financial entity); (v) annuitles; (vi) the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets that gives rise to the excess of gains over losses from the sale or exchange of the excess of gains over losses from the excess of gains over losses fpassive Income; (vil) the excess of galns over losses from transactions (including futures, forwards, options, and similar transactions) in any financial assets; (vill) the excess of foreign currency $gains \, over for eign \, currency \, losses; (ix) \, net \, ln come \, from \, swaps; or (x) \, amounts \, received \, under \, cash \, value \, ln surance \, contracts; \, in the contract of the contra$

Provided that passive income will not include, in the case of a non-financial entity that regularly acts as a dealer in financial assets, any income from any transaction entered into in the ordinary course of such dealer's business as such a dealer.

 $Related \ Entity-an entity is a related\ \ entity of\ \ another entity if either entity controls the other entity, or the two entitles are under common control.$

Explanation. - For the purpose of this clause control includes direct or indirect ownership of more than fifty per cent of the vote and value in an entity.

Active NFE is any one of the following

- less than fifty per cent of the entity s gross income for the preceding financial year is passive income and less than fifty per cent of the assets held by the entity during the preceding financial year are assets that producer are held for the production of passive income; OR
- ii. the stock of the entity is regularly traded on an established securities market or the non-financial entity is a related entity of an entity, the stock of which is regularly traded on an established securities market.
 - Explanation.- For the purpose of this sub-clause, an established securities market means an exchange that is recognized and supervised by a Governmental authority in which the securities market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange; OR
- $iii. \quad the entity is a Governmental Entity or an International Organization or a Central Bank or an entity wholly owned by one or more of the foregoing; OR an entity of the contral Bank or an enti$
- lv. substantially all of the activities of the entity consist of holding lin whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a financial institution:
 - Provided that an entity shall not qualify for this status if it functions as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes; OR
- the entity is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the entity shall not qualify for this exception after the date that is twenty four months after the date of the initial organization of the entity OR
- the entity was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution; OR
- the entity primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any other primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging transactions with, or for, related entities which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging transactions with, or for, related entities which are not financial institutions, and does not provide financing or hedging transactions with a service of the contraction of the contracentity which is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; OR and the such provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; OR and the such provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; OR and the such provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; OR and the such provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution; OR and the such provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business of the such provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business of the such provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business of the such provided that the group of any such provided the group of any such provided that the group of any such provided the group of any such provided that the group of any such provided the group of any such provided that the group of any such provided that the group of any such provided the group of any such provided the group of any such provided that the group of any such provided that the g
- viii, the entity meets all of the following requirements, name
- a. It is established and operated in India exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in India and it is a professional organization, business league, chamber of commerce, labour organization, agricultural or horticultural organization, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare:
- It is exempt from income-tax in India;
- It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;
- The applicable laws of the entity s country or territory of residence or the entity s formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the entity of thethe benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the entity s charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services $rendered, or as payment representing the {\it fair market value} of property which the entity has {\it purchased}; and {\it the control of the co$
- The applicable laws of the entity's country or territory of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other non-profit organization, or escheat to the government of the entity spurisdiction of residence or any political subdivision thereof.

Explanation. - For the purpose of this sub-clause, the following shall be treated as fulfilling the criteria provided in the said sub-clause, namely:-

- an Investor Protection Fund referred to in clause (23EA);
- a Credit Guarantee Fund Trust for Small Industries referred to in clause 23EB; and
- an Investor Protection Fund referred to In clause (23EC), of section 10 of the Act

A US Person is any of the following

- a AU.S. citizen or Tax Resident of US; OR
- b. A partnership or a corporation organized in the US or under the law of the US or any states thereof; OR
- c. A trust ii) where a court within the United States would have authority under applicable law to render orders or judgments concerning substantially all issues regarding administration of the trust, and (ii) one or more U.S. Persons have the authority to control all substantial decisions of the trust, OR
- an estate of the decedent that is a citizen or resident of the United States. Specified US Person - A US Person other than the following
 - a. A corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets
 - b. Any corporation that is a member of the same expanded affiliated group, as defined in section 1471(e)(2) of the U.S. Internal Revenue Code, as a corporation described in clause (a)

 - c. The United States or any wholly owned agency or instrumentality thereof
 d. Any State of the United States, any U.S. Territory, any political subdivision of any of the foregoing, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing
 e. Any organization exempt from Laxation under section 501(a) of the U.S. Internal Revenue Code or an individual retirement plan as defined in section 7701(a)(37) of the U.S. Internal Revenue Code
 - f. Any bank as defined in section 581 of the U. S. Internal Revenue Code:
 - g. Any real estate investment trust as defined in section 856 of the U.S. Internal Revenue Code
 - Any regulated investment company as defined in section 851 of the U.S. Internal Revenue Code or any entity registered with the U.S. Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act of 1940 (15 U. S.C. 80a-64)
 - Any common trust fund as defined in section 584(a) of the U.S. Internal Revenue Code;
 - Any trust that is exempt from tax under section 664(c) of the U.S. Internal Revenue Code or that is described in section 4947(a)(1) of the U.S. Internal Revenue Code
 - k. A dealer in securities, commodities, or derivative financial instruments (including notional principal contracts, futures, forwards, and options) that is registered as such under the laws of the United States or any State;
 - A broker as defined in section 6045(c) of the U.S. Internal Revenue Code
 - m. Any tax-exempt trust under a plan that is described in section 403(b) or section 457(g) of the U.S. Internal Revenue Code S

A direct reporting NFFE will mean an NFFE that elects to report directly to the US IRS certain information about its direct or indirect substantial U.S. owners, in lieu of providing such Information to FIs with which the NFFE holds a financial account. Direct Reporting NFE registers with the US IRS to obtain GIIN. Such Direct Reporting NFFEs are required to be reported under Rules 114F to 114H

Country	Country	Country	Country	Country	Country	Country	Coun
Afghanistan	Code	Developed P. 1.	Code		Code		Coc
Aland Islands	AF AX	Dominican Republic	DO	Libya	LY	Saint Pierre and Miquelon	PM
Albania		Ecuador	EC	Liechtenstein	LI	Saint Vincent and the Grenadine	es VC
Algeria	AL DZ	Egypt El Salvador	EG	Lithuania	LT	Samoa	W.
American Samoa	AS	Eguatorial Guinea	SV	Luxembourg	LU	San Marino	SM
Andorra	AD	- 1	GQ	Macao	MO	Sao Tome and Principe	ST
Alidolla	AD	Eritrea	ER	Macedonia, the former		Saudi Arabla	SA
Angola	AO	Estonia	EE	Yugoslav Republic of	MK		
Anguilla	Al	Ethlopia		Madagascar	MG	Senegal	SN
Antarctica	AQ	Falkland Islands (Malvinas)	ET	Malawi	MW	Serbla	RS
Antiqua and Barbuda	AG		FK	Malaysia	MY	Seychelles	SC
Argentina	AR	Faroe Islands	FO	Maldives	MV	Sierra Leone	SL
Armenia	AM	Fiji	FJ	Mall	ML	Singapore	SG
Aruba		Finland	FI	Malta	MT	Sint Maarten (Dutch part)	SX
Australia	AW	France	FR	Marshall Islands	MH	Slovakla	SK
Austria	AU	French Guiana	GF	Martinique	MQ	Slovenia	SI
Azerbailan	AT	French Polynesia	PF	Mauritania	MR	Solomon Islands	SB
Bahamas	AZ	French Southern Territories	TF	Mauritius	MU	Somalia	SC
Bahrain	BS	Gabon	GA	Mayotte	YT	South Africa	ZA
sanrain	BH	Gambia	GM	Mexico	MX	South Georgia and the	
Bangladesh	nn.	0				South Sandwich Islands	GS
	BD	Georgia	GE	Micronesia, Federated States of	FM	South Sudan	SS
Barbados	BB	Germany	DE	Moldova, Republic of	MD	Spain	ES
Belarus	BY	Ghana	GH	Monaco	MC	Sri Lanka	LK
Belgium	BE	Gibraltar	GI	Mongolia	MN	Sudan	SD
Belize	BZ	Greece	GR	Montenegro	ME	Suriname	5R
lenin .	BJ	Greenland	GL	Montserrat	MS	Svalbard and Jan Mayen	SJ
Sermuda	BM	Grenada	GD	Morocco	MA	Swaziland	SZ
hutan	BT	Guadeloupe	GP	Mozambique	MZ	Sweden	SE SE
Iollvia, Plurinational State of	BO	Guam	GU	Myanmar	MM	Switzerland	
Ionaire, Sint Eustatius and Saba	BQ	Guatemala	GT	Namibia	NA NA	Syrian Arab Republic	CH
osnia and Herzegovina	BA	Guernsey	GG	Nauru			SY
otswana	BW	Guinea	GN	Nepal	NR ND	Talwan, Province of China	TW
ouvet Island	BV	Guinea-Bissau	GW	Netherlands	NP	Tajikistan	TJ
razil	BR	Guyana	GW	New Caledonia	NL	Tanzania, United Republic of	TZ
ritish Indian Ocean	IO	Halti	HT		NC	Thalland	TH
erritory	10	THE	HI	New Zealand	NZ	Timor-Leste	TL
runei Darussalam	BN	Heard Island and McDonald					
	011	Islands	LIM	Minne			
ulgaria	BG	Holy See (Vatican City State)	HM	Nicaragua	NI	Togo	TG
urkina Faso	BF	Honduras	VA	Niger	NE	Tokelau	TK
urundi			HN	Nigeria	NG	Tonga	TO
abo Verde	BI	Hong Kong	HK	Nlue	NU	Trinidad and Tobago	TT
	CV	Hungary	HU	Norfolk Island	NF	Tunisia	TN
ambodia	KH	Iceland	IS	Northern Mariana Islands	MP	Turkey	TR
ameroon	CM	India	IN	Norway	NO	Turkmenistan	TM
anada	CA	Indonesia	ID	Oman	OM	Turks and Caicos Islands	TC
ayman Islands	KY	Iran, Islamic Republic of	IR	Pakistan	PK	Tuvalu	TV
entral African Republic	CF	Iraq	IQ	Palau	PW	Uganda	UG
had		Ireland	IE.	Palestine, State of	PS	Ukraine	UA
hile		Isle of Man	IM	Panama	PA	United Arab Emirates	AE
hlna		Israel	IL	Papua New Guinea	PG	United Kingdom	GB
hristmas Island	CX	Italy	IT	Paraguay	PY	United States	US
ocos (Keeling) Islands	CC	Jamaica	JM	Peru	PE	United States Minor	03
						Outlying Islands	UM
olombia	CO	Japan	JP	Philippines	PH	Uruquay	UY
omoros	KM	Jersey	JE	Pitcairn	PN	Uzbekistan	UZ
ongo	CG	Jordan		Poland	PL	Vanuatu	VU
ongo, the Democratic					()	rundtu	VU
epublic of the	CD	Kazakhstan	KZ	Portugal	PT	Vapazuala Raliteria Barrita	3.400
ook Islands		Kenya		Puerto Rico		Venezuela, Bolivarian Republic of	VE
osta Rica		Kiribati	KI	Qatar		Viet Nam	VN
ote d'Ivoire !Côte d'Ivoire		Korea, Democratic People's Republic of		Reunion IRéunion		Virgin Islands, British	VG
oatia		Korea, Republic of				Virgln Islands, U.S.	VI
ıba		Kuwait		Romania Russian Federation		Wallis and Futuna	WF
uracao ICuração		Kyrgyzstan		Russian Federation		Western Sahara	EH
/prus		Lao People's Democratic Republic		Rwanda		Yemen	YE
ech Republic		Latvia		Saint Barthélemy ISaint Barthélemy	BL	Zambia	ZM
	QE.	HETTI	LV	Saint Helena, Ascension and Tristan	017	7	
enmark	DK	Lebanon		da Cunha		Zimbabwe	ZW
iboutl		Lesotho		Saint Kitts and Nevis	KN		
ominica		Liberia		Saint Lucia	LC		
	ויוע	LIUCIId	LR	Saint Martin (French part)	MF		
			STATE CO	DES			
	1.10						
	LIS	ST OF TWO-DIGIT STATE / U.T CO	DES AS PE	KINDIAN MOTOR VEHICLE AC	T, 1988 I		
ate/U.T		Code State/U.T		0-1	Photo Date		
				Code	State/U.T		Code
daman & Nicobar		AN Himachal Prade	esh	HP	Pondicherry		PY
dhra Pradesh		AP Jammu& Kashr	mir	JK	Punjab		
unachal Pradesh		AR Jharkhand					PB
				JH	Rajasthan		RJ
sam		AS Kernataka		KA	Sikkim		SK-
nar		BR Kerala		KL	Tamil Nadu		
andigarh							TN
				LD	Telengana		TS
attisgarh		CG Madhya Prades	sh	MP	Tripura		TR
		DN Maharashtra				b	
dra and Nagar Havell				МН	Uttar Prades	11	UP
		DD Manipur		MM			UA
man & DILI		Manipar					
man & DILI					West Reneal		
dra and Nagar Havell man & DILI Ihi a		DL Meghalaya		ML	West Bengal		WB
man & DILI Ihi					West Bengal Other		

	v E 1,016,01	KYC Documents Required for opening Current Accounts:
SINo	Type of Entity	KYC Documents
1	KYC documents required from each Individual Constituent related to the entity	a) One Certified copy of Officially Valid Document (OVD) containing details of Identity and Address; b) Recent Photograph; c) Permanent Account Number (PAN) or Form 60 as defined in Income Tax Rule, 1962; and d) Any Document in support of nature of business or financial status acceptable to bank.
2	Proprietorship Firms	(a) Documents listed at para 1 from Proprietor, Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; (b) Proprietorship Letter in Bank's format; (c) Any two of the following documents as a proof of business / activity in the name of the proprietary firm - i. Registration certificate ii. Certificate/licence issued by the municipal authorities under Shop and Establishment Act. iii. Sales and income tax returns. iiv. CST/VAT/ GST certificate (provisional/final) v. Certificate/registration document issued by Sales Tax/Service Tax/Professional Tax authorities. vi. EC (Importer Exporter Code) issued to the proprietary concern by the office of DGFT or Licence/certificate of practice issued in the name of the proprietary concern by any professional body incorporated under a statute. vii. Complete Income Tax Return (not just the acknowledgement) in the name of the sole proprietor where the firm's income is reflected, duly authenticated/acknowledged by the Income Tax authorities. viii. Utility bills such as electricity, water, landline telephone bills, etc. of the premise where have business carried out ix. Licence / Certificate of practice issued in the name of the proprietary concern by any professional body incorporated under statue (e.g. Certificate of Practice issued by Institute of Charted Accountants of India, Institute of Company Secretary of India, etc.)
3	Partnership Firms	a) Documents listed at para 1 from each Partner or Beneficial Owners as defined on page no. 17 below, Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; b) Registration Certificate c) Partnership Deed d) PAN of Partnership Firm e) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share in the Firm / controlling interest / stake duly signed by authorized signatory (Annexure IV). f) Partnership letter signed by all partners. POA granted to partner(s) or employee of the firm to transact on behalf of firm,
4	Limited Companies	a) Documents listed at para 1 from each person, i.e. Chairman, Directors, Secretary, major shareholders etc. of all related persons or Beneficial Owners as defined at page no. 17 below and from, Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; b) Certificate of Incorporation (for verification and return). A certified copy duly signed by authorized signatory to be retained; c) Memorandum of Association and Articles of Association; d) Permanent Account Number of the company; e) Resolution from the Board of Directors and power of attorney granted to its managers, officers or employees to transact on its behalf; f) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding pattern / controlling interest / stake duly signed by authorized signatory of the entity (Annexure IV); g) Certificate of Commencement of business (in case of public limited company); h) Certificate of Registrar of Joint Stock Companies stating that the company is entitled to commence business (for verification, entry in the power of Attorney Register). A copy of the same to retained. This certificate is not required when, (a), Company is a private company, (b) The Company was registered before 1913 and does not invite the public to subscribe for shares, (c) the company is limited by guarantee and does not have a share capital. i) Certified copy of Board resolution regarding opening and regulating the conduct of account, obtained on the following lines — "We hereby certify that the following resolution of the Board of Directors of the
5	Societies / Association / Clubs	a) Documents listed at para 1 from each person i.e., Chairman, Directors, Secretary, major shareholders etc. of all related persons or Beneficial Owners as defined at page no. 17 below, and from Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; b) Registration Certificate, in case of registered entity. c) PAN / Form 60 of the entity d) Copy of Laws and by-laws and resolution of the society regarding opening and operational instructions of account. e) Power of attorney granted to transact on its behalf f) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding pattern / controlling interest / stake duly signed by authorized signatory (Annexure IV). g) Such information as may be required by the bank to collectively establish the legal existence of such society / association /club.
6	Hindu Undivided Family (HUF)	a) Documents listed at para 1from major coparceners and Karta of HUF; b) Joint Hindu Family Letter to be obtained and signed by all the adult coparceners. c) PAN of HUF d) Declaration from the Karta e) On death of a coparcener, birth of a coparcener attaining majority (18 years), a fresh Joint Hindu Family letter to be executed declaration that a) the depositor is the Karta of the Joint Family b) the deposit belongs to Joint Hindu Family.
7	Trusts	a) Documents listed at para 1 from each trustees, executors, administrators, etc. of all related persons or Beneficial Owners as defined at page no. 17 below, Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; b) Registration Certificate c) Trust Deed d) PAN or Form 60 of the Trust e) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding pattern / controlling interest / stake duly signed by authorized signatory (Annexure IV). f) Copy of relevant extract of the trust deed to be obtained and perused, with special emphasis on the power of the trustees to sign cheques, delegation of authority, borrow money, etc. The relevant portions are entered in the power of attorney register. g) Copy of resolution for opening of account. h) Power of attorney granted to transact business on its behalf (wherever applicable).

KYC Documents Required for opening Current Accounts:

SI No	Type of Entity	KYCDocuments
8	Unincorporated Association or body of Individuals	a) Documents asted at para 1 from each person, i.e. Chairman, Directors, Secretary, major shareholders etc. of all related persons or Beneficial Owners as defined at page no. 17 below, Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; b) Resolution of the managing body of such association or body of individuals. c) PAN / Form 60 of the entity d) Power of attorney granted to Iransact on its behalf e) Such information as may be required by the bank to collectively establish the legal existence of such an association or body of individuals. f) A declaration containing the names of all the beneficial owners together with their share holding pattern / controlling interest / stake duly signed by authorized signatory (Annexure IV). g) in Case of Political Parties, along with above mentioned document these 4 other documents will also be attached: i, from the Election Commission confirming that "the political party is registered under section 29A of Representation of people Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last general election to the House of the People or the Legislative Assembly, as the case may be". iii. Photograph of the person who has been authorised to transact the account, i.e. to whom Power of Attorney is granted. b. Documents in respect of proof of address of the political party.
9	Executors, Administrators and Liquidators	a) Documents fixed at para 1 from each Executors, Administrators Liquidators, All related persons or Beneficial Owners as defined at page no. 17 below; b) Probate or letter of administration or authority under the Companies Act to be obtained (for venification). A copy of the same is retained, and enter in miscellaneous and Uquidators documents register. I. In case more than one executors / administrators / liquidators are appointed, letter of authority signed by all of them regulating the conduct of the account, must be obtained. II. Executors / administrators / liquidators cannot normally delegate their powers to third parties. III. With respect to an entity, any official document issued by an authorised Government body, including a Government agency or a municipality, which includes the name of the entity and either the address of its principal office in the country or territory in which it claims to be a reddent or the country or territory in which the entity was incorporated or organised; IV. TIN letter Issued by the respective Government body/agency in case of entity resident in any country or territory outside India. V. Executors / Administrators / Uquidators normally cannot delegate their powers to the third party
10	Govt. Authorities and Juridical Persons	a) Documents shawing name of the persons authorized to act on behalf of the entity; b) Documents listed at para 1 from each Authorised Signatory or the Power of Attorney Holder; c) Such documents as may be required to bank to establish the legal existence of such entity / juridical person.

If partnership/trust deed is unregister, the account must be opened under "Unincorporated Association"

Officially Valid Documents:

The list of OVDs consist only the following Six:

- Passport
- Driving licence
- Proof of possession of Aadhaar Number; Where the customer submit his proof of position of Aadhaar Number as on OVD, he may submitted in such form as are issued by the Unique 3. Identification Authority of India
- 4. Voter's Identity Card issued by Election Commission of India
- Job cord issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government
- Letter issued by the National Population Register containing details of name, address.

Deemed Officially Valid Documents for Limited Purpose of current address, if Aadhaar is not taken as OVD

The Following documents shall be deemed to be officially valid documents for the limited purpose of proof of Current Address for 3 month.

- Utility bill which is not more than two months old of any service provider (electricity, Telephone, post-paid mobile phone, piped gas, water bill).
- Property or Municipal Tax Receipt 461
- Pension or Family Pension Payment Orders (PPOst Issued to retired employees by Government Departments or Public Sector Undertakings, if they contein the address Letter of alkalment of accommodation from employer issued by State Government or Central Government Departments, statutory or regulatory bodies, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, Financial institutions and Listed Companies and leave and license agreements with such employers afforting official accommodation.

if the proof of address as per Andhaar (OVD) provided does not contained current address. A Self Declaration of current address is required as proof of current address

WHO IS A BENEFICIAL OWNER:

The beneficial owner, as per Rule 9 (3) of PML Amendment Rules 2013 is determined as under: where the customer is a company, the beneficial owner is natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has/have a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

Explanation: For the purpose of this sub-clausei) "Controlling ownership interest " means ownership of or entitlement to more than

twenty - five percent of shares or capital or profits of the company;

- II) "Control" shall include the right to appoint majority of directors, or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or
- management rights or shareholders agreements or voting agreements.

 (b) Where the customer is a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s). who, whether acting along or together, or through one or more juridical person, has/have ownership of / entitlement to more than 15% of capital or profits of partnership;
- (c) Where the customer is an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural personis), who, whether acting along or together, or through one or more juridical person, has these ownership of or entitlement to more than 15 % of the property or capital or profits of such associations or body of individuals: Explanation: Term body of individuals' includes societies. Where no natural person is identified under (a), (b) or (c) above, the beneficial owner is the relevant natural person
- who holds the position of senior managing official.

 Where the client is the trust, the identification of the beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with 15% or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.

 Where the client or the owner of the controlling interest is a company listed on a stock
- exchange or is a subsidiary of such a company, it is not necessary to identify and verify the identity of any share holder or beneficial or

€			active type to st
	TEAR FROM HERE (Please make sure the above	machine readable code is not damaged white tearing off)	
	ACKN	WLEDGEMENT	
1. NAME:		DATE:	
2. DOCUMENTS DEPOSITED III			
(0)	- (III)		
(IV)	(V)		

BRANCH MANAGER